खण्ड-190, अंक-7
मंगलवार, 15 माघ, शक संवत् 1879
(4 फरवरी, 1958 ई0)

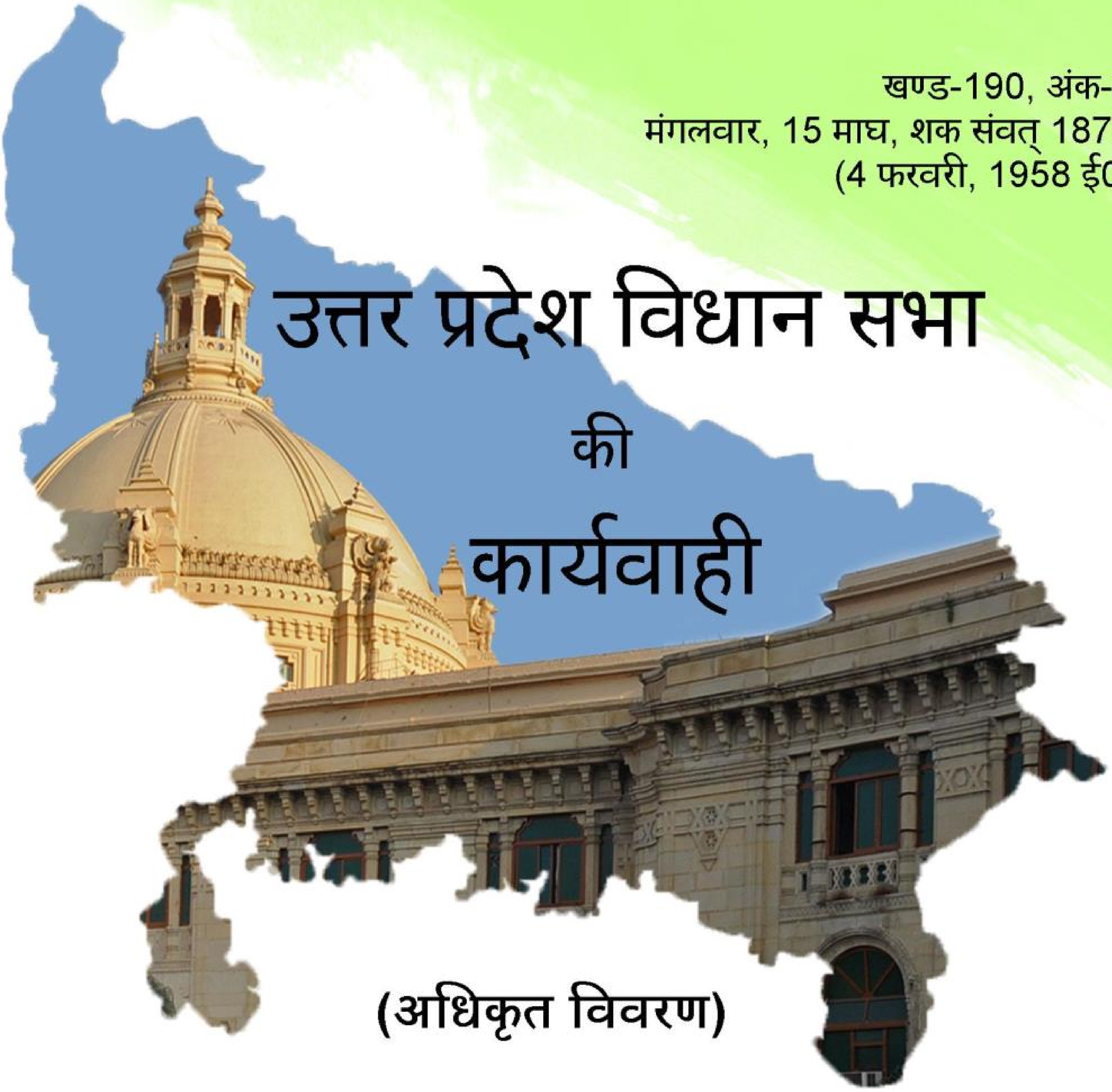

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 190 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ४ फरवरी, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३२५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश कुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाश प्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानी सिंह, डाक्टर
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री

गोविन्द सिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहर लाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वर दीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वर प्रसाद सिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुब, श्री

भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेश भूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री

लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णगोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेश बहादुर, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ४ फरवरी, १९५८ ई०

तारांकित प्रश्न

कानपुर जिले में बारा और सिकन्दरा के बीच सड़क तथा सेंगुर नदी पर पुल का निर्माण

*१—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले में जो नेशनल हाइवेज का टुकड़ा बारा और सिकन्द्रा के बीच बन रहा है वह कब तक पूरा हो जायगा ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—इस कार्य के मई, १९५९ तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

*२—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बतायेगी कि उसी सड़क पर सेंगुर नदी का जो पुल बनने वाला है उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गिरधारी लाल—इस कार्य के आगणन की जनवरी, १९५८ में सरकार द्वार प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है। यह आशा की जाती है कि इस पर कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायगा।

*३—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सड़क के घुमावों में जो नई जमीन ली गई है उसका मुआवजा दिया जा चुका है ?

श्री गिरधारी लाल—मुआवजा वितरित करने के लिये आवश्यक धनराशि भूमि अध्याप्ति अधिकारी को दी जा चुकी है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार यातायात की सुविधा के लिये इस सड़क पर जो सेंगुर नदी पड़ती है, उसके लिये कोई टेम्पोरेरी पुल बनवा देगी ?

श्री गिरधारीलाल—इसके ऊपर विचार किया जायगा।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस सड़क पर जो किसानों की जमीन ली गई है उनका लगान और मालगुजारी माफ कर देगी ?

श्री गिरधारी लाल—लगान और मालगुजारी की मुझे कोई इत्तला नहीं है। जहां तक मुआवजे की बात है, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने पूछा है, उसके मुताबिक उन लोगों को दिया जायगा।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार कानपुर जिले के मुख्य अधिकारी को यह आदेश देगी कि किसानों को मुआवजा लेने की सूचना जब वे तहसीलों में भेजें तो उसे स्थानीय पत्रों में भी प्रकाशित करा दें ?

श्री गिरधारीलाल—वह तो जो उसका कायदा है, उसके मुताबिक काम किया जायगा।

राज्य में गल्ले की मार्केटिंग सोसाइटियां

*४—श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में कितनी और कहां-कहां गल्ले की मार्केटिंग सोसाइटीज हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—राज्य में गल्ले की ४० सहकारी मार्केटिंग सोसाइटीज हैं। इनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५७० पर)

*५—श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—पिछले तीन वर्षों में कितने का कारोबार उपर्युक्त सोसाइटीज के द्वारा हुआ और कितने-कितने की हानि या लाभ हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—उपर्युक्त सोसाइटीज की स्थापना अप्रैल, १९५७ में हुई और इन्होंने अप्रैल, १९५७ से दिसम्बर, १९५६ की, अवधि में लगभग ८०,२१ लाख रुपये का कारोबार किया।

सहकारी वर्ष १९५६-५७ में ३८ सोसाइटीज को ७० हजार रुपये का लाभ तथा २ सोसाइटीज को १५० रुपये की हानि हुई।

*६—श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि १९५८ में उसका गल्ले की मार्केटिंग सोसाइटीज और कहां-कहां खोलने का विचार है ?

श्री मोहनलाल गौतम—वर्ष १९५७-५८ में सरकार का ६० मार्केटिंग सोसाइटीज और खोलने का विचार है।

इन में से ५१ सोसाइटीज खोलने की जगह निश्चित की जा चुकी है जिसकी सूचना संलग्न है। शेष सोसाइटीज को खोलने के सम्बन्ध में अभी स्थान निर्धारित नहीं किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५७१ पर)

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इन २ सोसाइटियों में घाटा होने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम—२ सोसाइटियों में घाटा इसलिये हुआ यह कि यह नयी नयी सोसाइटियां खुली थीं, उनमें खरीद का पूरा स्टाफ व इंतजाम किया गया लेकिन चूंकि वह नयी थी, तजुर्बा व्यापार का कम था, इसलिये १५० रुपये का उनमें घाटा हुआ।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—बाक़ी ३८ क्या पुरानी सोसाइटियां थीं ? वह भी तो नयी थी।

श्री मोहनलाल गौतम—सब नयी सोसाइटियां थीं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि सोसाइटियां खोलने के पहले इसका पूरा तखमीना ठीक से नहीं लगाया गया था कि जिसके कारण यह घाटा हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—मैं इस का उत्तर दे चुका हूं कि इसका अच्छी तरह से तखमीना लगाया गया था। जांच पड़ताल कर के ही खोली गयीं थीं परन्तु चूंकि वह इसी वर्ष नयी खुली थीं इस कारण से व्यापार कम हुआ और उनमें घाटा हो गया।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—४० सोसाइटियों में से ३८ ने लाभ उठाया, इसको देखते हुए सरकार इस काम को तेजी से बढ़ाने का विचार क्यों नहीं कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—आप ने पहले ही मान लिया कि सरकार ऐसा विचार नहीं कर रही है। यह तो नेगेटिव प्रश्न हुआ। आप सीधा प्रश्न पूछें।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार इन सोसाइटियों के मुनाफे को देखते हुये ऐसा विचार कर रही है कि ऐसी सोसाइटियों को तेजी से बढ़ाया जाय ?

श्री मोहन लाल गौतम---द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल १५० सोसाइटियां इस प्रदेश में खोलने की योजना है और उसी के अनुसार वे खोली जा रही हैं। उसमें कोई कोताही नहीं की जा रही है।

श्री गेंदासिंह---राज्य सरकार को इस मद में केन्द्रीय सरकार से धन मिल सकता है, इस विचार से क्या सरकार इन सोसाइटयों को बढ़ाने की सिपारिश करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---अभी तो इनको एक ही साल हुआ है, अगर अच्छी सफलता हुई तो विचार हो सकता है।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह चालीसों सोसाइटियां एक ही सोसाइटी के अन्तर्गत काम करती हैं या सब अलग-अलग सोसाइटियां हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---सब अलग-अलग सोसाइटियां हैं, अलग-अलग यूनिट हैं।

चौकाघाट, वर्डघाट तथा दोहरी घाट के रेलवे पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

*७---श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---क्या राज्य सरकार के पास केंद्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर चौकाघाट रेलवे पुल के संबंध में आया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा आंशिक आर्थिक भार वहन करने पर उक्त पुल का निर्माण रेल-रोड पुल के तौर पर हो सकेगा ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं।

*८---श्री मदन पांडेय---क्या वर्डघाट (गोरखपुर जिला) तथा दोहरी घाट (आजमगढ़ जिला) पुलों के निर्माण के संबंध में भी सरकार इस प्रकार की निर्माण व्यवस्था पर गौर कर रही है जिसमें भविष्य की रेल संबंधी योजनाओं के भी कार्यान्वित होने में यह पुल सहायक हो सके अर्थात् रेल रोड पुल बन सके ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं।

श्री मदन पांडेय---मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि चौकाघाट के पुल के पुनर्निर्माण की जो बातें चल रही हैं उनको देखते हुये क्या राज्य सरकार की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा जायगा ?

श्री गिरधारीलाल---वास्तव में कोई खतोकिताबत नहीं हो रही है। नार्थ ईस्टर्न रेलवे प्रादेशिक सरकार को इस संबंध में लिखा था लेकिन जो एस्टीमेट बताया गया था और जो रुपया प्राविंशियल गवर्नमेंट को देना था वह उसकी शक्ति के बाहर था वह ८ लाख कुछ रुपया रोड डेकिंग के लिये चाहते थे और अगर स्वतंत्ररूप से पुल बनाया जाता तो ५२ लाख रुपये की जरूरत थी। जैसा कि मैंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत हमारा धन इधरउधर लगा हुआ है जिसके कारण यह सरकार इस काम को अभी नहीं ले सकती। इसलिये हमने मना कर दिया।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह---क्या सरकार इस कार्य की उपयोगिता को देखते हुए केंद्रीय सरकार से इस कार्य को पूरा करने के लिये कुछ सहायता मांगने का विचार करती है ?

श्री गिरधारीलाल---केंद्रीय सरकार से सहायता हम इसलिये नहीं मांग सकते कि जो इससे भी ज्यादा जरूरी काम हैं उनके लिये भी जो सहायता मांग रहे हैं, उसमें भी उनकी अपनी कुछ दिक्कतें और परेशानियां हैं, और उनकी वजह से वे हमें पूरी सहायता नहीं दे पा रहे हैं।

श्री मदन पांडेय---इस बात को देखते हुए कि दोहरीघाट तक रेलवे लाइन है और बड़हलगंज और दोहरीघाट कंकड़ की पहाड़ी पर स्थित है जिससे नदी के रास्ता बदलने का खतरा नहीं है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि एक ऐसा प्रस्ताव उत्तरी पूर्वी रेलवे और केंद्रीय सरकार के पास भेजे जिससे रेलरोड पुल बन सके ?

श्री गिरधारीलाल---इस प्रश्न के ऊपर विचार किया गया था लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से यह जवाब आया है कि इस चीज में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर आपको पुल बनाना है तो आप स्वतंत्र रूप से पुल बनाइये।

श्री मदन पांडेय---क्या इस सिलसिले में सरकार की तरफ से ऐसा भी कोई प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के पास गया हुआ है कि रेलवे लाइन बांसगांव तहसील में निकाली जाय और इसके लिये एक उपयुक्त स्थान बड़हलगंज भी है ?

श्री गिरधारीलाल---इसकी इस वक्त मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो प्रस्ताव रेलवे मिनिस्ट्री से आपके पास आया वह किस तारीख को आया था ?

श्री गिरधारीलाल---इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी।

श्री गेंदासिंह---क्या क्षेत्रीय परिषद् में माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न को उठाने की मेहरबानी करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---यह तो बाद में सोचने की बात है।

*९-१०---श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---[१८ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में कोयले की कमी

*११---श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार कृपया आजमगढ़ जिले में १९५६-५७ में बाढ़ सहायता एवं विकास के लिये स्वीकृत कोयले के संबंध में २०-८-५७ क तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के उत्तर के क्रम में यह बतायेगी कि क्या वह केंद्रीय सरकार से अनुरोध करके ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि इस वर्ष सन् १९५७-५८ में आजमगढ़ जिले में रेलवे वैगन की कमी नहीं होने पाये और निर्धारित मात्रा में कोयला मिल सक ?

न्याय उप-मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य) ---केंद्रीय सरकार से न केवल आजमगढ़ के लिये ही बल्कि सारे प्रदेश को कोयला अधिक मात्रा में पहुंचाने का अनुरोध किया गया है।

श्री मुक्तिनाथ राय---सरकार की ओर से यह बताया गया था कि गत वर्ष आजमगढ़ जिले में वैगन की कमी के कारण पूरा कोयला नहीं दिया जा सका तो क्या इस वर्ष सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि आजमगढ़ जिले में वैगन की कमी न होने पाये ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---वैगन की कमी होने पाये या न होने पाये यह हमारे अख्तियार से बाहर की चीज है और इसी वजह से हम कुछ नहीं कह सकते कि कमी होगी या नहीं होगी।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कुल कितने वैगन कोयला आजमगढ़ जिले को एलाट हुआ है और अब तक कितना भेजा जा चुका है।

श्री सैयद अली जहीर---जो दस हजार वैगन कोयला जितना मुअय्यना है उसके अलावा सरकार ने दिया था उसमें से २३५ वैगन आजमगढ़ को ऐलाट किया गया है। इनमें स २५ जनवरी तक २२ वैगन वहां पहुंच चुका है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने कब केंद्रीय सरकार से पूरे प्रदेश के लिये कोयले का कोटा बढ़ाने के लिये मांग की थी?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो कई दफा हो चुकी है। अभी भी थोड़े दिन हुये फिर खत गया है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राज्य के अन्तर्गत हर जिलेवार जितने-जितने कोयले की खपत है उसके अनुसार केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है?

श्री सैयद अली जहीर—मैं तो कह चुका कि १० हजार वैगन पूरे सूबे के लिये दिये गये थे जिसमें से २३५ वैगन आजमगढ़ को ऐलाट किये गये, बाकी और जिलों में दिये गये। अब और जिलों में कितने-कितने एलाट किये गये इसके बारे में तो सवाल नहीं था और न मेरे पास इसका ब्योरा है।

बलरामपुर नगरपालिका से संबंधित चुंगी वसूली की शिकायतें

*१२—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बलरामपुर म्युनिसिपल बोर्ड के संबंध की चुंगी की वसूलयाबी की शिकायतें आई हैं?

स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां।

*१३—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन शिकायतों में क्या अभियोग लगाये गये थे और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री रामस्वरूप यादव—प्राप्त शिकायत में निम्नलिखित आरोप लगाये गये थे:—

(१) जून, जुलाई व अगस्त, १९५७ की अवधि में चुंगी से हुई आय पूर्व वर्ष की इसी अवधि में हुई आय से १०,८६२ रुपया ८ आना कम है।

(२) आय में कमी का कारण चुंगी कर्मचारियों तथा व्यापारियों का निजी लाभ है।

(३) चुंगी महीनों तक इकट्ठा होती रहती है और बड़ी बकाया धनराशि चुंगी कर्मचारियों व व्यापारियों के निजी लाभ के लिये छोटी रकम लेकर तय कर दी जाती है। कुछ व्यापारियों का यह नियम सा बन गया है तथा उनको ऐसा करने के लिये आक्ट्राय सुपरिंटेंडेंट ने आज्ञा दे रखी है। इन आरोपों के संबंध में उसी समय आवश्यक जांच करा ली गई थी और यह पाया गया था कि चुंगी की आय में कमी का मुख्य कारण यह था कि गोंडा जिले तथा बलरामपुर की सीमाओं में स्थित गांवों की फसल खराब हो जाने की वजह से बलरामपुर की मंडी में गल्ला न आ सका।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १०,८६२ रु० ८ आने की कमी की जो शिकायत की गई थी और जिसे मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि गल्ला कम आने की वजह से चुंगी में कमी हुई थी, तो गल्ले की कमी की वजह से चुंगी में कितने रुपये की कमी हुई?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो कहा कि चुंगी में १०,८६२ रु० ८ आना की कमी हुई। उसका कारण गल्ला कम आना था।

श्री भगवती सिंह विशारद—मंत्री जी बतायेंगे कि क्या सुपरिंटेंडेंट ने यह आज्ञा दे रखी थी कि छोटी-छोटी चुंगियों को एक करके एक जगह पर रखा जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी आज्ञा की सूचना सरकार को नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने निवेदन किया कि जिन सज्जनों ने शिकायत की थी वे व्यापारी थ, वे चुंगी के सदस्य भी थे। उनके खिलाफ चुंगी ने कार्यवाही भी की थी और उन्हें मजबूर करके कम रकम पर तसफिया भी कराया था, लिहाजा कुछ आमदनी में कमी हुई। दूसरी शिकायत का कारण यह है कि स्वयं उन पर असर पड़ रहा था, इसलिये उन्होंने शिकायत की थी।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गल्ले के कम आने की वजह से जो कमी हुई उसके अलावा और क्या अन्य कारण थे जिनकी वजह से आमदनी में कमी हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—और कोई दूसरा कारण, मैंने निवेदन किया नहीं था। यही कारण बताया था।

बांदा जिले की खोह-मानिकपुर सड़क की खराब हालत की शिकायत

*१४—श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बांदा जिले की खोह-मानिकपुर रोड जो डिस्ट्रिक बोर्ड के अधीन है ओहन बांध के निर्माण हेतु सरकारी ठेले, मशीन और बुल्डोजर आदि के आने-जाने के कारण विशेष खराब हो गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—ओहन बांध के निर्माण के सिलसिले में मशीन व ठेले इत्यादि के आवागमन से इस सड़क को कोई क्षति नहीं हुई है।

*१५—श्री जगपतिसिंह—क्या सरकार उक्त सड़क को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लेकर दुरुस्त कराने का विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री जगपतिसिंह—क्या मंत्री जी ने इस सड़क का निरीक्षण कराया है। यदि हां, तो क्या रिपोर्ट है ? यदि नहीं तो निरीक्षण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो जिला बोर्ड की सड़क है। हालत अवश्य अच्छी नहीं है, लेकिन जिला बोर्ड की ऐसी स्थिति नहीं है कि इसके ऊपर ज्यादा रुपया लगाये। सरकार का इस सड़क को लेने का विचार नहीं है।

आगरे में सहकारी दुग्ध योजना चालू करने का विचार

*१६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार मेरठ, हल्द्वानी, कानपुर और अल्मोड़ा की तरह आगरा में भी सहकारी दूध योजना चालू करने जा रही है ? अगर हां, तो कब से ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, सरकार आगरा में भी दूध योजना चालू करने जा रही है। यह योजना चालू वर्ष में ही कार्यान्वित की जायगी। परन्तु इस दुग्ध योजना के अन्तर्गत दुग्धशाला सहकारी न होकर राजकीय होगी।

सहकारी क्रेडिट सोसाइटियों द्वारा किसानों को ऋण

*१७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष में सहकारी क्रैडिट सोसाइटीज द्वारा किसानों को कितना ऋण दिया गया और वह किसानों के उस साल के कुल ऋण का कितना प्रतिशत था ?

श्री मोहन लाल गौतम—वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में सहकारी क्रेडिट सोसाइटीज द्वारा किसानों को ८ करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। यह प्रदेश की कृषि ऋण की वार्षिक आवश्यकता का लगभग ८ प्रतिशत होता है।

मुरादाबाद नगरपालिका के अवक्रमण के सम्बन्ध में सर्वश्री अब्दुल-रहमान व मुहम्मद यूसुफ के आवेदन-पत्र

*१८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास मुरादाबाद के किसी म्युनिसिपल सदस्य का भेजा हुआ कोई आवेदन-पत्र अगस्त, १९५७ में आया है, वह क्या है ? सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी हां, अगस्त, १९५७ में सरकार को नगरपालिका, मुरादाबाद के दो भूतपूर्व सदस्यों, सर्वश्री अब्दुल रहमान व मुहम्मद युसुफ, प्रत्येक, से बिल्कुल एक समान एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त आवेदन-पत्र में नगरपालिका, मुरादाबाद पर सरकार द्वारा लगाये गये आरोपों को सारहीन, झूठा व हंसने योग्य तथा उस समय की स्थिति में, जबकि बोर्ड को अपने कार्य कलापों का सुधार करने के लिये अप्रैल, १९५७ में दी गई ६ माह की अवधि पूरी नहीं हुई थी, उक्त नगरपालिका के अवक्रमण संबंधी कार्यवाही को अवैधानिक बताया गया था। सरकार ने उक्त आवेदन-पत्र पर भली भांति विचार करने के पश्चात् बोर्ड को २० सितम्बर, १९५७ से एक वर्ष के लिये अवक्रांत कर दिया।

खीरी जिलान्तर्गत धौरहरा और फिरोजाबाद परगना में न्याय पंचायतों के कार्यारम्भ न करने के कारण

*१९—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परगना धौरहरा तथा फिरोजाबाद जिला खीरी की किन-किन न्याय पंचायतों ने अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिला खीरी के परगना धौरहरा तथा फीरोजाबाद की न्याय पंचायत, १-अमेठी, २-सिसैया कलां, ३-रामनगर बगहा, ४-ईसानगर तथा ५-खमरिया पंडित ने अभी तक कार्यारम्भ नहीं किया है।

*२०—श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार इन न्याय पंचायतों के अब तक कार्य प्रारम्भ न करने के कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—न्याय पंचायतों के कार्यारम्भ न करने के कारणों का उल्लेख संलग्न में किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५७२ पर)

*२१-२३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[११ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगितक किये गये]।

स्थानीय निकायों के चुनाव में मतदान की नयी प्रक्रिया के सम्बन्ध में शिकायत

*२४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार के पास इस बात की शिकायत आई है कि हाल के म्युनिसिपल बोर्ड टाऊन एरिया व नोटीफाइड एरिया के गत चुनाव में जो बैलट पेपर प्रचलित किये गये थे उनके फलस्वरूप वोटर स्वतंत्रतापूर्वक वोट नहीं दे सके और न उनके वोट गुप्त रह सके ?

श्री रामस्वरूप यादव—वोटरों के वोट गुप्त नहीं रह सके ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई। केवल पांच शिकायतें इस प्रकार की आई हैं कि प्रेसाइडिंग या पोलिंग अफसरों ने निरक्षर (Illiterat) वोटरों के बतलाने के अनुसार निशान नहीं लगाये या उनसे बिना पूछे लगाये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—यह जो शिकायत सरकार के पास आयी इसकी क्या सरकार ने जांच करायी और अगर जांच करायी तो क्या परिणाम हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—उन वोटरों ने शिकायत नहीं की थी जिन्होंने वोट डाले थे, जिलाधीशों ने उनकी जानकारी की तो उसमें कोई सत्यता नहीं पायी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि झांसी शहर में कुछ पोलिंगों के स्टाफ के कुछ कर्मचारियों को वहां के एलेक्शन आफिसर ने इसलिए मुअत्तल और तब्दील किया था कि उन्होंने निरक्षर वोटरों के निशान मनमाने तरीके से लगा दिए थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी जानकारी तो, श्रीमन्, इस समय नहीं है। नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—निरक्षर वोटरों की संख्या अधिक होने के कारण यह प्रणाली दोषपूर्ण है, तो क्या सरकार इस प्रणाली को समाप्त करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—पिछले चुनाव में कुल ३.४ प्रतिशत ऐसे वोटर थे जिन्होंने कि प्रेसाइडिंग आफिसर और पोलिंग आफिसरों से वोट डालने में सहायता मांगी इसलिए प्रत्यक्ष में तो मालूम नहीं पड़ता है कि इस प्रणाली को बदलने की जरूरत है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भावी आम चुनाव जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का होने वाला है उसमें पुरानी प्रणाली को प्रयोग में लाने के ऊपर वह विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—जब यह विधेयक सदन के सामने आयेगा उस वक्त आप यह प्रश्न पूछ लें।

*२५-२६—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[१८ फरवरी, १९५८ के लिये लिये स्थगित किये गये।]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैनपुरी जिले की सड़कों को न लेना

*२७—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मैनपुरी जिले में कौन-कौन सी सड़कें पक्की की जायेंगी और उनकी पृथक पृथक लम्बाई क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैनपुरी जिले की कोई भी सड़क पक्की नहीं की जायगी।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैनपुरी जिले के अन्दर एक भी सड़क को पक्का न करने के क्या कारण हैं ?

श्री गिरधारीलाल—उसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि हर गवर्नमेंट की जो पालसी है वह स्टार ऐंड ग्रिड फार्मूले के मुताबिक कार्य करती है। मैनपुरी के अन्दर थोड़े से मीलों की कमी रहती है। वहां २८३ मील होना चाहिए जिसमें से लगभग २७० मील वहां पर है। १२, १३ मील की कमी है। इसके अलावा और बहुत से काम हैं जो वहां पर इस वक्त किये जा रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि ऐसे जिलों में अकेला मैनपुरी ही है जहां पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई सड़क पक्की नहीं की जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—अब इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी। यह भी हो सकता है कि मैनपुरी में सब की सब सड़कें पक्की हों और उनको पक्का करने की जरूरत ही न हो।

चुंगी कार्यालय को २४ घंटे खुला रखने के सम्बन्ध में बरेली नगरपालिका को पत्र

*२८—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने बरेली नगरपालिका को ऐसा आदेश दिया है कि वह चुंगी की वापसी की तसदीक के लिये हेड आफ्टाय आफिस और ब्रांच आफिस चौबीसों घंटे खुले रखे ?

श्री रामस्वरूप यादव—म्युनिसिपल एकाउन्ट कोड के नियमों के अन्तर्गत नगरपालिकाओं के लिये यह आवश्यक है कि वे चुंगी की वसूली तथा नगरपालिका से बाहर जाने वाले माल की तसदीक के लिये अपने मुख्य चुंगी कार्यालय तथा शाखा चुंगी कार्यालयों को प्रत्येक दिन २४ घन्टे खुला रखें। उन नियमों के अन्तर्गत उनके लिये यह भी आवश्यक है कि वे उपर्युक्त कार्यालयों को चुंगी वापस करने के लिये प्रत्येक दिन जितने घन्टे आवश्यक समझें खुला रखें। नगरपालिका बरेली का ध्यान इन अनिवार्य नियमों की ओर आकर्षित करते हुये उससे यह पूंछा गया है कि वह उनका पालन क्यों नहीं करती।

*२९—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—यदि हां, तो क्या सरकार उस आज्ञा की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—नगरपालिका, बरेली को जो पत्र लिखा गया है उसकी प्रतिलिपि मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५७३ पर)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसा आदेश देने के लिये बरेली मर्चेन्ट्स की तरफ से सबसे पहले कब सरकार के पास प्रार्थना-पत्र आया था और जो आदेश दिया गया उसका नगरपालिका ने क्या उत्तर दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव—बरेली मर्चेन्ट्स की तरफ से लगभग एक साल हुआ प्रार्थना-पत्र आया था। नगरपालिका ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया है, लेकिन इसी सम्बंध में हाईकोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी नगरपालिका के इस मेंडेटरी प्राविजन्स के पालन के लिये कोई आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—हाईकोर्ट में मुकदमा फैसल हो जाने के बाद सरकार के लिये उचित होगा कि वह ऐसा आदेश भेजे।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या इस प्रकार का आदेश केवल बरेली नगरपालिका को ही दिया गया है या अन्य नगरपालिकाओं को भी ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो जवाब में ही निवेदन किया कि रूल्स में दिया हुआ है कि हर नगरपालिका के लिये आवश्यक है कि वह २४ घंटे खोले रक्खेंगी, कहीं से शिकायत आती है तो सरकार नगरपालिका से इस संबंध में पूंछती है कि वह इसका पालन क्यों नहीं कर रही है।

*३०-३१—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—[१८ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

खीरी जिला बोर्ड को बाढ़ ग्रस्त सड़कों और भवनों के निर्माण के लिये सहायता

*३२—श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थिति)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बोर्ड खीरी को सन् १९५५ तथा ५६ में कितना रुपया सड़कों के निर्माण के लिये (Scarcity Fund) से दिया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिला बोर्ड, खीरी को सन् १९५५ तथा ५६ में बाढ़ से क्षति ग्रस्त सड़कों तथा भवनों की मरम्मत के लिये निम्नलिखित अनुदान दिए गए थे :—

	रु०
१९५४-५५	१,००,०००
१९५५-५६	६५,०००

Scarcity Fund से कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

म्युनिसिपल बोर्ड टांडा के चुनाव के लिये पोलिंग अफसरों की नियुक्ति

*३३—श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करे गी कि म्युनिसिपल बोर्ड टांडा (फैजाबाद) के चुनाव के लिये पोलिंग अफसरों की नियुक्ति किस तारीख को की गई थी और क्या इससे पहले भी किसी तिथि को उनकी सूची अन्तिम रूप से तैयार (finalize) हो चुकी थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—म्युनिसिपल बोर्ड टांडा के चुनाव के लिये पोलिंग अफसरों की सूची १ अक्तूबर को अन्तिम रूप से तैयार हो गई थी और उसी के पश्चात उनको उसकी सूचना भी दे दी गयी थी ।

*३४—श्री देवीप्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)—पोलिंग अफसरों की लिस्ट कितनी बार बदली गई और क्यों बदली गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जो पोलिंग अफसर टांडा के चुनाव के लिए नियुक्त किये गये थे उनमें अधिकांश स्थानीय व्यक्ति भी थे । कुछ उम्मीदवारों नें ऐसा सन्देह प्रकट किया कि स्थानीय अफसरों के होने से निष्पक्ष चुनाव न हो सकेंगे । इस विचार से कि ऐसे सन्देह या शिकायत का अवसर न देना अच्छा ही होगा जो स्थानीय व्यक्ति थे उनको दूसरी जगहों पर भेज दिया गया और और स्थानों के व्यक्तियों को टांडा में पोलिंग अफसर के रूप में नियुक्त कर दिया गया ।

पीलीभीत डिवीजनल फारेस्ट आफिसर के कार्यालय से अग्नि पीड़ितों को सहायता की स्वीकृति

*३५—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन के देवरिया रेंज में गत वर्ष (सन् १९५६-५७) कितने आग लगे गांवों के प्रार्थना पत्र घास फूस व लकड़ी के लिये प्राप्त हुये और उनमें से कितने गावों को माफी मिली ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पीलीभीत डिवीजनल फारेस्ट आफिसर के दफ्तर में इस प्रकार के पचास प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे तथा उन सब प्रार्थियों को यह पदार्थ बिना मूल्य प्रदान किय गये ।

*३६—श्री मुनीन्द्रपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष उक्त रेंज में आग लगे गांव के अलावा कितने गांवों के प्रार्थना-पत्रों पर उनको माफी दी गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिलाधीश, पीलीभीत के अनुमोदित बीजक (इन्डेन्ट) के अनुसार गत वर्ष में इसीरेंज के आग लगे गांवों के अतिरिक्त, २६कनसेशिनष्ट ग्रामों को भी माफी दी गई ।

श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या सरकार गांव वालों के फारेस्ट राइट्स को परमानेन्ट्ली तय करने का विचार रखती है ?

श्री सैयद अलीजहीर—इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी हो चुके हैं और इस पर आगे विचार भी हो रहा है ।

श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—जब रिजर्व फारेस्ट में आलरेडी राइट होल्डर्स की लिस्ट है तो जो नया जमींदारा-फारेस्ट गवर्नमेंट में आया है उसमें पर्मानेन्टली राइटहोल्डर्स की लिस्ट क्यों नहीं बनायी जाती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके सम्बन्ध में सेटिलमेंट की कार्यवाही ही रही है ।

देवरिया जिले में राशन की दुकानों से गल्ले का वितरण

*३७—श्री उग्रसेन—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १-४-१९५७ से १०-९-१९५७ तक देवरिया के राशन की दुकानों में कितने हजार मन गल्ले का वितरण हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—देवरिया जिले में राशन की दुकानों से १-४-१९५७ से १०-९-१९५७ तक वितरित किये गये गल्ले की मात्रा निम्नलिखित हैं :

(१) गेहूं	.. .. ..	२,४६,३१० मन
(२) चना	.. .. ..	५७,४०७ मन
(३) बेझर	.. .. ..	५,७५२ मन
	योग ..	३,०९,४६९ मन

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस अवधि के अन्दर बेझर का इतना कम वितरण क्यों हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—लोगों ने कम खरीदा ।

श्री उग्रसेन—क्या यह बात सच नहीं है कि बेझर पहले दुकानों पर दिया ही नहीं गया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—नहीं, यह बिलकुल सत्य नहीं है ।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि बहुत सी दुकानों ने अनाज नहीं लिया है, इसलिये इधर कुछ अनाज की कम बिक्री हुई है ?

श्री सैयद अलीजहीर—जहांतक हमारी इत्तलाआत हैं, इस वक्त दुकानों से कम अनाज उठ रहा है और उसकी वजह से मुमकिन है कि बहुत सी दुकानों ने न लिया हो ।

श्री व्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार को यह मालूम है कि बांटा गया गल्ला कुछ खराब किस्म का था और लोगों न उसको खरीदना नापसंद किया, क्योंकि सड़ा हुआ था ?

श्री सैयद अली जहीर---इस किस्म की दो एक शिकायतें मेरे पास आयी हैं, लेकिन जब तहकीकात करायी गयी और रिपोर्ट आयी तो मालूम हुआ कि ये शिकायतें गलत थीं ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में आर० एफ० सी० विभाग के उच्च अफसरों नें जांच की है और उन्होंने गल्ले में गन्दगी और कूड़ा-करकट पाया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है, वैसे विभागीय अफसर जांच करते रहते हैं ।

*३८-३९---श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी)---[६वें बुधवार के प्रश्न संख्या ७६-७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४०---श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी---[१८ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित गया ।]

देवरिया जिले में रामपुर सुवेस छपरा कोआपरेटिव सोसाइटी केन्द्र, तरकुलवा में गबन

*४१---श्री उग्रसेन---क्या सहकारी मंत्री को ज्ञात है कि देवरिया जिल में रामपुर सुवेस छपरा कोआपरेटिव सोसाइटी केन्द्र तरकुलवा में गत सितम्बर मास अथवा उसके कुछ पूर्व गबन हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम---ऐसा सन्देह किया जाता है । जांच जारी है ।

*४२---श्री उग्रसेन---क्या उक्त गबन का सम्बन्ध १७,००० रुपये की धनराशि से है ? क्या कोआपरेटिव सोसाइटी के कुछ अधिकारी भी उससे सम्बन्धित हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, समिति के सरपंच पर इस गबन का सन्देह किया जाता है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर सुवेस छपरा कोआपरेटिव सोसाइटी केन्द्र तरकुला में जो गबन हुआ है उसकी जांच किसके द्वारा करायी जा रही है और कब से जांच जारी है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह केस पुलिस को दे दिया गया है और अभी जांच जारी है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां के सरपंच के पास १७,००० रुपया कैसे चला गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---सरपंच ने यह रुपया वसूल किया था बैंक में जमा करने के लिये और बैंक में जमा नहीं किया बल्कि बैंक वालों से रसीद ले ली यह कह करके कि हम १५,१०० रुपये के कर्ज के लिये अभी दरख्वास्त देंगे, उसमें मुजरा कर ली जियेगा, और उसकी वजह से यह गबन हुआ है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि यह मामला पुलिस को किस तारीख को दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह ७-१२-१९५७ को दिया गया ।

श्री रामायणराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की एक कमेटी बना दी गयी थी इस मामले की जांच के लिए । उस कमेटी की क्या रिपोर्ट है ?

श्री मोहनलाल गौतम—वह इस वक्त मेरे पास नहीं है और मैं समझता हूं कि जब पुलिस के सामने यह जांच हो रही है तो इसमें ज्यादा विस्तार में मैं जाऊं तो यह मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना देंगे कि १७,००० रुपये की रकम जो सरपंच को सुपरवाइजर द्वारा मिली वह कई सोसाइटियों की रकम थी, या केवल उसी सोसाइटी की थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, यह कई सोसाइटियों की रकम है और उसमें सुपरवाइजर मुअत्तल भी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सहकारिता विभाग ने पुलिस से पूछ-ताछ की है कि ११ महीने बीत जाने पर भी पुलिस ने रिपोर्ट क्यों नहीं दी ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस प्रश्न में तो कई चीजें मानकर चले हैं । रिपोर्ट कम्पलीट नहीं हुई है, अगर कम्पलीट हो गई होती तो मेरा खयाल है कि आ गयी होती । लेकिन यह मामला तो ७ दिसम्बर, १९५७ को दिया गया है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १७,००० रुपये के गबन के सिलसिले में कोई स्पेशल आडिट कराया गया है और उसकी कोई रिपोर्ट श्रीमान् जी के पास है ?

श्री मोहनलाल गौतम—अभी आडिट का प्रश्न नहीं उठता है । यह जून सन् १९५७ का मामला है, सितम्बर, १९५७ में पता लगा और दिसम्बर में थोड़ा बहुत देखकर उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया । बहुत ज्यादा आडिट का सवाल नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना है कि इस गबन में देवरिया प्रापर्टी बैंक के भी कुछ लोगों का हाथ है ?

श्री मोहनलाल गौतम—डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव, देवरिया के मैनेजर, कैशियर तथा असिस्टेंट एकाउटेंट, मुअत्तल कर दिये गये हैं ।

सरकारी प्रबन्ध के अधीन कानपुर सहकारी पय-परिषद् को लाभ

*४३—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर सहकारी पय-परिषद् को किन कारणों से सरकार ने अपने प्रबन्ध में लिया था और सरकार के सीधे प्रबन्ध में उक्त पय-परिषद् को कुल कितना लाभ हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—कानपुर सहकारी पय-परिषद् को सरकार ने निम्नलिखित कारणों से अपने प्रबन्ध में लिया था—

(१) दैनिक कार्य में कुप्रबन्ध,

(२) विभागीय आदेशों की अवहेलना,

(३) व्यापार तथा लेखा सम्बन्धी अनियमितता ।

(४) उत्तरोत्तर हानि को रोकने में संचालक मंडल की असमर्थता,

(५) धनराशि का दुरूपयोग । सरकार के प्रबन्धकाल में उक्त पय-परिषद् को ८९,८९९ रु० depreciation को ओर निकाल कर ३,३८४ रु० का लाभ हुआ ।

*४४—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार द्वारा उक्त पय-परिषद् को अब तक कुल कितना रुपया सहायता के रूप में दिया गया है, सीधे सरकार के द्वारा प्रबन्ध के समय कितना और संस्था द्वारा प्रबन्ध के समय कितना ?

श्री मोहनलाल गौतम—उक्त पय-परिषद् को सरकार द्वारा अब तक कुल ५,६६,१८३ रु० सहायता के रूप में दिये गये हैं यह कुल धनराशि संस्था द्वारा प्रबन्ध के समय में ही दी गई थी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब इस संस्था में क्या लाभ हो रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस संस्था को फिर से कोआपरेटिव सोसाइटी को दे दिया गया है और इस समय इसमें लाभ नहीं हो रहा है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पय-परिषद् के अधिकारी, जिनके कारण उनसे अधिकार छीन लिये गये थे, पुनः वही निर्वाचित कर लिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—अगर अधिकारियों से मतलब है नान-आफीशियल्स का तो जब तक सरकार का प्रबंध रहेगा तो उसके पास यह रहेगी और जब इसको वापस किया जायगा कोआपरेटिव सोसाइटी को तो जो भी लोग चुनकर आ जायंगे, जब तक वह हटा न दिये जांय, उन्हीं के पास जायगी । किसी के हाथ में दी गई, यह नहीं, यह सोसाइटी को दी गई ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जब माननीय मंत्री जी को अनुभव हो चुका है कि पय-परिषद् के अधिकारी अयोग्य हैं और फिर भी वह निर्वाचित होते हैं तो क्या उनके खिलाफ कानून के अनुसार कोई कार्यवाही की जायगी ।

श्री मोहनलाल गौतम—अभी तक कोई अधिकार नहीं है कि अगर किसी कोआपरेटर की गलती से सोसाइटी को नुकसान हो जाय तो उसको वहां से निकाल दें ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी पय-परिषद् नुकसान में चल रहा है तो उसको लाभकारी बनाने के लिये क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में धन के दुरुपयोग का चार्ज बताया है तो क्या उनके खिलाफ कोई लीगल स्टेप्स लिये जा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—दुरुपयोग के माने, कोई गबन उसमें नहीं है, फजूलखर्ची और जरूरत से ज्यादा खर्च करने की बात है और कोर्ट में ऐसे मामले नहीं जा सकते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—यह पय-परिषद् सरकार के कब्जे में कितने दिन रहा और किन आधारों पर पुनः इसको वापस कर दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस समय आंकड़े नहीं हैं । मैं इसका नोटिस चाहता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी इस सुझाव को सरकार की निगाह में रखेंगे कि जब कानून में खामी पायी गयी कि किसी अपराधी अधिकारी को चुने जाने से रोका नहीं जा सकता है तो कानून में परिवर्तन करने की बात वह सोचेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सरकार के विचाराधीन है कि जिन नान-आफिशल्स के द्वारा कोआपरेटिव मूवमेंट में काफी हानि हो जाय उनको मूवमेंट से कैसे दूर रखा जाय और अगर जरूरत हुई तो इसको कानून में लाने की कोशिश की जायगी ।

*४५—श्री रामस्वरूप वर्मा—[७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

अलीगढ़ जिले में ईंटों के भट्ठे वालों से कोयले के लिये धन जमा कराना

*४६—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में सन् १९५६-५७ में नये ईंटों के भट्टे चलाने वालों से कोयला देने के लिए कितना-कितना रुपया जमा कराया था ?

श्री सैयद अली जहीर—४०,७०० रुपया ।

*४७—श्री रामप्रसाद देशमुख (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इन भट्टा चलाने वालों में से कुछ को कोयला दिया गया बाकी को नहीं दिया गया जब कि उनका रुपया जमा था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—उन सभी का जिन्होंने रुपया जमा किया था कोयला अलाट किया गया । कुछ लोगों को कोयला पहुंचा और कुछ को नहीं पहुंच सका ।

*४८—श्री रामप्रसाद देशमुख (अनुपस्थित)—क्या जिनको कोयला नहीं मिला है उनसे एक साल के बाद रुपया उठाने के लिए कहा जा रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—मई, १९५७ में यह आदेश भेज दिया गया था कि जिन्हें कोयले की प्राप्ति नहीं हुई वे अपना जमा रुपया वापिस ले लें । जिन लोगों ने रुपया वापिस नहीं लिया है उनको जिलाधीश ने वापिस लेने के लिये कहा है ।

*४९—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—[१८ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५०—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—[१८ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

बुलन्दशहर जिले की दीवानी व फौजदारी अदालतों में विचाराधीन मुकदमें

*५१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की दीवानी व फौजदारी अदालतों में कितने-कितने मुकदमें ३ वर्ष से अधिक के, २ वर्ष से अधिक के और १ वर्ष से अधिक के हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—फौजदारी अदालतों के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :

(१)	एक वर्ष से अधिक के मुकदमों की संख्या	१३
(२)	दो वर्ष से अधिक के मुकदमों की संख्या	३
(३)	तीन वर्ष से अधिक के मुकदमों की संख्या	०

२—दीवानी अदालतों के सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

मैनपुरी नगरपालिका की जल-कल योजना

*५२—श्री मलिखानसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी नगरपालिका की जल-कल योजना कब तक पूर्ण होगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—नगरपालिका, मैनपुरी की जल-कल योजना पूर्ण तो हो चुकी है परन्तु अभी तक विद्युत् शक्ति उपलब्ध न होने के कारण जलदाय-गृह से जल वितरण नहीं हो सका है क्योंकि स्थानीय विद्युत् कम्पनी ने विद्युत् शक्ति प्रदान करने में असमर्थता प्रकट की है । इसके लिए कार्यवाही जारी है ।

श्री मलिखानसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वहां की विद्युत कम्पनी ने बिजली देने में असमर्थता क्यों प्रकट की है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उनका नगरपालिका से सीधे कंट्रैक्ट था लेकिन वह स्वयं बिजली पदा नहीं कर रहे हैं, सरकार से ली है । अब अगर जल-कल योजना के लिये जायद बिजली चाहिये तो उनको ५,००० रुपये जमा करने हैं, वह अभी उन्होंने जमा नहीं किये हैं ।

श्री मलिखानसिंह---जब मैनपुरी नगर में १०,००० किलोवाट का पावर हाउस तैयार हो गया है फिर यह कठिनाई क्यों उपस्थित हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार को बिजली देने में आपत्ति नहीं है लेकिन मैनपुरी नगर-पालिका के क्षेत्र में लायसेन्सीज हैं और जबतक लायसेन्सीज स्वयं बिजली न लें तबतक सरकार सीधे नगरपालिका को दे नहीं सकती जबतक लायसेन्सीज के लायसेन्स कैन्सिल न करा दिये जांय ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय यह जल-कल योजना बनाई गयी थी उस समय क्या बिजली कम्पनी से बातचीत करके तय नहीं किया गया था कि इसके लिये आवश्यकतानुसार बिजली वह दे सकेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---बिजली कम्पनी और नगरपालिका ने तो पहले ही तय कर लिया था लेकिन जो बिजली कम्पनी है वह बिजली नहीं दे पा रही है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ५,००० रुपये जमा नहीं हो सके वह नगरपालिका नहीं जमा कर सकी या लायसेन्सी नहीं जमा कर सके ?

श्री रामस्वरूप यादव---लायसेन्सीज नहीं जमा कर सके ।

मैनपुरी नगरपालिका के अन्तर्गत सड़कों की खराब हालत

*५३---श्री मलिखान सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी नगरपालिका की सड़कों की हालत खराब है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---जलकल-योजना के निर्माण कार्य के अन्तर्गत सभी सड़कों की खुदाई की गई थी जिसके फलस्वरुप उनकी दशा खराब हो गई ।

श्री मलिखानसिंह---क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि उसकी खुदाई होने के बाद उन सड़कों को ठीक कराने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जल-कल योजना भी नगरपालिका की होती है और उन्हीं की सड़कें खुदी हैं । नगरपालिका ही स्वयं उनको ठीक करायेगी ।

मैनपुरी जिले में दफा १०७ के मुकदमें

*५४---श्री मलिखान सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सन् १९५६ व १९५७ में कितने १०७ के मुकदमें चलाये गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सन् १९५६ में २३३ और सन् १९५७ में २१५ ।

श्री मलिखानसिंह---क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि इन दो वर्षों में १०७ के इतने मुकदमें चलने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ी ।

श्री मलिखानसिंह---१०७ किस स्थिति में चलाया जाता है क्या यह सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो माननीय सदस्य को स्वयं जानना चाहिये ।

श्री मलिखानसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १०७ का प्रयोग सरकारी कर्मचारियों द्वारा वहां की राजनीतिक पार्टियों के लोगों पर भी किया जाता है ?

श्री सैयद अलीजहीर—यह तो कानून है । इसके अन्दर जो आयेगा उस पर ही यह लागू होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा सुझाव है कि कानून को संशोधन करके धारा १०७, १०९ और ११० को समाप्त किया जाय या इनको कोई दूसरा रूप दिया जाय ?

श्री सैयद अलीजहीर—जी नहीं, मेरे पास ऐसा कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है ।

श्री व्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार को यह मालूम है कि यह इन चलाये गये मुकदमों में कितने सरकार की तरफ से चलाये गये हैं और कितने निजी प्रार्थना-पत्रों पर ?

श्री सैयद अलीजहीर—यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

*५५—श्री रामचन्द्र विकल—[६वें बुधवार के प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

शाहजहांपुर जिले के कुछ जंगली भाग को पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन में मिलाना

*५६—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या सरकार लखीमपुर दक्षिणी फारेस्ट डिवीजन के शाहजहांपुर जिले में हरदोई ब्रांच नहर के निकट के जंगल को पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन में मिलाने का विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पोवायन रेन्ज के पिपरा बीट नं० १ को, जो शारदा नहर के हरदोई शाखा में है, दिनांक १ जनवरी, १९५८ से दक्षिणी खीरी फारेस्ट डिवीजन से पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन में स्थानान्तरित कर दिया गया है । यह स्थानान्तरण इस कारण किया गया है कि यह बीट पोवायन रेन्ज के अन्य क्षेत्रों से अलग है, लेकिन पीलीभीत फारेस्ट डिवीजन के देवरिया रेन्ज के क्षेत्रों के सन्निकट है ।

श्री मुनीन्द्रपालसिंह—यह पिपरा बीट नं० १ आरम्भ से ही पीलीभीत डिवीजन में क्यों नहीं मिलाया गया ?

श्री सैयद अलीजहीर—इसको मैं क्या कह सकता हूं कि कैसे शुरू में यह अलग रखा गया ।

श्री मुनीन्द्रपालसिंह—उस बीट का कुल एरिया इस वक्त कितना है और पहले जब मिलाया गया था, तब कितना था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय का एरिया तो है लेकिन शुरू में कितना था यह कहना कठिन है । इस समय इस प्रकार है :—

		एकड़
नवादिया	बांबी	१२००
नागरा	नवादिया	६०
गहलूआ	.. .. ..	७३५
बारीबारा	.. .. ..	७०५

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह तब्दीली करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और एसा क्यों किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह तो प्रश्न में है, क्योंकि यह बीट फारेस्ट डिवीजन देवरिया रेन्ज के सन्निकट है इसलिये यह स्थानान्तरण किया गया ।

धौलपुर-भरतपुर सड़क के कुछ भाग को पक्का करने की प्रार्थना

*५७—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार धौलपुर से भरतपुर के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नवनिर्मित की गई पक्की सड़क के उस बीच के टुकड़े को जो उत्तर प्रदेश राज्य में आता है और अभी तक कच्चा ही पड़ा है पक्का कराने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है । यदि वह कथित टुकड़े के निर्माण की लागत के बराबर धनराशि अनुदान के रूप में दे देती है तब इसका निर्माण कराया जायगा ।

*५८—श्री मोतीलाल अवस्थी—[१८ फरवरी, १९५८ के लिये स्थागित किया गया ।]

बरेली में स्थानीय निकायों के चुनाव में लगे सरकारी कर्मचारियों को मतदान की सुविधा न मिलना

*५९—श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले लोकल बाडीज के चुनाव में बरेली में कितने सरकारी कर्मचारी पोलिंग के निमित्त ड्यूटी पर लगाये गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—पिछले स्थानीय निकायों के चुनाव के सम्बन्ध में बरेली जिले में केवल ८५४ सरकारी कर्मचारी पोलिंग के निमित्त ड्यूटी पर लगाये गये थे ।

*६०—श्री नवलकिशोर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उनमें से कितनों को पोस्टल बैलट द्वारा अपना मत देने की सुविधा प्रदान की गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—चूंकि इन सरकारी कर्मचारियों में से किसी ने भी निर्धारित समय के अन्दर पोस्टल बैलट द्वारा मतदान देने की इच्छा नहीं जाहिर की थी अतः एक भी पोस्टल बैलट इस सम्बन्धी में निर्गम (issue) नहीं किया गया ।

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी पोलिंग पर लगायी गयी थी, उनको इस बात की सूचना थी कि कितने टाइम के अंदर वे अपने बैलट पेपर्स के लिये एप्लाई कर दें ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकारी कर्मचारियों को अलाहिदा से कोई सूचना नहीं दी जाती । इसके लिये तो नियम बने हुए हैं और उनकी जानकारी उन्हें होनी चाहिये और वे उनके अनुसार पोस्टल बैलट ले सकते हैं ।

श्री नवलकिशोर—क्या यह सही है कि इनमें से काफी संख्या में लोगों ने पोस्टल बैलट के लिये एप्लाई किया था और डिस्ट्रिक्ट एलेक्शन आफिसर ने केवल टेक्निकल ग्राउन्ड पर ही उन लोगों को बैलट पेपर ईश्यू नहीं किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने निवेदन किया कि समय के अन्दर किसी ने ऐसा आवेदन पत्र नहीं दिया था । संभव है समय के बाद दिया हो, तो वह अर्जी खारिज हो गयी होगी ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी को यह पता है कि इन बैलटों के खुलने पर कोई पोस्टल बैलट वहां खुला भी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---कोई पोस्टल बैलट इश्यू ही नहीं हुआ, तो खुलने का सवाल ही नहीं पैदा होता ।

श्री जगवीर सिंह---क्या यह सही है कि जिस समय इन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी उस समय पोस्टल बैलट के लिये दरख्वास्त देने का समय निकल चुका था ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं, ऐसा नहीं है ।

श्री नवलकिशोर---क्या यह सही है कि ५, ६ सरकारी अफसरों के लिये बैलट पेपर इश्यू किया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव---मेरी सूचना तो यही है कि एक भी अफसर को बैलट पेपर इश्यू नहीं किया गया ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या इस बात का ध्यान रखते हुए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट एक्सरसाइज करने से वंचित रह गये, सरकार और जांच करने की कोशिश करेगी, जिससे आगे के लिये सुविधा हो सके ?

श्री रामस्वरूप यादव---जांच किसी स्पेसिफिक शिकायत की की जा सकती है । स्पेसिफिक शिकायत आने पर जांच की जा सकती है ।

राज्य में रीजनल, डिप्टी रीजनल और प्राविंशियल मार्केटिंग अफसर

*६१---श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में कितने रीजनल, डिप्टी रीजनल और मार्केटिंग अफसर हैं तथा उनके क्या-क्या कर्तव्य हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्रान्त में ४ रीजनल, १४ डिप्टी रीजनल और १ प्राविंशियल मार्केटिंग आफिसर हैं । उनके कर्तव्य संलग्न सूची में दिये गये हैं ।

(देखिये तत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५७४ पर)

*६२---श्री रामसिंह चौहान वैद्य---क्या उनका यह भी कर्त्तव्य है कि खरीद स्थानों पर अन्न की जांच करके नमूने ले और उसकी रिपोर्ट रीजनल फूड कन्ट्रोलर को दें ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---साधारणतया सभी रीजनल अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वह जो अनाज स्टाक में लिया हुआ रक्खा है उसकी जांच नमूने लेकर क्वालिटी तथा स्टोरेज के दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार देखें और यदि आवश्यक समझें तो उसकी सूचना रीजनल फूड कन्ट्रोलर को दें ।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो अन्न की जांच करना उनका कर्तव्य था, उसके बारे में कोई शिकायत भी आयी थी ?

श्री सैयद अलीजहीर---इस वक्त तो मुझे किसी ऐसी शिकायत का खयाल नहीं है । अलग से सवाल पूछें तो शायद मैं बता सकूं ।

गोरखपुर जिले में महराजगंज-बागापार सड़क पर रेहाव नदी के पुल की आवश्यकता

*६३---श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में स्थित महाराजगंज से बागापार जाने वाली सड़क पर रेहाव नदी पर कोई पुल बनाने का विचार कर रही है । यदि हां, तो कब ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं ।

*६४—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—[१८ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

उन्नाव जिले में पंचायत मंत्रियों को वेतन न मिलने की शिकायत

*६५—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिले में पंचायत मंत्रियों का वेतन पिछले चार महीने का नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—उन्नाव जिले में अवकाश पर रहने वाले पंचायत मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य समस्त पंचायत मंत्रियों के वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।

*६६—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या पंचायत मंत्रियों उन्नाव को दो रुपया सालाना तरक्की मिलती है वह उन्नाव जिले के मंत्रियों को नहीं मिल रही है और उनकी तरक्की का वेतन बकाया में पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—उन्नाव जिले के पंचायत मंत्रियों को दो रुपये की सालाना वेतन वृद्धि दी जा रही है ।

श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बकाया वेतन का भुगतान कब किया जा चुका है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस वक्त तो बकाया नहीं है । उसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अवकाश पर रहने वाले मन्त्रियों के वेतन का कब तक भुगतान हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—जहां से मांग आती जाती है वहां का भुगतान जारी है और जहां से मांग अभी नहीं आई है वहां का भुगतान नहीं हो सका ।

आम चुनाव में काम करने वाले झांसी जिला बोर्ड के अध्यापकों को यात्रा भत्ता

*६७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने झांसी जिला बोर्ड के उन अध्यापकों को जिन्होंने कि गत आम चुनाव में काम किया था टी० ए० दिया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उन समस्त अध्यापकों में से, जिनका यात्रा भत्ता बिल आया ७३१ अध्यापकों को भत्ता दिया जा चुका है । शेष ७१ अध्यापकों के बिल छः मास से अधिक व्यतीत हो जाने के कारण pre-audit के लिए एकाउन्टेन्ट जनरल को भेजे जा चुके हैं । इनका भुगतान बाकी है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन अध्यापकों का भत्ता दिया जा चुका है उनमें से कितने लोगों का मेरे प्रश्न करने से पहले दिया गया और कितनों का बाद में ?

श्री सैयद अलीजहीर—यह तफ़सील इस वक्त मौजूद नहीं है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों का अभी भत्ता नहीं दिया गया उनके बिल ६, ६ महीने तक पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वह बिल ज्यादा देर से आये हैं और बिल देर से आने के कारण ६ महीने निकल जाने पर उनको प्रिआडिट के लिये भेजा गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इन अध्यापक आदि कर्मचारियों के, जिन्होंने आम चुनाव में काम किया, डी० ए० आदि के नियम इलेक्शन कमिश्नर ने बनाये हैं या प्रान्तीय सरकार ने ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे खयाल में दोनों के मशविरे से बने हैं ।

हाउस एलाटमेंट कमेटी, अल्मोड़ा के सदस्य

*६८---श्री गोविन्द सिंह विष्ट---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा नगर की वर्त्तमान हाउस एलाटमेन्ट कमेटी किसने कब व किस नियमों के आधार पर, कितने काल के लिये बनाई तथा उसके सदस्यों को किस योग्यता के आधार पर लिया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अल्मोड़ा नगर की वर्त्तमान हाउस एलाटमेन्ट कमेटी, अन्य नगरों की भांति, राज्य-सरकार ने जिलाधीश को मकानों तथा दुकानों के एलाटमेन्ट के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये जनवरी सन् १९५८ में बनाई है । यह कमेटी दो साल तक कार्य करेगी । किसी स्कूल अथवा कालेज के हेड मास्टर या प्रिंसिपल तथा दो प्रमुख नागरिक अथवा जन-सेवक इस कमेटी के सदस्य हो सकते हैं ।

*६९---श्री गोविन्द सिंह विष्ट---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्त्तमान हाउस व शाप एलाटमेन्ट कमेटी अल्मोड़ा के कौन सदस्य हैं और नये सदस्यों का कब चुनाव होगा?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अल्मोड़ा की हाउस एलाटमेन्ट कमेटी के वर्त्तमान सदस्य निम्नलिखित हैं :-

(१) जिलाधीश, अल्मोड़ा .. .. सभापति ।
(२) अध्यक्ष, म्युनिसिपल बोर्ड ।
(३) प्रिंसिपल, गवर्नमेंट इन्टरमीडिएट कालेज, अल्मोड़ा ।
(४) श्री लक्ष्मीदत्त भट्ट प्रेसीडेण्ट, बार एसोसियेशन ।
(५) श्री बोशीसेन, पद्म भूषण ।

नये सदस्यों का चुनाव दिसम्बर सन् १९५९ के बाद होगा ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि इस प्रश्न के पूछे जाने पर जनवरी में बाद को यह कमेटी बनायी गयी और उससे पहले नहीं थी ?

श्री सैयद अली जहीर---मुमकिन है ऐसा हो, मुझे तारीख याद नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---अल्मोड़ा म्युनिसिपल बोर्ड जब कि सुपरसीड किया गया है और डिप्टी कमिश्नर ही उसका ऐड मिनिस्ट्रेटर है तो जिलाधीश और म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष को दो स्थान क्यों दिये गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बहुत सम्भव है कि इसकी सूचना कार्यालय में न हो । चूंकि जिलाधीश एक्स-आफीशियो होते हैं उनको स्थान दिया गया और म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष को भी स्थान दिया गया । अगर गलती है तो ठीक की जा सकती है ।

जौनपुर जिले में आमचुनाव में काम करने वाले कर्मचारियों का भत्ता

*७०---कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में पिछले विधान सभा तथा लोक सभा के आम चुनाव के समय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को दैनिक भत्ता दिया जाने वाला था वह पूरा-पूरा दिया गया या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---ऐसे समस्त कर्मचारियों को, जिनका बिल आया और जो दैनिक भत्ता पाने के योग्य थे, भत्ता दिया जा चुका है ।

*७१-७२—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—[६ ठे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ९८-९९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*७३—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—[स्थगित किया गया ।]

मऊ रानीपुर नगरपालिका में जल-कल स्थापना में विलम्ब

*७४—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका मऊ रानीपुर में जल-कल स्थापना में क्यों देर हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मऊ-रानीपुर जल कल योजना का detailed Project अभी चीफ इंजीनियर, स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा तैयार नहीं हो पाया है । यह आशा की जाती है कि उक्त Project मार्च १९५८ तक तैयार हो जायेगा ।

झांसी जिले में गुरसराय-चिरगांव सड़क के कुछ भाग को पक्का करने की प्रार्थना

*७५—श्रीमती बेनी बाई—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी जिले में गुरसरांय से चिरगांव वाली सड़क पर जो टुकड़ा ५ मील वघैरा से समनगर घाट तक कच्चा है उसको पक्का कराने के संबंध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस टुकड़े को पक्का करने का कोई विचार नहीं है ।

रायबरेली जिले में लालगंज-रालपुर सड़क तथा सौरंई नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता

*७६—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिला में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई सड़क बनने जा रही है?

श्री गिरधारी लाल—जी हां ।

*७७—श्री गुप्तार सिंह—अगर हां, तो कौन सी और कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—लालगंज-रालपुर सड़क (८ मील ४ फर्लांग) नवनिर्माण में रखी गई है । इस सड़क पर आगामी वित्तीय वर्ष (१९५८-५९) में कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है ।

*७८—श्री गुप्तार सिंह—क्या सरकार जिला रायबरेली में थाना सरेनी और बहेटा के बीच में सौरंई नाम की नदी पर एक पुल बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पुल का निर्माण सम्भव नहीं है ।

*७९—श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—[स्थगित किया गया ।]

*८०-८१—श्री जगवीर सिंह—[स्थगित किये गये ।]

*८२-८३—श्री प्रतापसिंह—[सचिवालय प्रशासन (स्थापना) विभाग को, प्रश्नों के सम्बन्धित विभाग में भेजे जाने के लिये भेजा गया है ।]

नोट—तारांकित प्रश्न ७५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

जिला बोर्ड गोंडा का अपनी कार बेचने के लिये अनुमति मांगना

*८४—श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बोर्ड गोंडा ने अपने प्रस्ताव दिनांक ३१-१-१९५३ के अनुसार पत्र दिनांक १८-२-१९५३ द्वारा कमिश्नर महोदय से अपनी फोर्ड मोटर कार नं० यू० एस० जे० ३५६ बेचने की अनुमति मांगी थी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां ।

*८५—श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह—यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और यदि अनुमति अभी तक नहीं मिली, तो उसका क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिला बोर्ड गोंडा का पत्र आयुक्त लखनऊ फैजाबाद डिवीजन लखनऊ से यहां प्राप्त हुआ था किन्तु जब लखनऊ तथा फैजाबाद प्रखन्ड अलग अलग हुये, तो फाइलों के एक प्रखन्ड से दूसरे प्रखन्ड के स्थानान्तरण से वह पत्रावली जिसमें कि जिला बोर्ड का उपर्युक्त पत्र प्राप्त हुआ था खो गई और उसका अभी तक पता नहीं लग सका । अब इस विषय पर फिर नये सिरे से आयुक्त फैजाबाद प्रखन्ड द्वारा जिला बोर्ड से पत्र व्यवहार कर अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जालौन जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेट को नियुक्त करने वाली कमेटी के सदस्य

*८६—श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के लिये नामजद कमेटी के मेम्बरों की नामजदगी किस आधार पर तथा किसकी सिफारिश से की गई है ? क्या इस कमेटी के मेम्बरों में कुछ लोग सजायाफ्ता भी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जिला जालौन की नामजदगी कमेटी आनरेरी मैजिस्ट्रेटों सम्बन्धी संशोधन नियमों के नियम १ (क) के अनुसार बनाई गई है । इसमें जिलाधीश तथा सेशन्स जज पदेन (ex officio) सदस्य हैं, एक बार ऐसोसियेशन का प्रतिनिधि है तथा ६ असरकारी सदस्य हैं जिनको न्याय मंत्री नामजद करते हैं । असरकारी सदस्यों में से पांच सदस्य राजनीतिक अपराधों के कारण सजाप्राप्त हैं ।

बहराइच जिले में नवाब गंज-एलियाबाद सड़क को पक्की करने की योजना

*८७—श्री बुद्धीलाल (जिला बहराइच)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बहराइच जिले में नानपारा से जो कच्ची सड़क नवाबगंज-एलियाबाद को जाती है उस पर रेलवे लाइन (Railway crossing) के नजदीक पुल बनाया गया था ? यदि हां, तो उसको बनाने में कितना धन व्यय हुआ था ?

श्री गिरधारी लाल—रेलवे क्रासिंग के पास कोई पुल नहीं है परन्तु एक दस वर्ष पुरानी पुलिया है जिसके निर्माण का उचित मूल्य बताना सम्भव नहीं है ।

*८८—श्री बुद्धीलाल—क्या सरकार इस सड़क को पक्का बनाने की योजना स्वीकार कर चुकी है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां ।

मल्लीताल से आगे जाने वाली सरकारी मोटरों पर टैक्स के रूप में नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड को दिया गया धन

*८९—श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार यह बतायेगी कि इस वर्ष नैनीताल में मल्लीताल से आगे बढ़ने के लिये मोटरों पर लगे टैक्स की मद में म्युनिसिपल बोर्ड को कितना रुपया सरकारी खजाने से देना पड़ा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस वर्ष राज्य कोष से नगरपालिका, नैनीताल को ७६९.०० नये पैसे मोटरों पर लगे टैक्स के रूप में दिये गये हैं । कुछ विभागों से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है । अतः यह सम्भव हो सकता है कि इससे कुछ अधिक धन दिया गया हो ।

उन्नाव जिले के बाढ़ क्षेत्र में सस्ते अनाज की दुकानें खोलने की प्रार्थना

*९०—श्री खजान सिंह चौधरी (जिला उन्नाव)—क्या सरकार को ज्ञात है कि उन्नाव जिले में बराबर २ साल से बवजह फ्लड सैलाबी इलाकों में कोई फसल नहीं हुई और इस साल भी ऐसा ही हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे इलाकों में सस्ते गल्ले की दुकान खोलने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—उन्नाव जिले के सैलाबी क्षेत्रों में फसलों की क्षति पहुंची है । नदी के किनारे के इलाकों में प्रायः एक ही फसल होती है । खरीफ को क्षति पहुंचने के बाद ऐसे क्षेत्रों में रबी बोई जाती है और यदि खरीफ की फसल अच्छी हो जाती है तो फिर गेहूं इत्यादि के बोने का समय निकल जाता है । जिले में सस्ते गल्ले की दुकान खोलने का इरादा अभी सरकार का नहीं है ।

गोंडा जिले में टेड़ी नदी पर पुल निर्माण-कार्य

*९१—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में बलरामपुर के पास जो टेड़ी नदी पर पुल बन रहा है वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा और उसका ठेका कितने रुपये में दिया गया है और वह पुल किस अधिकारी की देख-रेख में बन रहा है ?

श्री गिरधारी लाल—इस पुल के जून १९५८ के अन्त तक बन जाने की आशा की जाती है । इसका ठेका ३,१८,८७२ रुपये में दिया गया है तथा यह कार्य अधिशासी अभियन्ता सेतु खंड, बस्ती के अन्तर्गत है ।

बांदा जिले में राजापुर के निकट जमुना पर तथा कर्वी पहाड़ी-राजापुर सड़क पर ओहन नदी पर पुलों की आवश्यकता

*९२—श्री जगपति सिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह राजापुर बांदा जिले में यमुना नदी में पीपों का पुल कब तक बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजापुर बांदा जिले में जमुना नदी में पीपों का पुल बनाने का कोई विचार नहीं है ।

*९३—श्री जगपति सिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कर्वी पहाड़ी-राजापुर रोड में ओहन नदी के पुल में कब तक कार्य आरम्भ किया जायेगी ?

श्री गिरधारी लाल—इस पुल का विस्तृत आगणन और टेन्डर अभी विचाराधीन हैं और उनके स्वीकृत होने पर कार्य आरम्भ किया जायगा ।

गाजीपुर जिले में देवकठिया ग्राम सभापति का निलम्बन

*९४—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में देवकठिया गांव के सभापति को किस अधिकारी ने सस्पेण्ड किया और किन-किन कारणों से ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—गांव सभा देवकठिया के प्रधान को जिलाधीश ने निलंबित किया था क्योंकि उक्त प्रधान ने पहिले तो बाढ़ विभाग के ठेकेदार के विरुद्ध शिकायत की और जब इस संबंध में जांच हुई तो ठेकेदार को बचाने के लिये विपरीत बयान देकर अनुत्तरदायी कार्य किया ।

*९५—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या स्वशासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या इस सभापति ने किसी अधिकारी द्वारा जबरदस्ती बयान लेने के कारण जिलाधीश को कोई शिकायत की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, इसकी जांच की जा रही है ।

बरेली जिले में सड़कों का निर्माण

*९६—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बरेली जिले में तहसीलवार कितनी पक्की सड़कों का निर्माण किया जावेगा ?

श्री गिरधारीलाल—यह सूचना माननीय सदस्य की मेज पर सूची 'क' में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ट ५७५ पर)

*९७—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल कितनी सड़कों का निर्माण बरेली जिले में किया गया ?

श्री गिरधारी लाल—यह सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची 'ख' में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५७६ पर)

सरकारी अधिकारियों के आवास स्थानों पर व्यय

*९८—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वित्तीय वर्ष में सरकार की ओर से प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के रहने के लिये कितने आवास स्थान बने और उनके निर्माण एवं सुसज्जित करने में कितना व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—कुल ४७० आवास स्थान बने और उनके निर्माण करने में कुल ३२,१५,६२८ रु० व्यय हुआ । केवल सिंचाई विभाग के रिहन्द का कान्सट्रक्शन सर्किल में बने आवासों को छोड़कर अन्य किसी भी आवास को सुसज्जित नहीं किया गया है ।

*९९—श्री जगदीश शरण अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कम सेकम और ज्यादा से ज्यादा ऐसे एक निवास स्थान बनाने पर एवं उसको सुसज्जित करने पर कितना व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—एक आवास स्थान बनाने पर कम से कम १,४०० रु० और अधिक से अधिक ५०,००० रु० व्यय हुआ ।

जालौन जिले में मदारीपुर–कालपी सड़क के नालों पर पुलों के बिना कष्ट

*१००—श्री गरीब दास (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में मदारीपुर–कालपी सड़क पर किसी भी नाले पर कोई भी पुल नहीं है जिसके कारण आवागमन में बड़ी असुविधा है ? क्या सरकार इन नालों पर पुल निर्माण करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मदारीपुर कालपी सड़क पर नालों पर पुल न होने से आवागमन में बरसाती मौसम में असुविधा रहती है । यह मार्ग जिला बोर्ड के अधीन है और माली हालत खराब होने की वजह से पुल बनाने में फिलहाल असमर्थ है ।

मैनपुरी-ज्योति सड़क पर परोख के निकट ईसन नदी पर पुल निर्माण योजना

*१०१—श्री मलिखान सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी-ज्योति सड़क पर परोख के पास ईसन नदी के पुल बनाने की योजना विचाराधीन है। यदि हां, तो उसे बनाने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री विश्वित्रनारायण शर्मा—इस पुल को बनाने की योजना जिला बोर्ड, मैनपुरी के विचाराधीन है। इसके लिये टेन्डर मांगे गये थे पर बोर्ड को कोई टेन्डर प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड अब पुनः टेन्डर मांगने की व्यवस्था कर रहा है।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री सुलेमान अन्सारी के निधन पर शोकोद्गार

†मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मुझे जिस दुखद कर्तव्य का कल पालन करना पड़ा था अभी उसका अन्त नहीं हुआ। हमको सूचना मिली है कि इस सदन के पुराने सदस्य श्री सुलेमान अन्सारी का देहान्त हो गया। वे गोरखपुर में रहते थे और आजकल सक्रिय राजनीति से कुछ बहुत सम्पर्क उनका नहीं था। सन् १९३६ के चुनाव में वह कांग्रेस टिकट पर इस सदन में आये थे और सन् १९३७ से १९३९ तक, जब तक सदन रहा, जब तक कि कांग्रेस जन सदन में रहे, तब तक वे यहां सदस्य थे और उस जमाने में माननीय मुख्य मंत्री के साथ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी थे। इधर उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था और हमको तो यह खबर मिली कि ३० तारीख को जब उनका देहान्त हुआ तो वह किन्हीं वैद्य जी के यहां दवा के लिये गये हुए थे और वहीं उनके हृदय की गति रुक गयी और वैद्य जी के मकान पर ही उनका देहान्त हो गया।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनके निधन पर आप हमारी समवेदना उनके कुटुम्बियों के पास कृपा करके पहुंचा दें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, सुलेमान साहब मुद्दत से बीमार थे। कई वर्ष से, जैसा माननीय नेता सदन ने कहा, वे राजनीति में या दूसरी संस्थाओं में जिनसे उनका पुराना सम्पर्क था, स्वास्थ्य के खराब होने के कारण निष्क्रिय से हो गये थे। फिर भी, यह गुमान नहीं था कि वह इतनी जल्दी हम लोगों के बीच से चले जावेंगे। मुझे याद है सन् १९३७ से सन् १९४०–४१ का जमाना, जब सुलेमान साहब को और उन ऐसे व्यक्तियों को, इस देश के रहने वाले एक अच्छे हिस्से की कटु बातें सुननी पड़ती थीं इसलिये कि वह राष्ट्रीय विचार के थे और चाहते थे कि इस देश में राष्ट्रीय विचारों का प्रसार हो। वह अपने विचार के पक्के थे और जैसा माननीय नेता सदन ने कहा, मुख्य मंत्री के सभासचिव की हैसियत से उनका काम बड़ा सराहनीय था। उनके न रहने से इस प्रदेश का एक प्रमुख नागरिक और राष्ट्रीय विचारों वाला एक समाजसेवी उठ गया।

मैं अपनी ओर से और इस सदन की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से जो विचार माननीय नेता सदन ने उनके बारे में प्रकट किये हैं, उनसे अपनी सहमति प्रकट करता हूं और मान्यवर से निवेदन करता हूं कि उनके परिवार वालों को हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा क ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, यह दुख की बात है कि हमारे बीच में हमारे पुराने साथी श्री सुलेमान अन्सारी साहब आज नहीं रहे। सन् १९३७ में हमारा उनका साथ रहा। इसी सदन के वे सदस्य रहे और मुझे भी उनके निकट आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे हमारे जिले के पड़ोस के रहने वाले थे और पूर्वी जिले के निवासी होने के नाते बराबर हमारा उनका सम्पर्क रहा। जैसा कि अभी बतलाया गया है कि

---

†वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जिस समय साम्प्रदायिकता की लहर फैल रही थी उस समय बहुत कम वीर ऐसे थे जो उन भावनाओं में न पड़ कर राष्ट्रीयता पर कायम रहे और अपने सिद्धान्तों पर अटल रहे, उन्हीं में हमारे साथी माननीय सुलेमान अन्सारी साहब भी रहे। जो उनके निकट रहे वे लोग जानते हैं कि वे हृदय के कितने साफ थे, वे अपने सिद्धान्त पर डटे रहने वाले और एक उसूल के पाबन्द थे। आज उनके न रहने से वास्तव में हमारे पूर्वी अंचल और पूरे सूबे को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। मैं, माननीय नेता सदन ने जो भावना प्रकट की है, उससे अपनी सहमति प्रकट करता हूं और अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से समवेदना प्रकट करता हूं और श्रीमान् से निवेदन करता हूं कि उनके परिवार के पास हम लोगों की भावना को भेजने की कृपा करें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, सुलेमान साहब के इस निधन से एक समाजसेवी उठ गया। ऐसे समाजसेवियों की कमी हमें खल रही है। जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने राष्ट्रीय भावना को लेकर देश की सेवा की वह वास्तव में सराहनीय कार्य था। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो सेवायें की हैं और राष्ट्र के लिये जो अपना जीवन उत्सर्ग किया है उसके लिये वे सदैव हमारे प्रशंसा के पात्र रहेंगे, यद्यपि आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रीमान् से यह प्रार्थना करूंगा कि हमारी समवेदना भी श्री सुलेमान साहब के शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचा दें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, सुलेमान साहब की जो मृत्यु हुई है, उस पर मैं अपनी ओर से और जनसंघ की ओर से दुःख प्रकट करता हूं और माननीय नेता सदन ने या अन्यान्य माननीय नेताओं ने उनके सम्बन्ध में जो बातें कहीं, उनके विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं और श्रीमान् से यह निवेदन करता हूं कि हम सबकी समवेदना उस शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, सुलेमान अन्सारी साहब से मेरा बहुत अल्पकालिक परिचय रहा लेकिन उनके व्यवहार, उनके स्वभाव और उनकी उत्कट राष्ट्रीय भावनाओं की मेरे ऊपर गहरी छाप पड़ी थी। मैं महसूस करता हूं कि विशेषकर प्रदेश के पूर्वी अंचल का एक प्रमुख जनसेवी हमारे बीच से अब उठ गया है। यद्यपि वे कुछ दिनों से राजनीति से सक्रिय रूप से अलग रहे, फिर भी जहां भी वे थे, वहां की जनता और वहां आसपास के लोगों की जो भी सेवा वे इस समय भी कर सकते थे, अस्वस्थता की हालत में भी करते रहे। मैं, नेता सदन ने जो भावनायें प्रकट की हैं, उनके साथ अपने को अपनी पार्टी की ओर से सम्बद्ध करता हूं। आप हमारी इन भावनाओं को उनके दुखी परिवार और उनके निकटतम लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—श्री सुलेमान अन्सारी जी का अचानक स्वर्गवास होने पर नेता सदन और सदन के अन्य दलों के नेताओं ने जो अपने-अपने पक्ष के सब सदस्यों की ओर से विचार प्रकट किये हैं उनके साथ मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री सुलेमान अन्सारी इस आदरणीय सदन के सन् १९३७–३९ में सदस्य रहे हैं और मेरा भी उस समय उनका साथ रहा है, क्योंकि मैं भी उस समय एक सभा-सचिव था और वे भी थे। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था। वे राष्ट्रीय विचारों के थे। बड़े मिलनसार, खुशदिल व्यक्ति थे और साथ ही उनका व्यवहार सब से बड़ा प्रेमपूर्ण हुआ करता था, यह उनकी खास विशेषता थी। जितनी मुखालफत, आक्षेप आदि उस जमाने में उनके धर्म को मानने वालों की तरफ से उन पर होते थे उन सबको वह झेलते थे। वह उनका, बड़ी खूबसूरती के साथ जवाब देते थे और उसमें कुशल थे और घर पर या सदन में जब भी मैंने देखा वह कभी भी क्रोधित होकर जवाब नहीं देते थे। ऐसे सज्जन पुरुष के न रहने पर सब को दुख होना स्वाभाविक है। जो

[श्री अध्यक्ष]

कमी उनके न रहने से हुई है उसकी पूर्ति बड़ी कठिनाई से हो सकेगी। जो विचार सदन में प्रकट किये गये हैं उन विचारों को उनके संतप्त परिवार तक मैं पहुंचा दूंगा और अब हम लोग उनकी आत्मा की शान्ति के लिये एक मिनट खड़े होकर परमात्मा से प्रार्थना करें।

(सब सदस्य एक मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

प्रश्नों के उत्तर न मिलने की शिकायत

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---अध्यक्ष महोदय, अप्रैल सन् १९५७ से लेकर २६-१२-१९५७ तक मैंने १०० के करीब तारांकित और अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिये हैं जिनमें से केवल दो चार के ही मुझे उत्तर मिले हैं। मैं चाहूंगा कि उत्तर मिलने की उचित व्यवस्था करके मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दिलाने की कृपा की जाय।

श्री अध्यक्ष---पहले आप को मेरे कमरे में आकर यह शिकायत करना चाहिये थी। ऐसी शिकायत यहां सदन में एकदम से नहीं की जाती।

माल मंत्री द्वारा कुमायूं जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक पर संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट यथासमय प्रस्तुत न करने के विषय में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करने की मेरे पास सूचना भेजी है। वह यह है कि "कुमायूं जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक की संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष, माननीय चरणसिंह जी, ने उक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट ४ मास के अन्दर अर्थात् २० जनवरी तक नहीं पेश की। यही नहीं उन्होंने निर्देशित अवधि के अन्दर उपरोक्त प्रवर समिति की बैठक न बुलाकर सदन के निर्णय व आदेश की अवहेलना की है और इस प्रकार उन्होंने सदन का अपमान कर उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया है।

अतः सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना करने का प्रश्न माननीय चरणसिंह, माल मंत्री के खिलाफ उठाने की आज्ञा दी जाय।"

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। कल इस के बारे में एक प्रस्ताव माननीय चरणसिंह ने स्वयं उपस्थित किया था, जिसको सदन ने स्वीकार भी कर लिया था कि इसकी मियाद बढ़ा दी जाय। अब उसके बाद माननीय सदस्य यह प्रश्न उठाते हैं, तो वह उठ तो सकता ही नहीं लेकिन क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि कल क्या वह उस समय जागृत अवस्था में थे या नहीं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मैंने कल ही कहा था कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है और मैं इसकी सूचना दे रहा हूं और मैंने यह भी कहा था कि यह कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष---लेकिन सदन ने उसको नहीं माना और माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

श्री रामस्वरूप वर्मा---दो मिनट में मैं स्पष्ट कर दूं।

श्री अध्यक्ष---यह बात अब नहीं पैदा होती जब कि सदन का निश्चय हो चुका। सदन न उनको इजाजत द दी।

श्री रामस्वरूप वर्मा---सदन ने विधेयक की गम्भीरता को देखकर फैसला कर दिया और चार महीने की मियाद बढ़ा दी, लेकिन सदन ने मंत्री जी के दोष का शमन नहीं किया। दोष स्टैंड करता है। अगर उस पर मुझे कुछ कहने का मौका दें .. ..

श्री अध्यक्ष---एक तो प्रश्न उठता ही नहीं। दूसरी चीज यह है कि अगर प्रतिवेदन समय के बीच में नहीं दिया गया और देरी के कारण बता दिये गये, तो यह चीज नहीं है कि कोई सदस्य जरा सी गलती कर दे या किसी वजह से देर हो जाय, और वह कारण उचित हो उस पर भी चूंकि प्रतिवेदन की वह मियाद निकल गयी इसलिये उस पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सके।

श्री रामस्वरूप वर्मा---अध्यक्ष महोदय . . . . .

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें। मेरे बोलते वक्त आप बीच में न टोकें। यदि ऐसी बातों पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठता रहे तो मुमकिन नहीं रहेगा किसी के लिये कि इस सदन में बैठ भी सकें। अगर ऐसी देरी करने की किसी के ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है तो अन्य माननीय सदस्यों के ऊपर भी आ सकती है। यदि इस प्रकार देर होने पर सदस्यों पर विशेषाधिकार का प्रश्न लाकर उन्हें सदन दंड दे दें तो इस प्रकार यहां का दंड विधान बहुत बढ़ जायगा।

मैं समझता हूं कि यह बातें सदन में इस तरह से उत्पन्न नहीं होती। मैं इस प्रश्न के उठाने की इजाजत नहीं देता।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मेरा एतराज यह नहीं है कि चार महीने में रिपोर्ट नहीं आयी। मेरा एतराज तो यह है कि चार महीने के अन्दर एक भी बैठक नहीं बुलायी।

श्री अध्यक्ष---आप बहस नहीं कर सकते। मैंने निर्णय दे दिया कि इस तरह का सवाल नहीं उठता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---चेयरमैन का चुनाव तो कर सकते हैं। दूसरा चेयरमैन अगर बना दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष---आप प्रस्ताव भेजें।

पूर्वी जिलों में लगान की बलपूर्वक वसूली के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---यह एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामायणराय जी का है।

"देवरिया तथा अन्य पूर्वी जिलों में लगान वसूली के सिलसिले में वसूली के लिये नियुक्त अधिकारी जनता पर नाना प्रकार के जुल्म कर रहे हैं। रेवेन्यु मैनुअल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं . . . . ."

इस तरह का प्रस्ताव है। यह बहुत गोल है और इस विषय में कल भी थोड़ा बहुत जिक्र आया था। मैं समझता हूं कि उचित तरीका यह होगा कि इसके विषय में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पहले माननीय सदस्य पूछ लें और जब कोई निश्चित बात हो जाय तो उसके ऊपर आध घंटे की बहस हो सकती है। लेकिन यह जो प्रस्ताव रामायणराय जी का है और बलिया और गाजीपुर के सिलसिले में गौरीशंकर राय जी का भी है ये अनिश्चित से हैं। बहुत गोल प्रस्ताव हैं। मैं इनकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

बोर्ड आफ रेवेन्यू के स्टे आर्डर के विरुद्ध रुद्रपुर-गदरपुर पुलिस द्वारा गदरपुर के स्टालों के जबरदस्ती हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री नारायणदत्त जी का है ।

" यह सदन निम्नलिखित आवश्यक, निश्चित एवं महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता है ।

गदरपुर, जिला नैनीताल के लगभग सौ स्टालों व दूकानों को बोर्ड आफ रेवेन्यू, यू० पी० के ३ जनवरी, १९५८ के दिये गये " स्टे-आर्डर" के होते हुये भी, उपर्युक्त स्टालों को रुद्रपुर-गदरपुर पुलिस द्वारा १५ जनवरी, १९५८ को जबरदस्ती हटाया जाना, नष्ट-भ्रष्ट करना । "

स्टे आर्डर मैं समझता हूं कि जुडीशियल प्रोसीडिंग्ज हैं और उसके हिसाब से आर्डर दिये गये होंगे । आप के कहने का क्या यह मंशा है कि यह आर्डर्स पहुंच चुके थे वहां पुलिस के पास ?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---जी हां, ३ जनवरी को आर्डर्स यहां हुये और वहां पहुंच चुके थे । पुलिस को दिखा भी दिये गये । स्टाल होल्डर्स के प्रेसीडेण्ट ने दिखा भी दिये ।

श्री अध्यक्ष---इस विषय में कोई एतराज है, मैं सम्बन्धित मंत्री जी से पूछूंगा ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, इसकी नोटिस मुझे १० बजकर ५३ मिनट पर मिली है । इसकी सूचना मैंने मंगायी है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को फोन किया गया है । यदि आप चाहें तो कल इसकी सूचना दे सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष---तो कल ही मैं इसके ऊपर फैसला दूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---परसों ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---परसों ले लेंगे, कल आप नहीं होंगे तो ।

मिल मालिकों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने का मूल्य कम दिये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री व्रजनारायण तिवारी जी का है जो इस प्रकार है :

" वर्तमान समय में गन्ने की कीमत १ रु० ७ आना मिल गेट पर व १ रुपया ५ आना बिक्री केन्द्रों पर दिये जाने का कानूनी आधार होते हुये भी अधिकांश प्रदेश के परचेजिंग सेन्टरों पर १ रुपया ४ आना, १ रुपया साढ़े ४ आना, १ रुपया ५ आना व १ रुपया ६ आना, मिल मालिक मनमाना गन्ना उत्पादकों को, गन्ने की कीमत काट कर दे रहे हैं । मुख्यतः पंजाबी शुगर मिल, बैतालपुर, जिला देवरिया के जोन में, दशई देवरिया कांटा पर १ रुपया साढ़े ४ आना व मुडेरा कांटे पर १ रुपया ४ आना एवं देवरिया शुगर मिल के जोन में बजहा, सुनौहला, रामनगर व पिपरौहया, सिसवा, बनवारी डोल ,

बरवां जंगल कांटे पर १ रुपया ४ आना ही किसानों को कीमत दी जा रही है। इस प्रश्न को लेकर उक्त क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों ने हड़ताल द्वारा एवं अन्य वैधानिक तरीके पर प्रान्तीय सरकार और प्रदेशीय गन्ना आयुक्त का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न किया किन्तु अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह प्रश्न प्रदेश के लाखों किसानों से सम्बन्धित है। सरकार की लापरवाही एवं उक्त अव्यवस्था के कारण किसानों में घोर क्षोभ उत्पन्न एवं विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है। अतः इस लोकमहत्व के आवश्यक एवं अविलम्बीय कार्य के लिये सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

यह कोई तात्कालिक घटना प्रतीत नहीं होती, बहुत पुरानी बात है . . . . . .

श्री व्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय . . . . .

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें।

श्री व्रजनारायण तिवारी---एक ही मिल के मालिक से सम्बन्धित है, जो दो मिलों का जिक्र है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, निश्चित होने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अर्जेन्सी उसकी तब होती है जब कोई तात्कालिक घटना हो। यह तो महीनों की घटना को मिलाकर आप प्रस्ताव दे रहे हैं कि १ रुपया ७ आना या १ रुपया ५ आना किसानों को दिया जा रहा है। तो यह महीनों से हो रहा है। यह घटना रिसेन्ट आकरेन्स की नहीं है, लिहाजा मैं इस प्रस्ताव को अवैध करार देता हूं।

श्री व्रजनारायण तिवारी---श्रीमन्, यह तो ऐसा प्रश्न है कि अब भी दिया जा रहा है। तो इस को महीनों की बात कैसे मानते हैं?

श्री अध्यक्ष---आपको २, ४ महीने पहले यह प्रश्न उठाना चाहिये था या अल्पसूचित सवाल कर लेते और उससे जानकारी हासिल करके आध घंटा बहस कर लेते।

देवरिया जिला के तरया सुजान ग्राम में भूख से एक महिला की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---माननीय गेंदासिंह जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार है :---

"अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में अनेक मृत्युएं अन्न के अभाव में हुई हैं और होने की आशंका है। प्रमाण में देवरिया के तरया सुजान ग्राम के एक महिला की २५ जनवरी को मृत्यु है। राष्ट्रपति जी की घोषणा के बाद भी इस प्रकार की दुर्घटनाओं का घटना राष्ट्र के सम्मान के विरुद्ध है।

अतः सदन इस विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज का अपना कार्य स्थगित करने का निश्चय करता है।"

इसके लिये मैंने कल थोड़ा सा जिक्र किया भी था कि अनिश्चित सा है। इसमें भी आपने कहा है कि एक महिला की मृत्यु २५ जनवरी को हुई और बहुत सों के मरने की आशंका है। तो कोई निश्चित विषय नहीं है जिसके ऊपर बहस हो। मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता।

आजमगढ़ जिले में कतिपय रेलवे स्टेशनों पर शुगर फैक्टरी का कांटा न होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव माननीय झारखंडेराय जी का है जो इस प्रकार है :

"आजमगढ़ जिले के अमिला, घोसी और दोहरी-घाट रेलवे स्टेशनों पर किसी भी शुगर फैक्टरी का कांटा न होने से लाखों मन गन्ना बिना पेरे रह जायगा। पिछले साल तक बराबर इन स्टेशनों पर कांटा लगता रहा है। इस विषम परिस्थिति पर जिलाधीश तथा केन कमिश्नर का बराबर बार-बार ध्यान आकर्षित करने पर कोई फल नहीं निकला। इस स्थिति से आजमगढ़ की घोसी तहसील की साढ़े चार लाख जनता में घोर असंतोष व्याप्त है।

इस विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

माननीय मंत्री जी इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं ?

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जानकारी में अर्ज किये देता हूं। इसमें भी वही बात है जिस पर कि एक फैसला हो चुका है। यह बात उसी वक्त से चल रही है। खैर, इसमें तीन जगहों के नाम हैं। अमिला, घोसी, और दोहरी घाट। घोसी और दोहरी घाट में तो वहीं के काश्तकारों की मंजूरी से यह तै हुआ कि वहां मौके के ऊपर क्रशर लगवा दिये जायं। चुनांचे वहां क्रशर लगे हुये हैं और उस एरिया का गन्ना वह पेर रहे हैं . . . . .

श्री अध्यक्ष—आपका भाषण सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इसमें तो तीन जगहों के नाम लिखे हुये हैं एक घोसी, दूसरा दोहरी घाट, तीसरी अमिला, तीन नाम हैं इसमें। इनमें से घोसी और दोहरी घाट का गन्ना जो है उसके लिये तो वहां के एरिया वालों की मंजूरी से क्रशर लगवा दिये गये हैं, लोगों ने लगवाये हैं। वहां वह गन्ना पेर रहे हैं। उसके मुताल्लिक उनका ऐलाटमेंट किसी मिल को होने वाला नहीं है और मिल जो है यह . . . . .

श्री अध्यक्ष—कांटा न होने की वजह से, यह क्या चीज है ? वह तो कहते हैं कि फैक्टरी का कोई कांटा नहीं है, तौलने का इंतजाम नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तौलने का इन्तजाम तो वहां होगा जिस जगह से गन्ना किसी मिल को जायगा। मैंने यह अर्ज किया कि वहां का गन्ना किसी मिल को जाने वाला ही नहीं है। वहां मौके के ऊपर ईख को क्रश करने वाले क्रशर्स जो वहीं जंगल में ही लगा दिये जाते हैं और लोग वहां से गन्ना पेरवा कर ले जाते हैं। तो क्रशर्स वहां लगे हुये हैं, इसलिये उनका ऐलाटमेंट किसी पर्टीक्यूलर मिल को नहीं है।

एक और बात इस सम्बन्ध में है, मसलन, अमिला है। शाहगंज फैक्टरी वहां से ८३ मील के फासले के ऊपर है। करीब में कोई मिल नहीं है। तो इसका ऐलाटमेंट हुआ शाहगंज फैक्टरी में। उस फैक्टरी ने उस फासले की वजह से एक अपील गवर्नमेंट को कर रखी थी। पहले केन कमिश्नर ने एलाट किया था। केन कमिश्नर के फैसले के खिलाफ उन्होंने गवर्नमेंट को अपील की और वह अपील तय हो कर के जा रही है। उसके बाद उसके ऊपर अमल होगा। यह तो अमिला के सम्बन्ध में है और बाकी दोनों जगहों का तो सवाल ही नहीं उठता।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है उससे इस विषय में कुछ भ्रम पैदा हो जाता है। इस विषय में मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले साल और उससे पहले भी लगातार इन तीनों जगहों पर कांटे लगते रहे। उसके बाद तब गन्ना लोकल कंजम्पशन के बाद खपता था। पारसाल से ऐसा हुआ है कि यह घोसी जो नाम है, वहां एक छोटी सी कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी खुली है। उसकी कैपेसिटी अगर पूरे टाइम तक वह काम करे तब ७० हजार मन गन्ना पेरने की है, लेकिन पिछले जनवरी के महीने में एक क्रशर दो बार टूट गया और एक बार दोनों क्रशर टूट गये जिससे वह बन्द रही। अब चालू हुई है। लेकिन ७० हजार मन की उसकी कैपेसिटी है और ढाई लाख मन गन्ना घोसी के आस-पास है जो वह क्रश नहीं कर सकती और अमिला और दोहरीघाट तो उससे बहुत दूर हैं। पहले जब कांट लगते थे तब भी . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहूंगा कि आपने कोई रेप्रेजेन्टेशन इस सम्बन्ध में सरकार को किया था ?

श्री झारखंडे राय—इस विषय में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिलाधीश से दो बार बातचीत हुई . . . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहता हूं कि आपने कुछ लिखा-पढ़ी सरकार से इस सम्बन्ध में की ?

श्री झारखंडेराय—अध्यक्ष महोदय, केन कमिश्नर के अलावा ११ जनवरी को मैंने कृषि मंत्री के दफ्तर में दोहरी घाट के बारे में अपना नोट लगाकर लम्बी सी दरख्वास्त दी थी। मैं नहीं जानता कि उसका क्या हुआ। केन कमिश्नर से तीन-तीन बार बातचीत की। उन्होंने मेरे आग्रह पर शाहगंज मिलवालों को बुलाया और उन्होंने अमिला में कांटे लगाने का आश्वासन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। केन कमिश्नर से, मिल वालों से और जिलाधीश से बातचीत करने पर भी कुछ हो नहीं सका है, इसलिये यह मामला बड़े महत्व का हो गया है। सरकार को डायरेक्टली इस पर खयाल करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसमें प्रत्यक्ष सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं। कामरोको प्रस्ताव द्वारा ही आप सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पहले आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न द्वारा सरकार से पूछते कि उसको क्या कहना है, फिर उसके बाद बहस होती तो ज्यादा अच्छा होता। गलतफहमी पर बहुत सी चीजें सही मालूम पड़ती हैं और शायद उसी में यह झगड़ा चलता चला जा रहा है और फैसला नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस वक्त यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता क्योंकि उनमें निश्चितता नहीं है।

श्री उग्रसेन द्वारा अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मेरा भी एक कामरोको प्रस्ताव था लेकिन उसको नहीं लिया गया।

श्री अध्यक्ष—वे दो-तीन कामरोको प्रस्ताव एक से ही थे।

श्री उग्रसेन—मेरा कामरोको प्रस्ताव कुछ विशेष घटना से संबंधित था।

श्री अध्यक्ष—लेकिन वह उसी सम्बन्ध में था जिसके बारे में श्री रामायणराय का था।

श्री उग्रसेन—हमारे और उनके मामले में फर्क है।

श्री अध्यक्ष—खैर, फर्क है, लेकिन मैंने सबको एक सा ट्रीट किया और सब अनिश्चित हैं।

कार्य परामर्शदात्री समितिद्वारा कतिपय विधेयकों पर विवादार्थ समय निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष—मुझे यह सूचना देनी है कि कार्य परामर्शदात्री समिति ने अपनी ४ फरवरी, १९५८ की बैठक में यह निश्चय किया कि निम्नलिखित विधेयकों के सामान्य विवाद, खंडशः विवाद तथा पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय :

१—प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है . . . ३ घंटे,

२—दंडविधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है. . . १ घंटा ।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये निर्धारित समय के सम्बन्ध में प्रस्ताव

हरिजन कल्याण मंत्री के सभासचिव (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में कार्य परामर्श समिति द्वारा प्रस्तावित निर्धारण से सहमत है :—

१—प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, तथा

२—दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन), १९५७ , जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप इसका विरोध नहीं कर सकते । आप यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि इनको समिति के पास पुर्नविचार के लिये भेजा जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि इन विधेयकों को दोबारा समिति के पास पुर्नविचार के लिये तथा पुनः समय निर्धारण के लिये, भेजा जाय । क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी किन्हीं कारणों से उस समिति में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेज सकी, इसलिये इनको पुर्नविचार के लिये समिति के पास भेजा जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा निर्धारित समय के लिये जो प्रस्ताव है उसे पुर्नविचार के लिये उस समिति के पास भेजा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है :—

"१—प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, तथा

२—दंडविधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक , १९५७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर संशोधन विधेयक, १९५८

वित्त मन्त्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८, पुरः स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५७७-५८५ पर)

अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों के नियमानुसार उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, कामरोको प्रस्ताव के बारे में आपका जो निर्णय है उस पर मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है, परन्तु एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिन प्रश्नों के लिये कामरोको प्रस्ताव उपस्थित करन के लिये हमें बाध्य होना पड़ता है । जो नियम हमारी इस विधान सभा के हैं उनका ठीक से अगर पालन हो सके तो संभवतः मैं समझता हूं कि कामरोकों प्रस्ताव की इतनी आवश्यकता न पड़े ।

तो क्या मैं आप से निवेदन कर सकता हूं कि एक तो पहले मिनिस्टर साहबान अल्पसूचित तारांकित प्रश्न की हमारी भावना को समझने की कोशिश करें और उन्हें स्वीकार करने की मेहरबानी करें। दूसरी बात यह है जो मैं चाहता हूं कि नियम के मुताबिक मिनिस्टर साहबान को जब प्रश्न प्राप्त हों तो स्ट्रिक्टली ३ दिन के भीतर जवाब दें। यदि आप इस तरह की व्यवस्था कर सकें तो मैं समझता हूं कि असंतोष दूर हो सकता है । लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती, जैसी कि अब तक नहीं हुई है, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे कि हर कोशिश करने के बावजूद भी आपकी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकी, कि नियमपूर्वक हमको उत्तर मिल सके । तो फिर हमारे लिये यह परेशानी की बात है और मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप हमें कोई रास्ता बतावें कि फिर कामरोको प्रस्ताव के अलावा हमारे पास क्या रास्ता हो सकता है ? अगर उसके बाद हमारी बुद्धि में ऐसी बात है कि जिसमें अनिश्चितता है, तो आपको अधिकार है, हम उस अधिकार को चैलेंज नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें । मैं समझता हूं कि आपने उचित ही प्रश्न उपस्थित किया । कामरोको प्रस्ताव दूसरे देशों में तो बहुत कम आया करते हैं। तो उसके लिये यह एक रास्ता है कि जब ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं जिनके विषय में जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी सदन को देने की इच्छा सदन के सदस्यों की होती है, जो जानकारी वह अपने क्षत्रों में हासिल कर लेते ह, तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ही ऐसे होते हैं जिनसे शीघ्रता से उन विषयों के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा हो जाया करती है । तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रिगण इस विषय पर अवश्य विचार करेंगे, क्योंकि यह दिक्कत उनके सामने भी है कि इतनी संख्या में कामरोको प्रस्ताव का आना । उनमें से कुछ मंजूर भी हो सकते हैं, कुछ नामंजूर भी हो सकते हैं। अगर कोई मंजूर हो गया तो फिर दो घंटे सदन का समय जायगा और यों १०-१५ मिनट तो रोज ही जाता है । समय तो जायगा ही, कई बार मुझे यह भी करना पड़ता है कि मैं पूछता हूं कि यह घटना क्यों हुई, तब मंत्री जी को टेलीफोन से या और तरीके से एक रोज में जानकारी हासिल करनी ही पड़ती है । तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के लिये भी इस तरह से जानकारी हासिल कर ली जाय तो ३ रोज के अन्दर वह जवाब दे सकते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]

अब मैं इतना चाहूंगा कि जब विशेष महत्व के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हों, तो माननीय सदस्य मुझे भी पहले से सूचना दे दें तो मैं तीन रोज के अन्दर यह प्रयत्न करूंगा कि उनका जवाब प्रश्नकर्ता को मिल जाय। क्योंकि नियम तो यह है कि मंत्री अगर चाहें तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न स्वीकार करें, वरना वे यह भी कह सकते हैं कि हम इतने समय में जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अगर प्रश्न मुझे महत्व का प्रतीत होगा तो मंत्री जी से जवाब मंगाकर माननीय सदस्यों को उत्तर दिला सकता हूं। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि मेल जोल से काम हो सकता है और वही हम लोग करने का प्रयत्न करें और देखें कि इसमें सदस्यों की कठिनाई दूर होती है या नहीं। यह तरीका मैं बहुत ही पसन्द करता हूं कि काम-रोको प्रस्ताव की जगह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न अधिक संख्या में हों और उनका जवाब माननीय सदस्यों को शीघ्र मिल जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, अभी आपने जो यह व्यवस्था दी है कि काम रोको प्रस्ताव की जगह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न अधिक संख्या में हों तो क्या उनके सम्बन्ध में आपने सरकार से बातचीत कर ली है। क्या मैं इस व्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था मानूं और आप से पहले बातचीत कर लेने से हमारा काम पूरा हो जाय तो ठीक है क्योंकि मैं भी स्वयं इस पीड़ा से पीड़ित हूं। मैंने भी कई अल्पसूचित तारांकित प्रश्न रखे और वह तारांकित बनाये गये और बराबर स्थगित किये गये। यहां तक कि अक्तूबर और नवम्बर के प्रश्नों का उत्तर अभी भी नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष---वही बात मैंने कही और इसलिये मैंने इशारा कर दिया है कि बहुत से अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी हो सकते हैं। लोग छोटी चीजों को अधिक महत्व दे सकते हैं और हर एक सदस्य यदि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर दें, और प्रश्न अत्यधिक हों तो उनका महत्व घट जायगा। इसीलिये मैंने कहा कि अगर पहले से मुझे सूचना हो जाय तो मैं समझ लूंगा कि प्रश्न विशेष महत्व के हैं या नहीं और यदि उनके लिये सरकार को जल्द जवाब देना उचित होगा तो मैं उसके लिये कोशिश करूंगा और बाकी के लिये कह दूंगा कि सरकार जाने और माननीय सदस्य जानें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---आपके यहां से अल्पसूचित तारांकित प्रश्न माने गये और मंत्री जी ने कह दिया कि हम जवाब नहीं दे सकते हैं तो क्या वह तारांकित प्रश्न होंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रोसीजर में कोई शर्त लगा दी जाय कि ऐसा जवाब मंत्री जी नहीं दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---जब नियमावली बदलेगी तब यह हो सकेगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक पत्र मुझे भेजा है और ऐसा मेरा खयाल है कि अन्य विरोधी पार्टियों को भी भेजे होंगे। सरकार की ओर से मालूम हुआ कि कुछ दिक्कत उनको भी होती है। हमने अपनी ओर से जवाब दे दिया था कि जब वह उचित समझें तो मीटिंग बुलाकर विचार-विनिमय कर लिया जाय तो अच्छा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की बैठक, जैसी कि वह चाहते थे, बुला ली जाय तो मेरा खयाल है कि जो हमारी शिकायतें हैं, उनका भी समाधान हो जायगा और उनका (सरकार का) भी समाधान हो सकता है।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन के सभी विरोधी दल के नेताओं के पास इस आशय का एक पत्र भेजा है कि हम लोगों को बैठकर इस प्रश्न पर विचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर लेना चाहिये कि प्रश्नों के घंटे का अच्छे से अच्छा उपयोग किस प्रकार हो सकता है। बहुत से प्रश्न आते हैं और उनका मौका तक नहीं आता है इत्यादि-इत्यादि। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि सभी लोगों ने इस बात को पसन्द किया कि इस सम्बन्ध में यदि कोई विचार-विमर्श हो जाय तो अच्छा है। इस सम्बन्ध में मैं स्वयं चिंतित हूं और इसका प्रमाण यह है कि मैंने ही इस आशय का खत भेजा और किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं कोई ऐसा दिन निकालूंगा कि उन सभी सज्जनों से, जिनको मैंने आमंत्रित किया है, मिलने में सुभीता हो। मैं जल्द से जल्द इसका प्रयत्न करूंगा।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि कामरोको प्रस्ताव के सिलसिले में जो प्रश्न अभी उठाया गया है तथा अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया गया है, उन पर भी इस सिलसिले में विचार हो जायगा। यह बहुत अच्छा तरीका होगा और यही ठीक है।

*प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७--(क्रमागत)

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फरहसन)--अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सामने है उसके जरिये से प्रिजन्स ऐक्ट में दो तरमीम तजवीज की गयी हैं। एक तरमीम का ताल्लुक तो इस बात से है कि कदी जो जेल में रखे जाते हैं, उसका मकसद क्या है? अभी तक डिटेंशन का लब्ज प्रिजन्स ऐक्ट में है। इसके जरिये से हम चाहते हैं कि डिटेंशन के साथ-साथ रिफार्मेशन का भी ध्येय करार दिया जाय। पिछले कई सालों से जो बड़े-बड़े सुधार जेलों में हुये हैं वह इस बात के मुक्तजी हैं कि इस तरह की तरमीम प्रिजन्स ऐक्ट में कर दी जाय।

दूसरी तरमीम इस बारे में है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल को यह अधिकार दिया जाय कि वह बतौर सजा के कैदियों के ग्रेड को आरजी तौर से या मुस्तकिल तौर से तोड़ सके और जो जेल की सुविधायें हैं उनको भी वापस ले सके। यह कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिस पर अमल न हो रहा हो, वह इस वक्त भी अमल में हैं, फर्क यह है कि इस वक्त उसका जिक्र जल मैनुअल में है, प्रिजन्स ऐक्ट में नहीं है। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने इस तरफ ध्यान दिलाया है कि प्रिजन्स ऐक्ट में इसके मुताल्लिक तरमीम कर ली जाय। तो यह तरमीम, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की जो एक हिदायत आयी है उसके मुताबिक, हम पेश कर रहे हैं और पहली तरमीम, जो हमारी जेल इंडस्ट्रीज इन्क्वायरी कमेटी थी उसने सजेस्ट की थी, कि इसका रेफार्मेशन किया जाय, उसके मुताबिक पेश की गयी है। मैं समझता हूं कि यह बहुत सीधा-सादा सवाल है, इसमें कोई दो रायें होने की गुंजाइश नहीं है और यह सदन इसको मंजूर करेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---प्वाइन्ट आफ आर्डर। श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने इस बिल के पेश करने के सम्बन्ध में यह खुलासा कहा है कि इसके पेश करने की वजह केन्द्रीय सरकार से आया हुआ आदेश है। मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम ९६ की ओर आकर्षित करूंगा। मेरे पास अंग्रेजी की किताब है, उसमें लिखा है :---

"After the motion that a Bill be taken into consideration is passed any member may demand that copies of papers, if any, on which the Bill is based and which are not confidential, may be placed on the table of the House".

लेकिन अभी जो सेंट्रल गवर्नमेन्ट के आदेश का रेफ्रेंस दिया गया, उसकी कापीज में सदन की मेज पर नहीं देख रहा हूं।

---

*२४ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छापा गया।

श्री अध्यक्ष--नियम में यह दिया हुआ है कि जब यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तब आप उन कागजात को मांग सकते हैं। अभी तो उनका मोशन है, पास कहां हुआ। आप कृपा करके बैठिये ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करता हूं :--

"प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ को, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, इस सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जो ३ महीने के भीतर इस पर अपना प्रतिवेदन सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे और जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी हक हो ।

(प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद म दिये जायेंगे)"

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी की बात का मैं खुले दिल से स्वागत करता, अगर इसमें मुझे एक चीज नजर न आती और मुझे दुःख है कि मुझे वह कहना पड़ रहा है। दो तरमीमात माननीय मंत्री जी ने इसके सिलसिले में फरमायी।

नम्बर एक कि आप कारावास में कुछ सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, उसका तो सब स्वागत करेंगे । इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । लेकिन दूसरी बात ग्रेड की, जेल मैनुअल में तो है लेकिन इसमें नहीं है । तो श्रीमन्, ग्रेड का सवाल तो पोलिटिकल प्रिजनर्स के संबंध में होता है । इस तरमीम को लाकर आप छिपे हाथ से, वह चाहे केन्द्र के मंत्री हों अथवा यहां के अपने पोलिटिकल "एडवर्सरीज" को दिक करना चाहते हैं। बहरहाल, मैं तो यह नहीं कहूंगा कि यह प्रेडेशन अच्छा है, लेकिन मुझे जो इस में डर या शंका नजर आती है, वह यह है कि जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं, जिनसे वह नाखुश हैं, उनके लिये जेल सुपरिंटेंडेंट से कह कर या किसी और तरकीब से इसमें यह बात हो सकती है और उस आदमी को सताया जा सकता है । तो श्रीमन्, यह तो बड़ी मिस्चीफ है। चाहे हमारे माननीय सदस्य इधर के हों अथवा उधर के, सब को इसका खयाल रखना चाहिये और अगर हम इसको पास कर देंगे तो आगे के आने वाले लोग हमें कोसेंगे ।

मैं आपके सामने फैक्ट्स और फिगर्स भी रखता हूं । यह जरूर है और उसके लिये मैं मंत्री जी को मुबारकबाद भी देता हूं कि इस राज्य में जेल के कैदी तगड़े होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, । जो आंकड़े सरकार के द्वारा पुस्तकों में संकलित हैं, उनको मैं दे रहा हूं । १९४६ में जब अंग्रेजी राज्य था उस समय जो कैदी मोटे हुये १ पाउंड से लेकर ५ या १० पाउंड तक, उनकी संख्या थी १२,१३९ और इस कांग्रेसी सरकार के राज्य में उनकी संख्या सन् १९५४ में २१,७३९ हो गई । सुसराल जाकर आदमी मोटा हो जाता है, उसे वहां खूब खाना और आराम मिलता है, यही कहावत यहां कांग्रेस के राज्य में कैदियों के साथ पूरी हुई । कैदियों की किस्मत ही इस राज्य में जगी है । अब आती है उनकी संख्या जिनका वजन घटा । तो १९४७ में वे थे २,८५६ और १९४६ में उनकी संख्या है ३,८३७। तो मोटे होने वालों की संख्या बढ़ी दुबलों की घटी। श्रीमन्, जरूरी है कि अगर दूध में चीनी डालो तो मीठा होगा और जितना ज्यादा डालो उतना ही ज्यादा मीठा होगा, लेकिन अगर दाल में चीनी डाल दी जाय तो उसका स्वाद बढ़ेगा नहीं । उनको सुधारा जाय, अच्छी बात है । लेकिन श्रीमन्, यह क्या है कि चोरी करो, डाका डालो, तो पहले तो पकड़े ही नहीं जाते, उसके लिये अपने प्रशासन की क्या तारीफ करूं, लेकिन अगर पकड़े भी गये तो उनको सजा बहुत हल्की मिलती है । उसके बाद उनके खाने आदि का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये । यह ठीक है, लेकिन उनका आतिथ्य-सत्कार कैसा ? जहां आप देखें की बाजार में १० आने का चार छंटाक तेल मिलता है, घी तो कहीं नुमायशमें ही मिलता है जिससे गरीब त्योहार नहीं मना सकता मगर कैदी को दर्जनों त्योहार दिये जाते हैं और नतीजा यह है कि बाहर रहे तो भूखे रहें और चोरी करके जेल जायं तो मजे से रहें । बाहर मेहनत करके मर जाते हैं लेकिन पेट नहीं भर पाते हैं। नौजवान बी० ए० पास करके मारे मारे फिरते हैं । लेकिन जब एक आदमी चोरी करके जेल चला जाता है तो वहां वह आराम से जिन्दगी गुजारता है । यह मानी हुई बात है कि आजकल पढ़े-लिखों में बेरोजगारी बढ़ी हुई है ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप थोड़ा सा असंगत हो रहे हैं । क्या आप सी० के अलावा डी० क्लास भी और खुलवाना चाहते हैं ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--जी नहीं, मैं इस क्लासिफिकेशन को तो खत्म ही कराना चाहता हूं । जो पार्टी के लोग वहां पर गये हैं उन्होंने कैसे-कैसे कन्सेशन मांगे हैं, मैं इसकी तफसील में जाना उचित नहीं समझता हूं, किन्तु श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको जेल में आराम देने के लिये, तरक्की देने के लिये जो इसके उद्देश्य और कारणों में कहा गया है उन पर ही मैं बोल रहा हूं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर तो लोग भूखों मर रहे हैं तो फिर वह जेल जाना क्यों नहीं पसन्द करेंगे जब कि उनको वहां पर हर तरह का आराम मिलता है । बाहर तो हिन्दू अपना दशहरा नहीं मना सकता है लेकिन जेल के अन्दर वह आसानी से मनाता है, वहां पर तो मुसलमानों और इसाइयों सबको त्योहार मनाने को मिलते हैं । बाहर वह क्या खा सकता है ।

इन जेल जाने वालों को सरकार जैसे कहती है कि आप बहुत अच्छा काम करके आये हैं, आपके मनोविनोद के लिये रेडियो का प्रबन्ध किया गया है । तो फिर कैदी क्यों जेल जाना पसन्द करेगा । वह तो वहां से जरूर मोटा होकर आयेगा । वहां पर वह जो श्रमदान करता है उसके एवज में जब वह घर वापस आता है तो उसको कुछ पैसा भी मिलता है । जेल में सुधार हो, मैं इसके विरोध में नहीं हूं और न मुझे इसका कुछ गिला ही है, लेकिन बाहर भी तो कुछ सुधार होना जरूरी है, जिससे बेचारे मनुष्य बाहर भूखे और प्यासे न मरें ताकि पेट के लिये उसे जुर्म करने पड़ें । कैदियों के लिये बिल के उद्देश्य और कारणों में जो चरित्रोत्थान की बात कही गयी है, शिक्षा की बात कही गयी है और बहुत सी बातें कही गयीं हैं तो उस विषय में, मैं यह निवेदन करता हूं कि जेल के अन्दर तो आप यह सब कुछ करना चाहते हैं और यह सब करने की परवाह सरकार को है लेकिन जब मनुष्य बाहर रहता है तो यहां पर उसके लिये कोई चरित्रोत्थान की चेष्टा नहीं है, मैं समझता हूं इस चीज को क्योर करने से पहले "प्रिवेन्शन" का प्रयत्न होना चाहिये । जब वह बाहर होता है तो उसके लिये चरित्रोत्थान की चेष्टा होनी चाहिये और नैतिकता की शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये ।

हमारा संविधान बना हुआ है । मैं उसकी बहुत प्रतिष्ठा करता हूं । जहां कहीं भी संविधान के खिलाफ बात हो जाती है तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उसके लिये बड़े से बड़ा त्याग करें । मगर उसके अन्दर भी चरित्रोत्थान या नैतिकता की बात नहीं कही गयी है । इसका प्रयत्न तो हमको इसी प्रकार से करना चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिये कि 'जिन्दे पिता को लातमलात और मरे पिता को भातमभात' । श्रीमन्, हमको इस प्रश्न की जड़ में जाना पड़ेगा । यदि हम मौलिक सुधार नहीं करेंगे तो इससे समस्या का हल होने वाला नहीं है । हमको इसकी बुनियाद में जाना पड़ेगा । आज जेल की पापुलेशन, जब कि सन् १९४६ में २० से लेकर ३१ वर्ष तक के आदमियों की १०,४६९ थी तो वह १९५४ में बढ़कर २७,००० के लगभग हो गयी है । ३१ वर्ष से ४० वर्ष के आदमियों की संख्या सन् १९४६ में ६,३१६ थी जो सन् १९५४ में १३,६१७ हो गयी । सदन में कुछ पूर्व रोगियों की वृद्धि पर यह बात कही गयी थी कि अब जनता अस्पताल माइन्डेड हो गयी है जिससे अस्पतालों में उनकी संख्या अधिक बढ़ गयी है । मगर जेल के आंकड़ों से इससे श्रीमन्, मैं क्या यह समझूं कि ये भी जल माइन्डेड हो गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--भाषण थोड़ा सा असंगत हो रहा है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--श्रीमन्, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा । श्रीमन्, मैं इस समस्या की जड़ में जाने का प्रयास कर रहा हूं और इसी लिये कुछ फिगर्स देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--फिगर्स आप बजट के लिये ही सुरक्षित रखें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—ठीक है, मैं फिगर्स में न जाकर संक्षेप में ही कहूंगा। अगर बेरोजगारी की समस्या को हल करना है, जेल में सुधार हो और लोग जुर्म कम करें तो हमें, इस समस्या की जड़ में हमको जाना पड़ेगा। यह नहीं कि पेट में तो दर्द है और आपने सिर बांध दिया। यह उसकी दवा नहीं है। दवा यह है कि देखिये उसकी बुनियाद में क्या बात है। श्रीमन्, आपने तो आंकड़े पर प्रतिबन्ध लगा दिया है इस लिये मैं आंकड़े में नहीं जाऊंगा। आज बेरोजगारी के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं।

श्री अध्यक्ष—आंकड़े आप बता सकते हैं लेकिन सम्बन्धित होने चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अगर आप इजाजत दें तो मैं.....

श्री अध्यक्ष—मैं आंकड़े के लिये इजाजत नहीं देता हूं, क्योंकि वह सम्बन्धित नहीं है। इसलिये आप उन्हें बजट के लिये ही सुरक्षित रखें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मेरा कहना है कि जेल में पढ़े-लिखे लोगों का परसेंटेज जहां पहले ८.९६ था वहां आज बढ़कर २२.७६ हो गया है। गरज यह है कि पढ़े-लिखे लोग ज्यादा जुर्म करने लगे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पेट भरता नहीं बी० ए० पास कर लिये, एम० ए० पास कर लिये, उसके बाद कोई नौकरी नहीं मिलती। आज बेरोजगारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। जहां-तहां वे नौकरी के लिये दरवाजा खटखटाते हैं। श्रीमन्, या तो वे किसी विशेष जाति में पैदा हों या किसी विशेष जगह के हों तभी उनको नौकरी मिल सकती है। यानी किसी विशेष जगह पर पैदा होना भी आजकल सबसे बड़ा सर्टिफिकेट हो गया है। फिर इन शिक्षित जवानों का क्या हो? उनके भी आकांक्षायें हैं। जब वे दस बीस जगह भटकते हैं, फिर भी कहीं नौकरी नहीं मिलती जिससे वे अपने पेट भर सकें, तो फिर वे क्या करें? वे अपना पेट भरने के लिये ही जुर्म करते हैं। श्रीमन्, आज सिर्फ यह कहने से ही काम नहीं चलेगा कि आज का समाज क्रिमिनल माइन्डेड है। आज का जो प्रश्न है, वह 'इकनामिक' है। एक आर्थिक समस्या है जिसको हल करना पड़ेगा। यह नहीं कि जिस जाति वाले जिस डिपार्टमेंट में हो जायं या जिसके हेड हो जायं, वे वहां नेपोटिज्म और जाबरिज्म से काम लें। मैं कहता हूं कि इस तरह का रवैया जो सरकार का है, उससे कोई सुधार होना असम्भव है। यह तो ठीक वैसे ही है जैसे आजकल 'घूस लेना और देना दोनों जुर्म हैं', इस प्रकार के बड़े-बड़े साइनबोर्ड दफ्तरों में लगे हैं, लेकिन जब से इस प्रकार के साइनबोर्ड दफ्तरों के बाहर लगे तब से घूस में डी० ए० भी बढ़ गया है। यह क्या बात है कि अगर एक जगह कोई आदमी बंगला अपना बनवाता है तो उसका तो ट्रांसफर कर दिया जाता है लेकिन जब दूसरा आदमी अपना बंगला बनवाता है तो उसको एलिवेट कर दिया जाता है, उसको वही गद्दी दे दी जाती है। मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूं। यह बड़े ऊंचे लेबेल पर हुआ है।

समाज में लोग कहते हैं कि फलां आदमी यह जुर्म करता है इसलिये यह बुरा है, इसका सुधार हो, लेकिन ये जो कत्ल होते हैं, डाकेजनी होती है, राहजनी होती है वह तो एक ट्रेमर (हल्के धक्के) के तौर पर है, उसके बाद भूकम्प होता है और उसके बाद ज्वालामुखी होती है, उसी तरह से इन जुर्मों का क्रम भी है। आज जिस तरह से नेपोटिज्म और जाबरिज्म हो रहा है, और जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों के दिल की आग ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़े और उसके लावे निकल-निकल कर एक दूसरे को मिटा दें। इसलिये श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सरकार को संकेत करता हूं कि यह अच्छा है कि जेलों में सुधार हो, लेकिन इसके साथ ही सरकार को यह भी देखना चाहिये कि लोगों की क्रिमिनल टेंडेंसी में कमी हो और इसके लिये जरूरी यह है कि बेकारी की समस्या दूर हो। यह नहीं की जेल मैनुअल में थोड़ा सुधार कर दिया जाय या प्रिजन्स ऐक्ट में थोड़ा सुधार कर दिया जाय। यह तो खाली दिखावे भर की बात है।

श्रीमन्, मैं जानता हूं कि इस ऐक्ट में जो तरमीम आयी है, वह तो पास हो ही जायगी क्योंकि वे जानते हैं कि हम लोग अल्पमत में हैं और सरकारी पक्ष के पीछे हाथ खड़े करने वाले बहुत

ज्यादा लोग बैठे हुये हैं, वे जो चाहेंगे वह तो करा ही लेंगे । हमारा तो केवल एक अरण्यरोदन सा ही हुआ करता है इसलिये मैं इस बिल की परिधि को बढ़ाना चाहता हूं, जिस से पोलिटिकल एडवर्सरीज के खिलाफ नाजायज फायदा उठाने की बात न रहे । डाक्टर लोहिया के बारे में जज ने कहा कि क्या वह अंगूठे के निशान वगैरह का काम जो हुआ बजाय इसके कि उनको बांध कर ले जाया गया वह किसी और तरीके से नहीं हो सकता था । इस तरह से उसका नाजायज फायदा उठाने की बात आती है । अगर आपको तरमीम ही करना है तो मूल अधियिनम की धारा ४६ के अन्त में एक प्राविजो लगा दिया जाय और वह ऐसा हो कि...

श्री अध्यक्ष---अभी आप तरमीम न लें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---इसके शब्दों में न जाकर अभी मैं केवल संकेत कर रहा हूं । असल में इसकी परिधि को बढ़ान की बड़ी जरूरत है ।

श्री मुज़फ्फर हसन---अध्यक्ष महोदय, और लोगों को भी जरा सी गलतफहमी हो सकती है इसलिये मैं इतना अर्ज कर दूं कि ग्रेड घटाने की बात दूसरी चीज है और क्लासिफिकेशन दूसरी चीज है, सी० ओज० और पक्के नम्बरदार वगैरह जो होते हैं उनका वह क्लासिफिकेशन दूसरी चीज है ।

श्री अध्यक्ष---(श्री गोविन्द सिंह बिष्ट से) आप अब इस सूचना को हासिल करने के बाद अपनी टीका करें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मुझे तो उस कृष्ण भवन में जाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---यह सूचना गलत है, ऐक्ट में कहीं एसा नहीं है जैसा वह कह रहे हैं। ऐक्ट में तो वह हर प्रिजनर के लिये है चाहे वह पोलिटिकल हो या क्रिमिनल हो ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---इस में सवाल इन्टरप्रिटेशन का है, या तो मंत्री जी इसको साफ कर दें कि इस में पोलिटिकल प्रिजनर्स शामिल नहीं होगें । यह एक छोटा सा सवाल है, चूंकि ३ दिन का समय नहीं दिया गया था, तरमीम देने के लिये, इसलिये मैं समझता हूं कि वह उसे स्वयं स्वीकार कर लेंगे । बाकी इसका स्थायी हल तो आर्थिक समस्या का हल करना है वरना यह सब बेकार है और वह यह तरमीम लाय हैं स्वांतः सुखाय के लिये, तो "दिल के बहलाने को गालिब यह खयाल अच्छा है" ।

श्री अध्यक्ष---माननीय मोतीलाल अवस्थी जी, आप का जो संशोधन है वह पेश कर दें क्योंकि आप का और उनका एक सा ही संशोधन है । आप '३ मास' शब्दों की जगह '२० फरवरी तक' ये शब्द चाहते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसकी पंक्ति ३ में मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि "३ महीने के भीतर" के स्थान पर शब्द "२० फरवरी, १९५८ तक" रख दिये जायं ।

सब से पहले तो मुझे यह आश्चर्य हुआ कि जिस तरह से अभी मंत्री जी ने खुलासा किया और सफाई की उस से तो और भी भ्रम होगा । दफा ४६ जो है वह तो इस प्रकार है कि :---

"The Superintendent may examine any person touching any such offence, and determine thereupon, and punish such offence". यह दफा प्रिजन आफेंसेज के सम्बन्ध में है और प्रिजन आफेंसेज की दफा ४ जो है उसमें यह बढ़ाये जाने की बात है । लेकिन अभी माननीय मंत्री जी ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि यह जेल वार्डरों के सम्बन्ध में है । मैं यह बात बिलकुल नहीं समझ पाया कि यह बात कहां तक न्यायसंगत है । मेरा यह खयाल है कि जो यह संशोधन उपस्थित किया गया है यह प्रिजन आफेंसेज के सम्बन्ध में है और यह आफेंसेज दफा ४५ में दिये हुये हैं । इनकी तादाद १६ है ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

इन्हीं प्रिजन आफेंसेज के हो जाने पर जो पनिशमेंट दी हुई है वह दफा ४६ में है । उनकी भी तादाद १२ हैं । इन में दफा ४ जो है उसमें यह बढ़ाये जाने की बात है । दफा ४ में यह शब्द हैं :—

"Such laws of privileges admissible under the remission system for the time being in force as may be prescribed by rules made by the Provincial Government."

इसमें प्रिविलेजेज जो मिली हुई हैं वह प्रिजन के सम्बन्ध में हैं, जेल वार्डर के बारे में नहीं हैं । उन्हीं प्रिविलेजेज को यहां डिलीट करने के बारे में या रिड्यूस करने की बात संशोधन में लायी गई है । श्रीमान् मंत्री जी ने पता नहीं किस गलत फहमी के आधार पर यह कह दिया । यह संशोधन विधेयक यद्यपि साधारण सा दिखायी देता है लेकिन इसके अन्तर्निहित दूसरी भावना भी है । अभी संशोधन उपस्थित करते हुए श्री गोविन्दसिंह जी ने कुछ इसका संकेत किया । मैं उनसे थोड़ी सी प्रार्थना करूंगा । उन्हें शायद जेल में स्वतः का अनुभव नहीं रहा है और शायद इसी आधार पर जो बातें उन्होंने रखीं उनमें से बहुत सी बातों में मुझे कुछ विरोधाभास मालूम हुआ । मैं सचमुच दूसरी परिस्थिति में हूं । मुझे जेल का अनुभव है, बहुत हाल का ही अनुभव है । उस आधार पर मैं जानता हूं । होना तो यह चाहिये था कि जेलों में जो दुर्व्यवहार है उसके सम्बन्ध में जेल मंत्री जी कोई सुधारात्मक कानून लाते, ठीक इसके विपरीत जेलों में जो कुछ भी सुविधाएं प्रिजनर्स को हैं उनमें भी कभी किये जाने का प्रस्ताव हमारे सामने आया हुआ है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयास को कुछ समझ भी सकता हूं । उन्होंने कैदियों के बारे में बहुत सी सुधारात्मक योजनाएं रखीं और बहुत कुछ सुधार किये । लेकिन उन्हीं के मंत्रिमंडल में इस विभाग के जो मंत्री हैं वे शीर्षक में तो सुधार रखना चाहते हैं किन्तु भीतर जो बढ़ाते हैं उसमें सुधार न करके कुधार करना चाहते हैं और कैदियों की बहुत सी सुविधाएं छीन लेना चाहते हैं । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि उसमें राजनीतिक प्रेरणा घुसी हुई है । वह जो ग्रेड की बात है और जो प्रिविलेजेज की बात है वह हटा करके कुछ अपने बदले की भावना भी रखना चाहते हैं ।

अभी हाल में यह देखा गया, और स्वंय का अनुभव भी है कि सोशलिस्ट सत्याग्रह में करीब ५ हजार सत्याग्रही जेलों में गये । हमने देखा, बजट स्पीच में भी कहा किन्तु उसका परिणाम कुछ निकला नहीं । मैं फिर उसको दोहराना चाहता हूं । आज हमारे जिले में जो बुरी व्यवस्था है उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ रहा है । इस सोशलिस्ट सत्याग्रह में ही श्री कमलाराय और श्री राम सिंह की मृत्यु जेल यातनाओं को सहते हुए हुई ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं अभी जलपान के लिए उठने से पहले जेल के सम्बन्ध में जो अमेंडमेंट विधेयक पेश हुआ है और जिसकी दफा ४ में एक ऐडीशन की बात रखी गयी है, उसके सम्बन्ध में कह रहा था । जो सेक्शन जोड़ा जा रहा है उसमें फारफीचर आर रिडक्शन आफ ग्रेड की बात आयी है । मुझे सौभाग्य है कि मैंने इस बात की जानकारी हासिल की और मुझे यह पता लगा कि यह ग्रेड उन कन्विक्ट्स के बारे में हैं जो ग्रेडेड हैं, जिनको कुछ सुविधायें प्राप्त हैं । अतः मैं अपनी जानकारी के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि इस सेक्शन में दो सुधार दिखाये गये हैं । एक तो फारफीचर आफ ग्रेड के बारे में और दूसरी चीज प्रिविलेजेज के फारफीचर के बारे में । यद्यपि ग्रेड की बात तो उन्हीं कन्विक्ट्स के बारे में आती है जो जेल में कुछ सहूलियतें प्राप्त कर लेते हैं कुछ दिन रहने के बाद और कुछ वहां के कार्य में हाथ बटाते हैं, उनके सम्बन्ध में यह पनिशमेंट दिये जाने की बात सोची जा रही है किन्तु प्रिविलेजेज सभी कैदियों द्वारा समान रूप से उपभोग किये जाते हैं । इस संशोधन

में उन प्रिविलेजेज का हनन करने की बात कही गयी है । इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा अधिकार गवर्नमेंट इस सदन से लेना चाहती है । एक तो प्रिविलेजेज जो कुछ भी आज हैं जिनका कैदी आज उपभोग कर रहे हैं, उनके बारे में हम सत्याग्रही के नाते अपने अनुभव से बता सकते हैं कि जेल अथारिटीज के ह्विम्स पर उनका अपहरण आये दिन हुआ करता है । मुझे अभी हाल की एक घटना आपके सामने रखनी है कि डाक्टर राममनोहर लोहिया जब लखनऊ जेल में थे उस समय उनसे मुलाकात करने के लिए प्रथम दस बारह रोज हरचन्द कोशिश की गई लेकिन मुलाकात नहीं हो पायी । यह प्रिविलेजेज का अपहरण था । मुझे भी अपने जेल जीवन का अनुभव है कि उसमें जो भी कैदियों को प्रिविलेजेज प्राप्त रहते हैं उनके अपहरण के लिए जेल अथारिटीज, और वह भी ऊपर से गवर्नमेंट के इशारे पर काम करने वाले, हमेशा इस बात से चौकन्ने रहते हैं कि किसी प्रकार यदि उन विरोधियों का दमन करने का मौका मिल सके तो क्यों न किया जाय ।

मुझे यह भी मालूम है कि न केवल राजनीतिक कैदियों के प्रति बल्कि कभी-कभी जेल के अधिकारी कुछ उन कैदियों के प्रति भी अपनी यह भावना या अपना रोष प्रकट करने में हिचकिचाते नहीं हैं जिनसे कुछ नाखुश हो जाते हैं । मुझे कुछ कहानियां ऐसी भी मालूम हैं कि किसी वक्त किसी बाहरी सज्जन द्वारा मुआयने के समय कुछ जेल अधिकारियों की बात खुली, उस पर उन कैदियों को इसलिए दंड दिये गये कि उन्होंने किसी तरह उस सत्य को खोलने में हाथ बटाया था ।

यह एक खुली सी चीज है कि जेलों के जेलरों और जेलों के सुपरिन्टेंडेंट द्वारा बड़े-बड़े गबन होते हैं । जो कुछ भी खाने के पदार्थ फिक्सड हैं उनमें किन्हीं चालबाजियों के द्वारा कमी की जाती है और जेलर साहब की भेंटों के सामने वह राशन सप्लायी होता है । बचा हुआ आटा खुलेआम बिक-बिक कर जेलों से जाता है और इस सबमें वहां के जेल वार्ड्स को हाथ बटाना होता है । यदि न बटायें तो उनको परेशानी उठानी पड़ती है ।

मैं मानता हूं कि जेल एक अनुशासन की प्रतीक है और सुपरिटेंडेंट जेल एक प्रकार से वहां का शासक है, एक निरंकुश शासक है और उसकी प्रत्येक इच्छा के लिए हर एक कर्मचारी को नाचना पड़ता है और उसे न्याय और अन्याय की दुहाई देने का साहस नहीं होता और इसीलिये जेलों के अन्दर की बात बाहर बहुत कम निकल पाती है ।

यह बात सही है कि कैदियों के भोजन में जो शेड्यूल्ड वजन है उस वजन से भी कम वजन की रोटी खाने को दी जाती है । इसकी वजह यह होती है कि रोटियां कच्ची होती हैं । कच्ची इसलिये दी जाती हैं कि कुछ आटा बचा लिया जाय, जो उनके निजी खर्चे में आ जाय । मेरे निज का भी अनुभव है । मैंने एक जेल का मुआइना किया । वहां सड़ा हुआ चना देते हुए मैंने पाया जो एक साल से दिया जा रहा था । मेरे टोकने पर कुछ सुधार भी हुआ ।

इस संशोधन विधेयक के द्वारा प्रिजन्स में संशोधन किये जा रहे हैं, लेकिन दफा ४६ के ४ को ही संशोधित किया जा रहा है, जिससे मालूम होता है कि प्रिजन्स के सुधार में कुछ और आवश्यकता रह ही नहीं गयी है । मैं हाउस को यह बतलाना चाहता हूं कि अब हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं । हमारी जेलें सुधारात्मक होनी चाहिये । इस सेक्शन के अतिरिक्त कुछ अन्य सेक्शंस भी थे जिनमें सुधार करना अत्यन्त आवश्यक था, लेकिन उनमें उंगली भी नहीं उठायी गयी है । आवश्यकता इस बात की थी कि हमारी जेलों से निकले हुए कैदी बाहर निकल कर समाज के सुन्दर नागरिक बनते और अपने किये हुए अपराधों का पूर्ण रूप से प्रायश्चित करके बाहर निकलते और समाज का सुधार करने में हाथ बटाते । लेकिन मैं पूछ सकता हूं कि क्या जेलों से आज के निकले हुए कैदी सुधरे हुए नागरिक होते हैं ? क्या यह बात सही नहीं है कि एक दफा जेल में हो आने के बाद वह कनविक्ट एक बड़ा भारी भयानक कैदी बन जाता है ? २६ जनवरी को सौभाग्य से मैं जेल में ही मौजूद था, वहां झंडा उद्घाटन के सिलसिले में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ । मेरी बगल में जिलाधीश महोदय बैठे हुए थे । उन्होंने एक कैदी की तरफ इशारा करके कहा कि इसका

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

टर्म इस जेल में ४२ साल का है, लेकिन पता नहीं कि अभी इसके जीवन चरित्र में कुछ उन्नति हुई या नहीं । मेरे निज का अनुभव है कि बहुत से जेल के कैदी तो बाहर की स्वतंत्र वायु को भी पसन्द नहीं करते और वे जेल में रहना ही पसन्द करते हैं। क्या यह जेल सुधार का प्रतीक है ?

जहां तक छोटे-छोटे अल्पवयस्क बालकों का सवाल है, जिनको छोटी आयु में जेल में जाना पड़ता है उनका वहां सुधार नहीं हो पाता । मैंने देखा कि उन बालकों में कोई सुधार नहीं होता है, बल्कि बड़े-बड़े जुर्मों के आदी होकर वे निकलते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि जेल का आद्योपान्त सुधार होना चाहिये । जब हमें अपने देश के आन्दोलनों में कभी-कभी जेल की यातनायें सहनी पड़ती हैं तभी वहां का दिग्दर्शन मिलता है और उन कैदियों से मिलने का सौभाग्य होता है, जो समाज के दोषी हैं और जिन्हें अपने किसी अपराध के कारण यह दंड भोगना पड़ा है । बड़े-बड़े साहसी कैदी, जिन्होंने बड़े-बड़े दुस्साहस के कार्य किये हैं, उनमें वहां जाकर पश्चाताप की भावना होनी चाहिये न कि वे एक बदला लेने की भावना लेकर आयें ।

मैं आपका ध्यान उन जेल वार्डर्स की तरफ आकर्षित करूंगा जिनके सम्बन्ध में श्रीमान् जेल मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा ग्रेडेशन में परिवर्तन किया जायगा । मैंने उनसे काफी बातचीत करके यह पता लगाया कि जेलों में जो निम्न कर्मचारी ह, चाहे वे जेल कन्विक्ट हों या मुलाजिम हों, उनका जीवन भी एक जेल का सा जीवन हो रहा है । ये छोटे-छोटे मुलाजिम १२–१२ घंटे ड्यूटी देते हैं । ६ घंटे रात को जगने के बाद सुबह ही उनको इतनी कड़ी ड्यूटी देनी पड़ती है कि कभी वे ईमानदारी से अपना कर्तव्य निबाह नहीं पाते । उनके रहने का स्थान, उनके साथ व्यवहार, ये सब ऐसी चीजें हैं जो जेल का सुधार करने में योग नहीं देती हैं, बल्कि देखने को तो यह मिला कि वहां जेल सुपरिंटेंडेंट, जेलर, डिप्टी जेलर आदि का ही राज्य रहता है । वे इन निम्न कर्मचारियों के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति इसलिये नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि जेल मैनुअल में ये बातें दर्ज हैं । ६४ साल पुराना जेल मैनुअल है । क्या आज भी इसमें सुधार करने की गुंजायश नहीं है ? आपके जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि प्रत्येक आदमी को एक छटाक दाल मिले । यदि उन्होंने स्वयं जेल में जाकर देखा होगा तो मालूम होगा कि वह दाल पानी से मिला कर ऐसी कर दी जाती है जो एक उपहास की वस्तु बन जाती है और उसमें दूसरे-दूसरे प्रकार की चीजें डाल कर लोगों के स्वाद पूरे किये जाते हैं । जेल मैनुअल में यह भी लिखा है कि किचन में एक उच्चवर्णीय पुरुष ही रहे, जो खाना बनाये । यह पुराना नियम है । आज हम जातीयता मिटाना चाहते हैं लेकिन फिर भी जातीयता नग्न रूप में मौजूद है । इन दोषों के दूर करने के लिये आज सरकार की ओर से क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

आज केवल एक सुधार के लिये यह बिल लाया गया है । एक बिल के लाने में जनता का कितना रुपया खर्च होता है, कितना समय सदस्यों का लगता है, फिर दूसरे सदन में जाता है और अन्त तक मैं समझता हूं कि कई हजार रुपये सरकार के खर्च हो जाते हैं । केवल एक संशोधन पर इतना खर्च करना और जेल की तमाम बातों पर ध्यान न देना, जनता के रुपये का अपव्यय करना है ।

यदि वह सुधार करना चाहते हैं तो खुल करके इस ओर सुधार करने की बात सोच । यह देखें कि वहां क्या-क्या बाधाएं और बातें हैं । मुझे तो अखबारों में पढ़ करके बड़ा कौतूहल होता है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने अपने काल में जेल सम्बन्धी अनेक सुधार करने का प्रयास किया है, यहां तक कि कैदियों की कान्फ्रेंसें भी बुलायी हैं, लेकिन उनसे वह यह न मान लें कि जनता को उन्होंने समझा लिया कि हमने बड़े अच्छे सुधार कर रखे हैं और बड़ा संतोषजनक परिणाम प्राप्त कर रखा है । इन दिखावटी चीजों से काम चलने वाला नहीं है । यहां पर जो कैदियों की कान्फ्रेंसें बुलाई गयीं और उनमें जो कैदी कैदियों के प्रतिनिधि रूप में आये, उन्होंने वह भाषण दिये जो पहले के लिखे हुए थे और एक ड्रामा सा खेला गया । उनमें वास्तविक कैदियों के प्रतिनिधि नहीं थे जो वास्तविकता को लाकर रखते और कैदियों की

ओर से अपनी बात कहते । तो इन बहुत से प्रयासों के करने पर, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वस्तुतः चीजों को देखें और उचित सुधार करने की बात सोचें ।

कभी कभी यह भी योजना सोची जाती है कि कैदियों को आजादी दे दी जाय और बड़े-बड़े बांधों में लगा दिये जायं, मगर मुझे इसमें भी शंका है । इससे कोई विशेष लाभ नहीं हो पाया । जेल की चहारदीवारी के अन्दर अपने सामाजिक कर्तव्य और नागरिकता के कर्तव्यों का ज्ञान कैदियों को कराने के सभी प्रयास असफल रहे हैं ।

प्रिजन्स ऐक्ट में धाराएं न केवल ४६ हैं, बल्कि इसमें ६२ दफाएं हैं और मैंने उनको बड़े गौर से पढ़ा है । गोविन्द सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय और साथ ही उसकी परिधि बढ़ायी जाय, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ कि उस सेलेक्ट कमेटी की परिधि बढ़ाने का अधिकार अवश्य हो जिसमें, जो ६४ साल का पुराना ऐक्ट है, जिसका मैनुअल भी बहुत पुराना है और जिसकी बहुत सी चीजें आउट आफ डेट हैं और बहुत सी चीजें अमान्य हैं और जो व्यवहारतः और अनुभवतः अमान्य हैं उन सबको देख कर एक सर्वांगीण सुधार करने की बात सोची जाय । वह तभी सम्भव हो सकता है जब सेलेक्ट कमेटी को इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार भी दिया जाय ।

श्रीमन्, मैंने आपके सामने उन कनविक्ट्स की बात भी थोड़ी सी रखने की कोशिश की है जिनको कभी-कभी जेल के अन्दर एक अफसरियत दे दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि अगर तुम्हारा कंडक्ट अच्छा रहा तो तुम्हारी सजायें कम हो जायंगी । उनमें आज भी चोरी की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, यह जेल सुधार अभी तक नहीं कर पाये । यद्यपि वे इस लालच में जरूर हैं कि हमारी कुछ जेल की अवधि घट जायगी, लेकिन होता क्या है ? ये जेल कनविक्ट्स उस समय सरकार का अंग जरूर बन जाते हैं, जब राजनीतिक विरोधियों का दमन करना होता है । अभी कुछ दिन पहले आपने डाक्टर लोहिया की बात सुनी कि जब उन सत्याग्रहियों को पीटने की बात आयी जो इसलिये दौड़ पड़े थे कि डाक्टर लोहिया को जबरदस्ती न उठाया जाय, तो जेल कनविक्ट्स ही उठा करके मुकाबिले में आगे कर दिये गये थे । तो ऐसे समय में वे अधिकारियों के एक बड़े सुन्दर शस्त्र बन जाया करते हैं । होना तो यह चाहिये कि अपनी स्थिति को समझें कि हमारा कर्त्तव्य क्या है । यह नहीं कि जेल के अंधे मुलाजिम बन जायं । वह तो उनके मुंह के टुकड़े खाने वाले बन चुके हैं ।

तो इस कानून के सुधार के लिये चाहे वह जेल के कनविक्ट्स का सुधार हो या जेल के सभी कैदियों के प्रिविलेजेज की या सुधार की बात हो, अन्ततः यह जरूर है कि आप उसमें रिडक्शंस ऐंड फोरफीचर्स सोचते हैं, कहीं भी प्रिविलेजेज को बढ़ाने की बात नहीं सोचते हैं । आज भी आपके कानों में यह बात न आ सकी कि कैदियों को, आज इस स्वतंत्रता के जमाने में, मनुष्यता का व्यवहार प्राप्त नहीं है ।

आज भी कैदियों के बीच में हम यही भावना पाते हैं कि उनमें जुर्म करने की अधिक से अधिक प्रवृत्ति है । यही कारण है कि जरायम बढ़ते ही जाते हैं । फिर हम कैसे कहें कि जेलों का सुधार हो रहा है और जेलों के सुधार के लिये यह विधेयक लाना ही काफी है और बाकी कोई आवश्यकता नहीं है । आज इस संशोधन में फारफीचर और रिडक्शन यह दो शब्द ही दुहराये गये हैं । मालूम होता है कि सरकार अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये ज्यादा उद्यत है यद्यपि बिल का नाम सुधारात्मक रखा जा रहा है । इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दे कि जब सुधारात्मक शीर्षक इसका रखा जाता है तो सुधार करे । कैदियों को इस समय जो प्रिविलेजेज हैं वे उनके अपहरण की ही बात सोचते हैं । यह ६४ साल पुराना ऐक्ट है और इसमें अधिकार नाममात्र को हैं और जो हैं भी, वह आफिसर्स की व्हिम के ऊपर हैं । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो इसकी परिधि भी बढ़ा सकें । यह कमेटी दोनों हाउसेज के सदस्यों की होगी और इसमें ऐसे सदस्य होंगे जो इसमें अनुभव रखते होंगे ।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि:—

"यह सदन निश्चय करता है कि प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ फरवरी, १९५८ तक सदन के सम्मुख उपस्थित करे। प्रवर समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।"

श्री उपाध्यक्ष—पहला जो संशोधन है उसमें भी परिधि बढ़ाने के अधिकार की बात है इसलिये आपका संशोधन अनावश्यक है और केवल १५ फरवरी तक वह अपनी रिपोर्ट सदन को उपस्थित कर दे, संशोधन इतना ही रहेगा।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—जी हां, मेरा संशोधन यह है कि प्रवर समिति १५ फरवरी, १९५८ तक अपनी रिपोर्ट सदन के सम्मुख उपस्थित कर दे। सरकार की ओर से मंत्री जी ने जो भाषण दिया उसमें इजहार किया कि यह अमेंडमेंट बहुत अच्छा है और इन्नोसेंट है। मैं सदन का ध्यान आपके द्वारा इसके उद्देश्य और कारण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके पहले पैरा के यह शब्द हैं कि "कारागार में बंदियों के रखने की मूल भावना है उसमें सुधार होना चाहिये न कि अपराध के प्रतिशोध के लिये दंड देना।" इसके माने यह हैं कि आज संसार में जो आंदोलन चल रहा है वह आंदोलन कैदियों के सुधारने की बात, रिफारमेटरी थ्योरी आफ पनिशमेन्ट पर बेस्ड है। दंड देने के दो ही माने हुये सिद्धांत हैं। एक रिफारमेटरी थ्योरी आफ पनिशमेन्ट और दूसरी रिट्रीब्यूटरी थ्योरी आफ पनिशमेंट है। १९ वीं सदी १८९४ में प्रिजन्स ऐक्ट बना, उस समय रिफारमेटरी थ्योरी आफ पनिशमेन्ट नाम की चीज सारे संसार में नाममात्र को थी। इंगलैन्ड में भी इस सिद्धांत को १९३७ में मान्यता दी गयी थी। पहले इंगलैन्ड में भी या भारतवर्ष के अलावा अन्य दूसरे पाश्चात्य देशों में, जो अग्रगामी बनने का दावा करते हैं, उनमें यह चीज नहीं थी।

आज हिन्दुस्तान में बड़ा जोर दिया जाता है, प्रादेशिक सरकार द्वारा भी और केन्द्रीय सरकार द्वारा भी, और उन संस्थाओं के द्वारा जो समाज के कल्याण का काम करती हैं कि पनिश्मेंट की थ्योरी रिट्रीब्यूटरी न हो कर रिफार्मेटरी होनी चाहिये। तो मैंने यह उम्मीद की थी कि १९५७ या १९५८ में जो यह अमेंडमेंट बिल आयेगा उसमें इस रिफार्मेटरी थ्योरी को ध्यान में रखते हुये आमूल परिवर्तन इस ऐक्ट का किया जायगा। १८९४ में जो स्थिति थी हमारे देश और संसार की, आज १९५८ में उस से भिन्न है। उस समय की और आज की न्याय की परम्पराओं में और विचारकों के विचार में, अन्तर है। आज समाज में इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिये और जो परम्परायें स्थापित करनी हैं, उनकी नींव मजबूत करने के लिये, इस प्रिजन्स ऐक्ट में आमूल परिवर्तन होना चाहिये था।

इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में पहले तो यह बात लिखी है कि यह तब्दीली इसलिये की जा रही है कि जिससे कैदियों का नैतिक सुधार हो और इसके दूसरे भाग में कैदियों को पनिशमेंट देने का अधिकार दिया गया है। कहने को तो यह कहा गया कि कैदियों का कैसे नैतिक सुधार हो इसलिये यह विधेयक लाया गया है, किन्तु इसका दूसरा अंग इसलिये है कि कैदियों को अधिक सजा किस प्रकार दी जाय। पहले अल्फाज थे "फार दि डिटेंशन आफ प्रिजनर्स" और अब कर दिया गया है "फार दि डिटेंशन ऐन्ड रिफार्मेशन आफ प्रिजनर्स"। क्या किसी भी कानून में केवल यह लिख देने से कि "फार दि रिफार्मेशन आफ प्रिजनर्स" कैदियों का रिफार्मेशन हो जायगा? हां, अगर इस भावना को व्यक्त करने के लिए इस कानून में कोई ऐसा परिवर्तन किया जाता जिसकी वजह से दरअसल कैदियों का सुधार होता तो यह धारा ३ में जो अमेंडमेंट, सरकार की ओर से करने का सुझाव दिया गया, तब उसके जरूर कोई न कोई माने होते। लेकिन यहां तो जैसे १८९४ में कानून बनाते वक्त कैदियों के अधिकारों को हनन करने की और उनको

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंसान से हैवान की श्रेणी में रिड्यूस करने की जो कुचेष्टा की गयी थी, वह आज भी मौजूद है। उस कानून के अन्तर्गत संभवतः वह सेक्शन १८ है जिसमें जेलर के अधिकार दिये गये हैं। अंग्रेजों ने कानून बनाया कि जेल का रेकार्ड महफूज रहे। आज १९५८ में उसे जेलर की जिम्मेदारी होनी चाहिये थी। उसका प्रमोशन इस बात पर निर्भर करना चाहिये कि उसके जेल से निकले हुये कैदी कैसे समाज में बढ़ते हैं, उसके कार्यकाल में कैदियों की तन्दुरुस्ती किस हद तक बढ़ी, उनकी शिक्षा किस हद तक बढ़ी। संशोधन होना चाहिये था, जेलर की ड्यूटीज के क्लाज में या जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट की ड्यूटीज में। अमेंडमेंट यह होना चाहिये था कि उनकी तरक्की या तनज्जुली कैदियों की तरक्की और तनज्जुली पर निर्भर किया करेगी। मगर जेलर की जिम्मेदारी सिर्फ इस बात के लिये लिखी गयी है कि जो कागजात जेल में मौजूद हैं उनके लिये वह जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं। तो इस तरह से जो यह अमेंडमेंट, दफा ४६ के अन्दर ४ ए जोड़ा गया है, जैसा मैंने निवेदन किया, उससे कैदियों के अधिकारों पर जो जेल मैनुअल के द्वारा दिये गये हैं, कुठाराघात ही होता है।

आज झगड़ा इस बात का है कि जेल में पहुंचने के बाद किसी आदमी का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। आज जुडिशियरी का एक मत यह है कि जेल में जब कोई आदमी जाता है तो उसको कोई अधिकार नहीं रह जाता। वहां उसके अधिकार सब समाप्त होते जाते हैं। किन्तु दूसरी विचारधारा यह है कि जेल के अन्दर भी मनुष्य के अधिकार रहते हैं। स्टेट के भी अधिकार हैं लेकिन स्टेट के अबसोल्यूट अधिकार नहीं हैं। वह उस आदमी के अधिकारों को पूरे तरीके से हनन नहीं कर सकती है। मैं यह मानकर चलता हूं कि जेल में जाकर किसी नागरिक के कुछ अधिकार छीन लिये जाते हैं। मैं यह नहीं मानता हूं कि किसी भी नागरिक के कोई अधिकार नहीं रह जाते हैं। उसको अपने शरीर की रक्षा के अधिकार रहते हैं। यदि इस जेल के कानून में यह सुधार होता कि जैसे नेशनल न्यूट्रीशन बोर्ड या दूसरी संस्थायें हैं, जिन्होंने देश में यह तय किया है कि इतना भोजन कम से कम एक प्राणी को मिलना चाहिये, इतनी क्लोरीन मिलनी चहिये और इतनी प्रोटीन मिलनी चाहिये, इसी हिसाब से जेल के अन्दर डाइट होती तो ठीक था। सरकार पूर्वी जिलों में इस तरह से नहीं कर सकती क्योंकि वह कहती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन गवर्नमेन्ट इतना जरूर कर सकती है कि उत्तर प्रदेश की जेलों के अन्दर जितने कैदी मौजूद हैं, उन कैदियों के लिये, जो नेशनल स्टैन्डर्ड फूड होता है, वह प्रत्येक को मिले। इसका आज कानून में कोई प्राविजन नहीं है। जिस समय यह जेल मैनुअल बनाया गया उस समय इसकी आवश्यकता नहीं महसूस हुई। उस समय हम लोग गुलाम थे। आज देश का सौभाग्य है और हमारे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि आज हमारी सरकार है और हमारे देश वालों की सरकार है। तो इस सरकार का ध्यान इस मौलिक समस्या के ऊपर आकर्षित अवश्य होना चाहिये था। परन्तु शायद अब वह यह सोचती हो कि अब उनके जेल जाने का समय समाप्त हो गया और उनको जेल जाने का अवसर नहीं आयेगा, लेकिन राजनीति में इस तरह से नहीं सोचना चाहिये। इसलिये बराबर इस बात की चेष्टा सरकार की तरफ से होनी चाहिये कि जेल में जो पहला अधिकार किसी कदी का है वह उसके भोजन का अधिकार है। उसके भोजन के लिये कोई प्राविजन इस मौजूदा ऐक्ट में होना चाहिये। मैं इस बात का इसलिये तजकिरा करना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी हमार इस सुझाव को स्वीकार करें, तो यह सब बातें उसकी परिधि को बढ़ाने के सिलसिले में, सेलेक्ट कमेटी विचार कर सकती है। और जो बहुत सी समस्यायें हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है, वह सब बातें वहां पर तय हो सकती हैं। जिस तरह से मैंने यह बात सदन के सामने रखी उसी तरह से एक दूसरी बात भी रखना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश में एक 'प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट' है। उसका एक प्रोबेशन डिपार्टमेन्ट है। मैं समझता हूं कि आज वह युग आ गया है कि जब प्रोबेशन डिपार्टमेन्ट और जेल डिपार्टमेन्ट का अमलगमेशन होना चाहिये। प्रोबेशन आफिसर्स बजाय इसके कि कलेक्टर से संबंधित हों वे जेल डिपार्टमेन्ट से संबंधित होने चाहिये और उनकी हैसियत चाहे जेलर

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

की हो, चाहे प्रोबेशन आफिसर की हैसियत हो या असिस्टेन्ट जेलर की हैसियत हो, वह उसके मातहत ही होने चाहिये। इसलिये अगर परिधि बढ़ाने का सुझाव माननीय मंत्री जी स्वीकार करें तो यह समस्या प्रोबेशन डिपार्टमेन्ट की और प्रिवेंशन आफ क्राइम्स की, इस सिद्धांत को मानते हुये, इसकी परिधि को बढ़ाने का सवाल होगा और उससे इस ऐक्ट की एक नयी शकल होगी।

एक दूसरी समस्या है उनकी जो जुर्म करने के आदी हैं और जो किसी पर्सनल लैप्स के कारण वहां आये हैं। नान-हैबिचुअल और हैबिचुअल कैदियों में आज जेल में कोई विभाजन नहीं है। नतीजा यह होता है कि नान-हैबिचुअल वहां अन्डरट्रायल की हैसियत से भी पहुंचता है तो वहां हैबिचुअल कैदियों के सम्पर्क में आकर, वह बाहर आकर जुर्म करने की मनोवृत्ति लेकर आता है। इसलिये जेल के ढांचे में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जेल में दो अंग हों, या दो दरवाजे होने चाहिए, मगर इसकी इस विधेयक में कोई झलक नहीं है। जुर्म की समस्या पर जब हम गौर करते हैं तो हमें विचार करना होता है कि हैबिचुअल और नान हैबिचुअल कैदियों की बाबत कोई दूसरी तरह का विधान होना चाहिय। यदि किसी वजह से यह विधान नहीं हो सकता तो यह जरूर होना चाहिये कि जो नैतिक पतन के सम्बन्ध में रखने वाले कनविक्ट्स आते हैं और जो इससे संबंध नहीं रखते हैं, उनमें विभाजन हो। अगर एक आदमी ३२३ का जुर्म करता है तो वह किसी विशेष परिस्थिति में करता है और उसमें नैतिक पतन नहीं है। मगर जो आदमी नैतिक पतन का जुर्म करता है जैसे कोई चोरी वगैरह करे, उसकी आत्मा बीमार हुआ करती है। इन दोनों की रोजमर्रा की जेल में जिन्दगी की स्टडी भी बहुत आवश्यक है आज यह होता है कि जो बार-बार नकबजनी करके भी जेल में जाता है उसके बेड़ी नहीं पड़ती है मगर जो ३०४ का जुर्म करके जाता है कि इत्तिफाक से लाठी से कोई मर गया या ३०४-ए का जुर्म करके जेल जाता है तो उसे बेड़ी पड़ जाती है। इस प्रकार कंजुअल कैदियों के साथ अमानुषिकता का व्यवहार हो जाता है। दलील के लिये मान सकते हैं कि अनुशासन के लिये कैदी के साथ सख्ती बरतनी ही होगी, मगर फिर भी जो नैतिक पतन के कैदी नहीं हैं उनके साथ अलग बर्ताव करना होगा। वैसे तो हमें विरासत में भी जेल जाना पड़ा और मेरा निवेदन है कि जेलों की हालत आज बड़ी खराब है।

एक उदाहरण देता हूं सन् १९५४ के आबपाशी के आंदोलन में मुझे जेल जाने का मौका हुआ। उरई में करीब ७० आदमी बरंडे में लिटा दिये जाते थे और सबके पैर में कड़ी डाली जाती थी जिसमें एक लोहे की जंजीर डाली जाती थी। जब कोई एक आदमी रात में पेशाब के लिये उठता था तो ७० आदमियों को उसके साथ उठना पड़ता था। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों का दावा है कि उन्होंने देश के लिये बड़ी कुर्बानियां की हैं, भारतवर्ष के संविधान में लिखा है कि वह मानव की प्रतिष्ठा को उठाना चाहते हैं, मगर आज हालत यह है कि कैटिल पौन्ड में जानवरों को जिस हालत में रखा जाता है उससे भी बुरी हालत में कैदियों को जेलों में रखा जाता है। यह हालत उत्तर प्रदेश की जेलों की है, मैं क्या अर्ज करूं।

जितनी चोरियां जेलों में होती हैं उतनी कहीं नहीं होती हैं। जेल से कम्बल २ रु० में चलता है और बाहर आते-आते उसकी कीमत ६ रुपये हो जाती है। भोजन की और दूसरी सामग्री की चोरी वहां होती है। जैसा आज का जेल का विधान है उससे यह नहीं मालूम होता है कि इसमें कोई सुधार हो सकेगा।

इन सब समस्याओं पर सरकार को विचार करना होगा। यह संशोधन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर यह जल्दी पास नहीं हुआ तो कोई बड़ी भारी मुसीबत आ जावेगी। मुमकिन है कि यह लेजिस्लेशन इसलिये लाया गया हो कि इसके जरिये से कुछ जेल मैनुअल के दोष ठीक किये जा रहे हों कि कहीं अदालतों में यह कह दिया जाय कि मैनुअल कानून नहीं है। वह कह सकते हैं कि ऐक्ट में सुधार कर दिया गया है। तो यह ऐसा जरूरी कानून नहीं है कि बहुत

जल्द पास होना चाहिये। खासतौर से इस बात पर गौर करना चाहिये कि यह १९ वीं सदी का कानून २० वीं सदी के सैकेन्ड हाफ में दोबारा सदन में आया है। इस बात से भी निहायत जरूरी हो जाता है कि इस पर अधिक गौर होना चाहिये।

समाज में बढ़ते हुये जुर्मों को कैसे कम किया जाय, इस पर भी हमें सोचने की आवश्कता है इसके दो ही उपाय हो सकते हैं। एक तो यह कि न्याय व्यवस्था उचित हो। मगर यह चूंकि इस विधेयक का विषय नहीं है इसलिये मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा।

दूसरा है पनिशमेन्ट की बात, कि अगर कोई आदमी पनिशमेन्ट भुगत कर आये तो वह फिर हौसला न कर सके कि दोबारा जुर्म करे। लेकिन जब तक उसका मानसिक परिवर्तन नहीं होता तब तक उस पनिशमेन्ट के कोई माने नहीं होते। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार के प्रतिनिधि माननीय जेल मंत्री जी जो यहां विचार कर रहे हैं, इस समस्या पर विचार करेंगे। वे यह न सोचें कि इस समस्या पर विचार करने के लिये विरोधी दल की ओर से कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिये गये हैं बल्कि आज उत्तर प्रदेश में वह समय आ गया है जबकि इस कानून में आमूल परिवर्तन होना चाहिये। यह समय की मांग है कि इस प्रिजन्स ऐक्ट में सुधार हो और उस सूबे की तरक्की इस बात से ज्यादा होगी कि माननीय जेल मंत्री जी, यह जो सुझाव दिया गया है, जो संशोधन दिया गया है उसको स्वीकार कर लें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रिजन्स ऐक्ट सदन के सामने उपस्थित है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके विषय में जो संशोधन आये हैं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और इसकी परिधि को बढ़ा दिया जाय, उसका विरोध करता हूं।

जिन साथियों ने यह अमेंडमेंट रखा कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय, उन्होंने जो अपनी दलीलें दीं, उनको मैंने सुना। मैं समझता हूं कि यह एक छोटा सा विधेयक है और इसकी परिधि भी बहुत सीमित है। यदि यह मांग की जाती है कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाय और कोई दूसरा कम्प्रिहेंसिव विधेयक इस सम्बन्ध में लाया जाय तो मैं शायद उस मांग को उचित समझता लेकिन मैं यह देखता हूं कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा चला आया है कि चाहे कोई छोटे से छोटा विधेयक, एक लाइन का हो या दस लाइन का हो, एक संशोधन विरोधी दल की तरफ से पेश कर दिया जाता है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय तथा इसकी परिधि को बढ़ा दिया जाय और जितनी भी पासिबिलिटीज तथा प्रबेब्लिटीज दिमाग के अन्दर होती हैं, उनको पेश कर दिया जाता है कि इनको इस विधेयक में शामिल कर लिया जाय।

जहां तक मैं इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को पढ़ने के बाद समझ पाया हूं, वह यह है कि इस विधेयक के पेश करने के केवल दो अभिप्राय हैं। एक तो यह कि आज के वैज्ञानिक युग में सारे देशों के अन्दर यह मांग है कि कैदियों के साथ अब तक का जो बर्ताव रहा है उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये। जिस तरह से और किस्म की बीमारियां होती हैं, उसी तरह से यह भी क्रिमिनल के लिये एक दिमागी बीमारी है जो किसी न किसी कारण से परिस्थितियों के वश दिमाग के अन्दर पैदा होती है जिसके वे शिकार हो जाते हैं। उनका सुधार होना चाहिये। ज्यादा जोर इस बात पर है कि बजाय इसके कि उनको जेल में भेजकर उनसे सख्त काम लिया जाय और उनको आतंकित किया जाय, उनका वहां सुधार किया जाय और उनको एक अच्छे नागरिक बनाने की चेष्टा की जाय।

इस बात को सभी जानते हैं, चाहे वे इधर बैठे हों चाहे उधर बैठे हों कि इस तरफ उत्तर प्रदेश ने काफी बहुत बड़ा एक्सपेरीमेंट भी किया है। मिसाल के तौर पर ओपेन कम्प जेल हमारे प्रदेश में चल रहा है और मैं समझता हूं कि इस देश के अन्दर उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत आगे गया है। अभी जेनेवा में एक इंटरनेशनल कांफ्रेंस हुई थी, वहां भी हमारे यहां के ओपेन कैम्प जेल की बात आयी और दूसरे देशों ने इस बात की सराहना की कि हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में अच्छा एक्सपेरीमेंट किया है और कामयाबी के साथ किया है।

[श्री नवलकिशोर]

श्रीमन्, मुझे भी ओपेन कैम्प जेल को देखने का मौका मिला है। पिछली बार जब मैं नानक सागर गया था तो वहां मैंने इस तरह का एक कैम्प देखा जिस में एक हजार से ज्यादा कैदी काम कर रहे थे। उनका एक संगठन था और मैंने यह महसूस किया कि जहां कुछ खास दफाओं के कैदियों के लिये प्रतिबन्ध है कि वे वहां नहीं आ सकते, अगर उस प्रतिबन्ध में भी कुछ ढीलापन होता तो ज्यादा अच्छा था। इस तरह के और भी कैम्प खुलने चाहिये।

अभी हमारे प्रदेश में एक सेमिनार हुआ था। एक नया आइडिया अपनाया गया कि विशेषकर हीनियस क्राइम्स वाले जो कैदी स्त्री व पुरुष थे उनके नुमाइन्दों को लखनऊ में इकट्ठा किया यह जानने के लिये कि उनकी क्या-क्या कठिनाई हैं, इस पर विचार विनिमय हुआ। अब तो जो सुधार हुये हैं उन पर उनका क्या मत था और आगे वह क्या चाहते हैं इस पर भी विचार किया गया। यह अपने ढंग की नई चीज थी। मेरा मंशा कहने का यह है कि सुधार की ओर कदम उठाया जाय। लिहाजा यह खयाल हुआ कि हमारा जो प्रिजन्स ऐक्ट है उसमें भी इसी दृष्टिकोण का समावेश हो सके तो ज्यादा अच्छा है। यह इस वजह से भी आवश्यक है कि उसका समावेश हो जाने के बाद जेलों का जो वातावरण है उसमें तथा वहां के कर्मचारियों के दृष्टिकोण में एक आमूल परिवर्तन होगा। इसलिये इस में धारा ३ के खंड (१) में शब्द "फार दि डिटेन्शन" तथा शब्द "आफ प्रिजनर्स" के बीच में शब्द "ऐण्ड रिफारमेशन" बढ़ाये जा रहे हैं। इसके अलावा मूल अधिनियम की धारा ४६ के खंड (४) के बाद एक नया खंड (४-ए) के रूप में बढ़ाया जा रहा है उसके शब्द हैं:—
"Forfeiture or reduction of grade, either temporarily or permanently, and temporary forfeiture of prison privileges."

असल में यू० पी० प्रिजन्स का जो यह १८९४ का ऐक्ट है इस में कहीं ऐसा प्राविजन नहीं है लेकिन जेल मैनुअल में ऐसा प्राविजन है और ऐसा अधिकार सुपरिन्टेन्डेंट को भी है। केन्द्रीय सरकार ने इस सरकार का इस ओर ध्यान दिलाया कि ऐसा प्राविजन यू० पी० प्रिजन्स ऐक्ट में हो जाय तो एक सामंजस्य हो जाता है। हमारे साथी माननीय गोविन्दनारायण जी ने बड़ा जोर इस बात पर दिया कि हमारा संविधान इस बात की मांग करता है और हमें आश्वासन देता है कि यहां मानव की प्रतिष्ठा स्थापित की जाय और इस बात पर जोर दिया कि किस स्टैंडर्ड का खाना जेल में दिया जाना चाहिये। मुझे एकायक पिछले बजट सेशन में माननीय नेता विरोधी दल ने जो भाषण दिया था उसकी याद आई, उन्होंने उसमें इस बात की तुलना की थी कि किस तरह का खाना यहां की जेलों में दिया जाता है। उन्होंने कहा था कि कितना पैसा औसतन प्रति कैदी पर सरकार खर्च करती है और कहा था कि जितना पैसा फी कैदी पर खर्च होता है उतना खर्च देश के साधारण व्यक्ति या मजदूर पर नहीं हो रहा है। उनके उस बयान से मुझे उस वक्त कुछ ताज्जुब सा हुआ था लेकिन जब मैंने अभी माननीय गोविन्दनारायण जी तिवारी को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि या तो उनको कुछ भ्रम है या उस समय नेता विरोधी दल को कुछ भ्रम था। अगर उनके शब्दों को हम सही मान लें तो उन्होंने यह तो स्पष्ट कर दिया था कि जेल में जो खाना औसतन एक कैदी को मिलता है वह खाना जैसा होता है और जितना प्रोटीन वगैरह उसमें होता है उतना औसतन जनसाधारण को नहीं मिल पाता है। इस तरह से वास्तविकता यह है कि जेलों में खाने की स्थिति साधारण तौर से खराब नहीं है।

उन्होंने दूसरी बात यह भी बतायी कि जो प्रोबेशन आफिसर्स हैं उनका जेल संगठन से सम्बन्ध होना चाहिये। परन्तु ऐसा तो आज भी होता है, यह दूसरी बात है कि जेल ऐक्ट में इसका प्राविजन चाहे न हो। पिछली बार भी एक छोटा सा संशोधन विधेयक आया था और उसमें यह था कि चूंकि इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स के अन्डर में प्रोबेशन आफिसर्स को काम करना पड़ता है। लिहाजा उन्हीं को उनके लिये ऐप्वाइंटिंग ऐथारिटी होना चाहिये और उस संशोधन विधेयक को इस सदन ने पारित किया था।

उन्होंने कुछ बढ़ते हुये क्राइम्स की बात भी कही थी, उन्होंने बताया कि उसका सम्बन्ध दो बातों से होता है। एक तो हमारी जो न्याय की प्रणाली है उससे और दूसरे जो हमारा पनिशमेंट देने का तरीका है उससे। जब किसी ऐक्यूज्ड को कोई अदालत सजा देती है, चाहे वह सिम्पिल इम्प्रीजनमेंट हो या इम्प्रीजनमेंट विद हार्ड लेबर हो, रिगरेस इम्प्रिजनमेंट हो। यह अदालत का काम हुआ जो वह आई० पी० सी० के अन्तर्गत करती है। जहां तक उसके बदलने की बात है उन्होंने स्वयं मान लिया कि उसका यहां इससे सम्बन्ध नहीं है। सवाल यह है कि जो जजमेंट हुआ वह जेल में किस तरह से कार्यान्वित किया जाय। इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। केवल कहना इतना है कि यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस सम्बन्ध में सुधार की कोशिश की गई वह पूर्ण रूप से कामयाब हुई, मगर इस बात की बराबर चेष्टा है।

अभी जेल इंडस्ट्रीज के बारे में एक कमेटी भी सरकार की तरफ से बनी हुई है जो वक्त-वक्त पर बैठती है और इस बात पर सुझाव देती है कि किस तरह से जेलों के अन्दर कैदियों को किसी न किसी इंडस्ट्री में शिक्षण दे दिया जाय जिस से जेल के बाहर निकलने पर वे अच्छे नागरिक बन सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल सकें।

इस तरह की चीजें हैं। मैं इसमें ज्यादा न जाकर केवल इतना ही आपके द्वारा अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इसमें बहुत छोटी सी दो बातें रखी गयीं हैं। इसमें चन्द साथियों को कुछ यह भी शुबहा हुआ कि जो इस में ग्रेडेशन का सवाल है उसमें कोई पोलिटिकल मोटिव की बात हो सकती है। मैं तो तिवारी जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने याद दिलाया कि आप यह न समझें कि आप का जेल जाने का वक्त खत्म हो गया है, क्योंकि राजनीतिक इतिहास में पता नहीं किस पार्टी को कब वहां जाना पड़ता है। उसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है। कभी वह जाते हैं। कभी हम भी जायंगे। लेकिन प्रश्न इस समय सिर्फ यह है, कि जैसे माननीय मंत्री जी ने सफाई कर दी कि आज भी जेल मैनुअल में जो पैराग्राफ २१२ है वह, जो ग्रेडेशन का सवाल है उसको डील करता है कि कनविक्ट्स में किस तरह से नाइट गार्ड्स, वार्डर्स कनविक्ट आफिसर्स बनाये जाते हैं। वह सभी जानते हैं जिनको जेल जाने का सौभाग्य हुआ है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—दुर्भाग्य कहिये।

श्री नवलकिशोर—जो कभी दुर्भाग्य होता है वही कभी सौभाग्य भी हो जाता है। यह कम्पेरेटिव बात है। यह आपका सौभाग्य रहा है कि आप जेल गये हैं। मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो यह ग्रेडेशन की बात है, उसमें उनको भ्रम हुआ कि शायद ए, बी, सी का क्लासिफिकेशन जो होता है। उनको यह भ्रम हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि सुपरिन्टेन्डेंट को इस तरह की कोई पावर्स दी जा रही है कि वह किसी को, किसी पोलिटिकल पार्टी के लोगों को जेल में जाने के बाद "ए" के बजाय "बी" और "बी" के बजाय "सी" क्लास में भेज दें। इसका स्पष्टीकरण हो गया कि इसका इससे सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध ग्रेडेशन से है जो कनविक्ट वार्डर्स वगैरह बन जाते हैं उनको इस से हटाया जा सके। इस तरह का प्राविजन जेल मैनुअल में था लेकिन ऐक्ट में नहीं था। उसके लिये व्यवस्था करने की बात है। मैं ज्यादा समय न लेकर अन्त में इतना चाहूंगा कि जो हमारे साथियों ने संशोधन रखा है कि यह विधेयक प्रवर समिति में भेज दिया जाय उसको वापस ले लें और जो बिजिनेस कमेटी ने तीन घंटे का समय निर्धारित किया है उसके अन्दर इसको पास करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं एक सूचना आपको दे दूं। माननीय सदन ने तय कर दिया है कि चार बजकर पचास मिनट पर विधेयक पास हो जायगा। ऐसी हालत में चूंकि समय की सीमा नहीं बांधी जा सकती अगर आप लोग नियंत्रण न रखेंगे तो उचित रूप से साधारण वादविवाद और संशोधनों पर विचार न हो सकेगा। इसलिये जो माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें और जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें।

[श्री उपाध्यक्ष]

मैं यह भी सूचना दे देना चाहता हूं कि चार बजकर तीस मिनट पर गिलोटीन ऐप्लाई की जायगी। उसके बाद किसी किस्म की बहस नहीं होगी। उसके बाद विभिन्न प्रश्नों पर केवल मत ले लिये जायेंगे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सरकार की ओर से पेश किया गया है इस पर मैं सारे वादविवाद सुन रहा था। अभी हमारे मित्र माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि विरोधी पक्ष की आदत सी हो गयी है कि छोटा बिल हो या बड़ा वे उसका विरोध अवश्य करते हैं और सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात करते हैं। परन्तु हमारे मित्र यह भूल जाते हैं कि हमारा भी एक विशेष दृष्टिकोण है और जब उस दृष्टिकोण से हम बिल को तोलते हैं तो बराबर अन्दर विरोधाभास देखते हैं। वे दूर हो सकें इस दृष्टि से कहते हैं कि यह प्रवर समिति में भेजा जाय।

यह जो बिल है श्रीमन्, इसके उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है :

> "किन्तु यह अब प्रायः सर्वसम्मत है कि कारागार में बन्दियों के रखने की मूल भावना उन्हें सुधारना होना चाहिये, न कि अपराध के प्रतिशोध के लिये दंड देना"।

इस से यह अर्थ निकला कि इस बिल का मूल भाव रिफ़ार्मेटिव दृष्टिकोण है न कि विन्डिक्टिव या पनिशिंग।

इसके आगे इस बिल के तीसरे खंड को देखा जाय :

३--मूल अधिनियम की धारा ४६ के खंड (४) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (४-ए) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(4—A) Forefeiture or reduction of grade, either temporarily or permanently, and temporary forfeiture of prison privileges".

इस धारा के पीछे जो इसकी पृष्ठभूमि है, मनोभाव है वह पनिशिंग है, रिफ़ार्मेटिव नहीं है। एक ओर कहते हैं हम अमेंडमेंट ला रहे हैं रिफ़ार्मेशन की दृष्टि से और उसी के अन्दर एक क्लाज जोड़ देते हैं जिसकी पृष्ठभूमि पनिशिंग है। यह अधिकार दिया किसको जा रहा है? जेल मैनुअल की धारा ४६ में यह अधिकार सुपरिन्टेन्डेंट को है। उसको ये अधिकार मनुष्य को ह्यूमिलियेट करने के थे जैसे ह्विपिंग करना या बेड़ी डाल देना या सेल देना। इन सारे अधिकारों को डिलीट करने के लिये यह बिल लाते तो मैं समझता कि कैदियों के रिफ़ार्मेशन की ओर पग उठाया जा रहा है। परन्तु श्रीमन्, उतना ही नहीं उसके अधिकार को और भी बढ़ाया जा रहा है। "forefeiture on reduction of grade". वह अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। क्या यह रिफ़ार्मेशन है? एक आदमी को अधिकार देना कि अपनी इच्छा के अनुसार इस अधिकार का प्रयोग कर सके क्या यह रिफ़ार्मेशन का दृष्टिकोण है? यह तो सुपरिन्टेन्डेंट के अधिकारों की वृद्धि है और कुछ नहीं। कोई भी बुद्धिमान इसको रिफ़ार्मेटिव बिल नहीं मानेगा। अगर यह मान लें कि प्रामाणिकता के साथ सरकार अपने रिफ़ार्मेटिव दृष्टिकोण को रखती है तो मैं कहूंगा यह केवल "सेल अन्डर फ़ाल्स लेबिल" है। श्रीमन्, सुपरिन्टेन्डेंट अपने अधिकार का प्रयोग दंड के रूप में करता है रिफ़ार्मेशन के रूप में नहीं। आप भय से रिफ़ार्मेशन कराना चाहते हैं? क्या व्हिपिंग के बल से आदमी की मनोवृत्ति बदली है? लालच से रिफ़ार्मेशन नहीं होता। रिफ़ार्मेशन होता है दृष्टिकोण, वातावरण और व्यवहार के बदलने से। अगर दफा ४६ को डिलीट करने के लिये यह बिल आया होता तो मैं समझता कि रिफ़ार्मेशन की ओर यह पग बढ़ रहा है। परन्तु यह रिफ़ार्मेशन की ओर पग नहीं है। यह तो एक रिएक्सनरी चीज है। एक व्यक्ति को इतना अधिकार दे देना कि सम्पूर्ण डिक्टेटर के रूप में वह जेल के अन्दर खड़ा हो, यह कोई रिफ़ार्मेशन नहीं है।

मैंने अपनी आंखों से देखा है श्रीमन्, और यह हमारे मित्र भी अपने जेल के अनुभव से जानते होंगे, उनको भी इसका अच्छा अनुभव होगा कि किस तरह से सुपरिन्टेन्डेन्ट्स पनिशमेन्ट्स इन्फ्लिक्ट करते हैं। मैंने देखा है श्रीमन्, दो कैदी एक सुपरिन्टेन्डेंट साहब के पीछे खड़े होकर मक्खियां भगाने के लिये मुर्छली हिला रहे थे। धोखे से एक की मुर्छली जो हार्सटेल की बनती है उनकी नाक पर पड़ गयी, बस उनके क्रोध का पारा आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने उस बेचारे को मैक्सिमम पनिशमेंट इंफ्लिक्ट कर दिया। तो जिस आदमी की यह मनोवृत्ति हो कि जरा-जरा सी त्रुटि के लिये मैक्सिमम पनिशमेंट इंफ्लिक्ट करे उसको इतना बड़ा अधिकार देना यह कौन सा रिफार्म है? यह तो केवल सरकार की जो अधिनायक वाद की ओर इसकी प्रवृत्ति है, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों और ब्यूरोक्रेसी की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाने की जो उसकी वृत्ति खड़ी हुई है, उसका प्रकटीकरण और परिचायक है और कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो मूलभूत गलतियां हैं, यह विधान सभा में बैठकर इतनी जल्दी दूर नहीं की जा सकती हैं। इनको दूर करने के लिये आवश्यक यह था कि यह सारी चीज एक प्रवर समिति में जाती और वहां शान्ति के साथ लोग उस पर विचार करते। वहां इन गलतियों को दूर किया जा सकता था। श्रीमन्, अगर यह कहा जाय कि सरकार विचार करके लायी है तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि साधारण विचार भी यदि किया गया होता तो इसके उद्देश्य में और उस उद्देश्य की कृति से जो फल होने वाला है उसमें इतना विरोधाभास न होता। तो यह जो त्रुटि है इस त्रुटि को हम लोग दूर कर सकें इस दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा और मुख्यतः माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति में जाने के लिये यह स्वीकृति दे दें और इधर से जो प्रस्ताव आया है उसको वह स्वीकार कर लें

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—मेरे खयाल से यह बिल ऐसा नहीं था कि जिस पर बहुत ज्यादा बहस की गुंजायश हो। बिल के अन्दर सिर्फ यह चीज थी कि जो अब तक क्राइम के बारे में एक नजरिया चला आ रहा था उसको बदल करके हम उसके अन्दर एक सुधारवादी नजरिया लाना चाहते हैं। कुदरतन जहां तक इस बात का ताल्लुक है इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं हो सकता है और सच तो यह है कि मेरा तो अब तक खयाल यह था कि शायद ऐसा कुछ नजरिया हो चुका है, क्योंकि जेल के बारे में हम सभी लोगों की, चाहे इधर के हों या उधर के हों, दोनों तरफ़ से दिलचस्पी रहती है। एक तो सोसाइटी का मसला है, जुर्म का मसला, सोसाइटी का मसला है और फिर जेल का कुछ अपना भी मसला रहता है।

कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जहां तक मेरा खयाल है, शुरू में ही जेल रिफ़ार्म्स कमेटी जो मुकर्रर की थी और इस बात को तय किया था कि हमें अपना नजरिया बदलना चाहिये। आज कुछ थोड़ा सा मुझे ताज्जुब हुआ कि आखिर दस साल के बाद उसको हमें फिर इम्फेसाइज करने की क्या जरूरत पड़ गयी? मैं तो समझता था कि काम इस पर हो रहा है। जो दफा ४ का जिक्र अभी यादवेन्द्रदत्त जी ने किया उसमें जो लिखा गया है यह मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। अगर इरादा ऐसा है तो मेरा खयाल है कि पहले हमें जो जेल के अधिकारी हैं उनके जुर्म के बारे में जो खयालात हैं उनको मौलिक तरीके से बदलना पड़ेगा।

अभी तक जुर्म के बारे में ईमानदाराना तरीके से हमारे अधिकारियों का ऐसा खयाल है कि जो लोग जुर्म करते हैं वे लोग सिर्फ डंडे के जोर से ठीक किये जा सकते हैं। यह उनका नजरिया बना हुआ है। अगर हम महज इसमें तब्दीली कर दें और उनके दिल व दिमाग में तब्दीली करने की कोई योजना न रक्खें तो ज्यादा फायदा नहीं उठा सकेंगे। इसलिये मैं आशा करता हूं कि जब आपने इतना जरूरी समझा है कि इसको बिल की शक्ल दी जाय तो इसको ठीक शक्ल देने के लिये जो और जरूरी कदम हैं वे भी उठाने होंगे। उसके लिये पहला कदम अपने जेल के अधिकारियों का जुर्म के बारे में नजरिया बदलने का है। दूसरे, समाज का भी नजरिया जुर्म करने वालों के सम्बन्ध में बदलना चाहिये। एक सोसाइटी एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविंदसहाय]

खास किस्म के जुर्म करती है और हम यह चाहते हैं कि वह जुर्म करना छोड़े तो उसके लिये हमको पूरा इलाज करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कांप्रिहेंसिव एप्रोच वह करनी होगी और चारों तरफ से उस सवाल पर टूटना पड़ेगा और उसको हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं यह आशा करता हूं कि जब यह बिल आया है, बजाते खुद जैसा यह बिल है अगर न आता तो कोई मौलिक बात नहीं थी, लेकिन जब लाना जरूरी समझा गया है किन्हीं वजहों से तो इस बिल को लाने के साथ जो जिम्मेदारियां सरकार पर आती हैं उनके लिये कुछ सक्रिय कदम सरकार को उठाने होंगे। महज इसको लाने से ही वह नजरिया बदलने वाला नहीं है।

सवाल आता है कि क्या इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने से कुछ रंग बदल सकता है, कुछ सुधार हो सकता है ? मैं समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में भेजना कोई ऐसा इलाज नहीं है जिससे यह आशा की जाय कि जितनी एनर्जी और वक्त हम उसमें खर्च करेंगे उसका नतीजा उतना निकल सकेगा जितना हम चाहते हैं। सेलेक्ट कमेटियों में बिल जाते हैं, जाने चाहिये जो कि जरूरी हैं, मगर जैसा यह बिल है मैं समझता हूं इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। इससे ज्यादा फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब हम इस बात पर एमफेसिस दें कि क्या-क्या सजेशंस होने चाहिये और क्या-क्या तब्दीली जेल मैनुअल में होनी चाहिये।

एक सबसे बड़ी तब्दीली यह है कि जिनके जरिये जेल मैनुअल चलायी जाती है उनके दिल व दिमाग में कैसे तब्दीली लायी जाय। जब आप क्राइम के बारे में जेल अधिकारियों का नजरिया बदलना चाहते हैं तो आपको जेल ट्रेनिंग स्कूल, जेल के सुपरिंटेंडेंड और जेलर इन सबका कोर्स भी बदलना होगा। नयी थ्योरीज क्या हैं और पुरानी थ्योरीज क्या हैं इन सबके बारे में पूरे तरीके से और नये तरीके से सोचना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि इस बिल के पास करने के बाद ये कदम उठाये जायंगे और मैं माननीय मंत्री जी से यह बात जानना चाहूंगा कि इसमें जो ४ (ए) है उसके पढ़ने से क्या यह बात महसूस नहीं होती कि जो पावर दी जा रही है उसका दुरुपयोग होने की आशंका नहीं बढ़ती ? अगर यह न होता तो हमारे बिल का आब्जेक्ट इतना ही होता जितना है और उसमें कोई अधूरापन नहीं आता। जब तक सुपरिन्टेन्डेंट और जेल अधिकारियों का क्राइम के बारे में सोचने का ढंग नहीं बदल जाता तब तक कोई भी उनको ज्यादा ताकत देना मुजिर हो सकता है। इसलिये मैं अपनी राय को जाहिर न करके यह आशा करता हूं कि माननीय जेल मंत्री जरा इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सारे बिल के अन्दर इसी सेक्शन को लाने की क्या आवश्यकता हुई और इसके लाने से ही क्या इस बिल का जो ध्येय है वह पूरा हो सकेगा ?

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख जो यह विधेयक उपस्थित है उसमें श्री मोतीलाल जी अवस्थी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और उसको परिधि बढ़ाने का भी अधिकार दिया जाय मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

इससे पूर्व कि मैं इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करूं मैं एक भूतपूर्व बन्दी के नाते अपनी सरकार के समाज सुरक्षा मंत्री को उसके लिये जेलों में नये सुधार करके मानवों का जीवन सुधारने का जो प्रयत्न किया है धन्यवाद देना चाहता हूं। विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाने के बाद मैंने अपने जिले की आगरा डिस्ट्रिक्ट जेल तथा आगरा सेंट्रल जेल का कई बार निरीक्षण किया है। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलनों के अवसरों पर मैं ४ बार जेलों में गया था। ब्रिटिश शासन काल में जहां हम यह महसूस करते थे कि अन्य बंदियों की अपेक्षा हम कांग्रेसी बंदियों को विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं वहां जब कि मैंने इन १० महीनों के अन्दर आगरे की सेन्ट्रल व डिस्ट्रिक्ट जेलों का कई बार निरीक्षण किया और निरीक्षण पुस्तिका में भी मैंने यह लिखा है कि जेल में काफी परिवर्तन हो चुका है। जहां जेल के अन्दर का जीवन नीरस, खुश्क था, सिर्फ जेल के सुपरिंटेंडेंट की कोठी के सामने सुन्दर वाटिकाएं दिखाई देती थीं और जेल की सब्जियों

का उपयोग जेल के उच्च अधिकारियों तक ही सीमित था बन्दियों को तो सिर्फ पत्तियां ही खिलाई जाती थीं वहां अब हर प्रकार की सब्जी जेल के बन्दियों को खिलाई जाती हैं। मुझे देख कर ताज्जुब हुआ कि जेल की हर बैरक के सामने सुन्दर-सुन्दर पुष्प खिल रहे हैं तथा जो मैदान पड़ा हुआ था, वह सुन्दर पुष्प वाटिकाओं के रूप में परिवर्तित हो चुका है और आज जेल के कैदियों को हर प्रकार की सब्जी खिलाई जाती है तथा उसे वह जेल के उद्यानों तथा अपनी बैरकों के सामने पैदा करते हैं। यहां तक कि इस वर्ष २० जनवरी को आगरा सेंट्रल जेल का मैंने निरीक्षण किया तो उस समय कुछ बन्दी, जो हमारे साथ १९४२ में भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अब इस जेल में बैंगन इतना ज्यादा पैदा होता है कि हम लोग बैंगन खाते-खाते परेशान हैं, अब तो किसी नई प्रकार की सब्जी का प्रबन्ध होना चाहिये।

जेलों में परिवर्तन हो रहा है और अनेक प्रकार से परिवर्तन हुआ भी है। विधान सभा के सदस्य के साथ ही साथ मैं इस वर्ष यू० पी० असेम्बली द्वारा उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की सेंट्रल कमेटी का एक मेम्बर भी निर्वाचित हुआ हूं। मैं इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने और परिधि बढ़ाने के प्रस्ताव का इसलिये समर्थन कर रहा हूं कि हमारे प्रदेश की अपराध निरोधक समिति ने हमारी सरकार के सामने जेलों में सुधार करने के लिये अनेक प्रकार के सुझाव भेजे हैं। सबसे पहला सुझाव यह है कि जेलों का नाम ही बदल दिया जाय और जेल का नाम "नैतिक सुधार गृह" कर दिया जाय। आज जब हम प्रिजंस ऐक्ट में संशोधन करने जा रहे हैं और जहां श्री गोविन्दसहाय जी ने भी जेल अधिकारियों की मनोवृत्ति बदलने का एक सुझाव दिया है वहां उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति ने सरकार के समक्ष कि जेलों के सुधार के लिये अपने सुझावों सहित एक योजना भी भेजी है। आज इस भावना की आवश्यकता है कि यदि हम वास्तव में जेलों में सुधार करने जा रहे हैं, तो यह भावना जनसाधारण पर प्रकट हो जानी चाहिये। इस बिल के उद्देश्य और कारणों में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि "कठोर काराबास की दंडाज्ञा का 'अर्थ कठिन परिश्रमयुक्त कारावास' होता है, किन्तु यह अब प्रायः सर्व-सम्मत है कि कारागार में बंदियों के रखने की मूल भावना उन्हें सुधारना होना चाहिये, न कि अपराध प्रतिशोध के लिये दंड देना"। प्रदेश का जो प्रोबेशन ऐक्ट बना है उसके अन्दर मूल धारणा यह प्रकट की गई है कि आज जेलों में जो कैदी जाता है उसे वहां जाने का कोई शौक नहीं होता है, जहां शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं वहां कुछ लोगों में ऐसी मानसिक बीमारी होती है, जो उन्हें अपराध की ओर ले जाती है। जेल मानव के सुधार करने के लिये बनाई गयी है। जेल एक प्रकार का चिकित्सालय है। अतः जेल को नैतिक सुधार-गृह के रूप में रखा जाना चाहिये।

मुझे यह भी पता चला कि हमारी सरकार ने अपराध निरोधक समिति के सुझावों को स्वीकार भी कर लिया है और वह शीघ्र ही जेलों के नामों को भी बदलने जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि हम प्रिजन्स ऐक्ट में संशोधन करने जा रहे हैं, हम यह मांग करते हैं कि ऐक्ट में उचित संशोधन करने के लिये इस बिल को एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय और उसे परिधि बढ़ाने का अधिकार भी दिया जाय।

इस बिल के द्वारा तो ऐक्ट की सिर्फ एक ही धारा में जो परिवर्तन हो रहा है, फोरफीचर्स से लेकर प्रिविलेजेज तक "Forfeiture or reduction of grade, either temporarily or permanently, and temporary forfeiture of prison privileges". उस सम्बन्ध में मुझे जेल मंत्री महोदय से यही कहना है कि आज हम अगर किसी मानव को जेल में बन्दी रखते हैं तो उसे सदैव के लिये नहीं रखते हैं बल्कि जो जुर्म उसने किया है उसको देखते हुए न्यायाधीश जो सजा की अवधि निश्चित करते हैं उस अवधि तक उसको समाज से बाहर जेल की चहारदीवारी में रखते हैं। उसे इसलिये जेल में रखा जाता है जिससे वह प्राणी, जिसमें अपराध करने की प्रवृत्ति पैदा हो गयी है, उसे समाज से दूर कर दिया जाय। जो व्यक्ति समाज के लिये घातक सिद्ध होता है, उसे समाज के अन्दर ही, १४ फिट ऊंची दीवार से, अलग कर दिया जाता है।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

आज आप देखें कि हम लोग जो विधान सभा के मेम्बर्स हैं, चाहे कांग्रेस के पक्ष के हों या अन्य किसी भी पार्टी के हों, उनमें से अधिकांश को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा जब कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी उन्हें जेलों में जाना पड़ा था। जेल से जब रिहाई का दिन नजदीक आता है तो एक-एक दिन बड़ी तड़पन के साथ गिनते हैं। रामायण में लिखा है कि जब श्री रामचन्द्र जी के वनवास की अवधि का एक दिन बाकी रह गया था तो अवधवासी बड़े आतुर थे और बड़ी आतुरता के साथ इन्तजार कर रहे थे। जैसे—

"रहा एक दिन अवधि कर, अति आतुर पुर लोग.....।"

इसी तरह से जब कैदी की रिहाई का दिन आता है तो वह बड़ा आतुर रहता है और उस दिन की प्रतीक्षा बड़ी आतुरता के साथ किया करता है कि वह दिन कब आयेगा जब वह जेल से मुक्त होकर अपने परिवार व समाज में मिलेगा। बन्दी के साथ ही साथ उसके परिवार वाले तथा अन्य मित्र भी उस दिन का इन्तजार किया करते हैं।

अगर हम यह संशोधन पास कर देते हैं तो बड़ा घातक होगा। वह व्यक्ति जिसको रेमीशन के रूप में प्रति सप्ताह एक दिन छूट का मिलता है और अगर उसका ग्रेड बढ़ जाता है तो उसको छूट में और भी अधिक दिन मिल जाते हैं। एक वर्ष में तीन महीने तक की छूट मिल जाती है उदाहरण के लिये, अगर किसी व्यक्ति को एक साल का कारावास हो और अगर वह जेल के नियमों का अच्छी तरह से पालन करे तो उसको सजा केवल ९ महीने की ही काटनी पड़ती है। और जिस व्यक्ति को इस प्रकार का रेमीशन मिल जाता है और उसके छूटने में कुछ ही दिन बाकी रह जाते हैं परन्तु उसी समय जेल सुपरिंटेंडेंट नाराज हो जाता है तो उसका रिहाई का दिन निकट होने पर भी उसके छूट के दिन को समाप्त कर दिया जाता है तो उसको तीन महीने की सजा और मिल जाती है। यह तो एक साल के कैदियों की बात है।

सेंट्रल जेल के लम्बी अवधि वाले कैदियों की बात देखिये। किसी व्यक्ति को अधिक से अधिक २० वर्ष की सजा दी जाती है परन्तु उसे एक बार में १४ साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाता है। १९४२ में जब हम राजबंदी के रूप में आगरा में थे, तो बन्दी हमारी सेवा के लिये रखे गये थे, आज भी १५–१६ वर्ष का समय व्यतीत होने पर भी वह सजा काट रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि आप कहा करते थे कि किसी को १४ साल से ज्यादा सजा नहीं कटाई जाती है। परन्तु उन्हें तो अगर रेमीशन के दिन भी जोड़ लिये जायं तो बीस साल से ज्यादा हो गये हैं। आगरा जेल में गोंडा का एक बन्दी ऐसा पड़ा हुआ है जो २२ साल से ज्यादा जेल काट चुका है और उसको अभी तक रिहा नहीं किया गया है। वह इसीलिये कि जब जेल अधिकारियों की कठोर दृष्टि हो जाती है तो उसके ग्रेड और रेमीशन वगैरह सब बन्द हो जाते हैं।

मैं जेल मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में हमारा दृष्टिकोण मानव में सुधार करना है तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाना चाहिये कि जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को, जिसका सुधार हो चुका हो, जेल की दीवार से मुक्त कर दिया जाय, लेकिन जेल की दीवारों से मुक्त न करते हुए आज इस संशोधन के द्वारा हम जेल सुपरिंटेंडेंट को वह अधिकार देते हैं कि वह जिस बन्दी को चाहे उसका रेमीशन वगैरह खत्म करके उसे जेल में ही बन्द रख सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—आप काफी विस्तार से बातें कर रहे हैं। इतना समय नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी—आप की आज्ञा शिरोधार्य है। इन शब्दों के साथ में यह निवेदन करूंगा कि अपराध निरोधक समिति के जो सुझाव हैं जैसे "नैतिक सुधार-गृह" की योजना हैं उन पर हम सेलेक्ट कमेटी में विचार कर सकें, इसलिये मैं मोतीलाल जी अवस्थी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जो वाद-विवाद हुआ है उससे मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि जिन माननीय सदस्यों ने इसके विरोध में भाषण दिये हैं उनके दिमाग में कुछ गलतफहमियां हैं। ऐसा मालूम होता है कि शायद वे यह सोच रहे हैं कि इसमें जो एक संशोधन है उसका असर कुछ राजनीतिक कैदियों पर पड़ने वाला है और दूसरी गलतफहमी शायद उनके दिमाग में यह है कि इससे जेल सुपरिंटेंडेंट के हाथ में कोई नये अधिकार आ जायेंगे। मुझे तो आशा यह थी कि जब यह बिल पेश होगा तो सदन के दोनों तरफ के सदस्यों की ओर से इसका पूरा स्वागत होगा और इस पर कोई बहस मुबाहिसा नहीं होगा, क्योंकि आज एक बड़ी मुद्दत से दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि जेलों में कैदियों के बन्द करने का लक्ष्य तथा प्रयोजन उनके अपराध का वेन्जिएन्स नहीं है बल्कि सारे अपराध की प्रणाली को बदलने का दृष्टिकोण होना चाहिये।

अपराध करने के दो कारण हुआ करते हैं। एक तो यह मानसिक बीमारी है जिसका बीमारी की तरह इलाज होना चाहिये और दूसरे समाज का आर्थिक ताना-बाना ऐसा है जिसके कारण मनुष्य विवश होकर उन अपराधों को करता है। तो यदि हमें देश और समाज से अपराध की प्रवृत्ति को हटाना है तो एक तरफ़, जहां इस बात की आवश्यकता है कि समाज के वातावरण को, उसके संगठन को, उसकी आर्थिक स्थिति को, इस तरह से परिवर्तित करें जिससे कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने की प्रेरणा न हो, वहां दूसरी तरफ हमें उस मानसिक बीमारी का भी इलाज करना है जोकि समाज का उपयुक्त वातावरण होने पर भी, अपराध करने की ओर प्रेरित करती है। तो जेल में बन्द करने का लक्ष्य एक बीमार को सुधारने की तरह से हो सकता है।

मुझे भी अपने जीवन में प्रायः ७ वर्ष जेल में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे थोड़ी इसमें दिलचस्पी भी थी कि मैं अपराधियों से बातें करूं, इस बात को देखूं कि आखिर अपराध होते क्यों हैं। जेल में विभिन्न समयों में रहने के कारण १९२१ से लेकर ५-७ वर्ष पहले तक के समय में, मैंने देखा कि जेल में क्या परिस्थितियां थीं, उनको दंड देने के क्या तरीके थे और इस सबका अनुभव करने का अवसर मुझे मिला है। इधर भी मैंकई बार जेल में एक निरीक्षक की तरह गया हूं। खास तौर से मैंने अभी १५,२० दिन हुए आगरा सेन्ट्रल जेल का पूरी तरह से, नजदीक से निरीक्षण किया और मेरा खयाल है, जैसा कि मेरे एक माननीय मित्र ने कहा, कि जेल की परिस्थितियों में बहुत कुछ, एक प्रकार से, आमूल परिवर्तन हो चुका है। मैं उन व्यक्तियों में तो नहीं हूं कि जो यह समझते हैं कि जेल के संबंध में कुछ करना बाकी नहीं है। मेरा खयाल यह है कि जेल के संबंध में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जब हम सारे प्रदेशों से अपने प्रदेश की तुलना करते हैं और इस बात को सोचते हैं कि ५,७ सालों में इस प्रदेश में जेल के संबंध में क्या हुआ है, तो हम पाते हैं कि हम काफी आगे बढ़े हैं। अभी हमारे प्रदेश में जो खुला सम्मेलन हुआ, उसमें काफी लम्बी मियाद के कैदी भी थे और उसमें जो सफलता मिली है, वह सब के सामने है। आपको यह भी मालूम है कि हमारे प्रदेश में जेल के संबंध में एक ट्रेनिंग स्कूल है, जिसमें केवल इसी प्रदेश के नहीं वरन् अन्य प्रदेशों के व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। किन्तु मैं चाहता हूं कि इस संबंध में हमारा प्रदेश और भी आगे बढ़े। इस प्रदेश की सरकार ने जो कुछ किया है वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है।

हमारे एक भाई गोविन्दनारायण जी ने कहा कि नेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार कैदियों को खाना मिलना चाहिये। मैं मानता हूं कि जेल के भोजन के संबंध में कुछ और सुधार होने चाहिये, उनको और अच्छा भोजन मिलना चाहिये, लेकिन क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि आज आप के प्रत्येक कैदी पर २२० रुपया सिर्फ खाने और कपड़े पर खर्च किया जाता है। इसके अलावा लाजिंग है, जेल की और व्यवस्था है, उस पर भी खर्च होता है, तो इसको देखते हुए मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आज देश और प्रदेश की परिस्थिति क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को कितना खाना मिलता है, कितना कपड़ा मिलता है? मुझे याद है, एक बार मेरे विरोधी दल के सदस्य ने कहा था कि आज बाहर के लोगों की हालत जेल के कैदियों की हालत से खराब

[श्री देवकी नन्दन विभव]

है। तो मैं यह समझता हूं कि आज यह समस्या जेल के रहने वालों की नहीं वरन् पूरे प्रदेश के रहने वालों की है और हमारा और आप का यह कर्तव्य है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा करें। आप जेलों में उनको पढ़ा लें, बहुत अच्छा भोजन दे दें, बहुत अच्छे कपड़े दे दें लेकिन जेल से निकलने के बाद वह अपने को उस परिस्थिति में नहीं पायेगा। मैंने अभी सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब, आगरा सेंट्रल जेल से पूछा कि आपने यह सब मनोरंजन की व्यवस्था कैदियों के लिये की, भोजन में भी उनके लिये सुधार किया है, लेकिन आज तो प्रदेश की हालत यह है कि जो जेल से निकलेगा वह अपने को उन परिस्थितियों में नहीं पायेगा जो कि सेंट्रल जेल आगरा की हैं। तो मेरा खयाल यह ह कि हमको जेल के सुधार में आगे बढ़ना चाहिये लेकिन देश के जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रश्न है। जब तक अपने देश का जीवन स्तर हम ऊंचा नहीं करेंगे तब तक हमारा जल सुधार कुछ अधिक उपयोगी साबित नहीं हो सकेगा और न हम उनकी अपराध की प्रवृत्ति को दूर कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सारा बहस मुबाहसा इस बात पर मबनी है कि जहां जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब को दूसरे अधिकार कार्य दिये जा रहे हैं, वहां वास्तव में जेल मैनुअल में यह अधिकार हैं। ऐक्ट और जेल मैनुअल में चूंकि तालमेल नहीं खाता है इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि इस तरह से इसको रखा जाय। अगर दो बिल अलग-अलग पेश किये जाते तो उनमें सदन का समय भी जाता। इस खयाल से इस सारे बिल को देखना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि जो गलतफहमी है वह दूर हो जायगी और हमारे विरोधी पक्ष के जो भाई हैं वह भी इस बिल का समर्थन करेंगे और प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव है उसको वह वापस ले लेंगे।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल, मेरी समझ में, केवल एक खाना पुरी करने के लिये लाया गया है। मेरा अपना विचार है कि यह बहुत जल्दी में बनाया हुआ बिल है जैसे कि यहां प्रायः अन्य बिल बहुत जल्दी में तैयार करके लाये जाते हैं। जब प्रिजन्स ऐक्ट में तरमीम की जरूरत महसूस की गयी जो बहुत जरूरी थी जिसका अनुभव यहां पर बैठने वाले बहुत से ऐसे लोगों को है जो आजादी के सिपाही रह चुके हैं, तो फिर इतनी जल्दी में इसको लाने की जरूरत नहीं थी। मेरा अपना विचार है कि सरकार इस बिल को वापस कर और एक काफी कम्प्रीहैन्सिव बिल, पूरे ऐक्ट को संशोधित करके और जेल मैनुअल भी सुधार कर हमार सामने लाये। तब उस पर हमारा विस्तार से विचार करना जरूरी है। मैं समझता हूं यह ऐक्ट सन् १८९४ का अंग्रेजों का बनाया हुआ है। मैं तो यह सोचता हूं कि आजादी के बाद ऐसी बहुत सी चीजें, जो अंग्रेजों ने अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से हमारे देश के लिये बनायी थीं, उनमें बहुत जल्द यह सरकार आमूल परिवर्तन करे। लेकिन सरकार का दृष्टिकोण, जैसे अन्य चीजों में ढीलढाल का है, वही इसमें भी रहा है। अगर प्रिजन्स ऐक्ट में तरमीम महसूस की गयी तो विस्तार से इसको लाना चाहिये था।

जेलों के अन्दर, इसमें संदेह नहीं है कि जिनको जेलों की देखभाल करने का मौका मिला है, उन्हें इस बात का पता है कि जेलों में कुछ सुधार हुआ है। पहले की अपेक्षा हम कुछ आगे बढ़े हैं। कैदियों के अधिकारों में कुछ खाने पीने के सम्बन्ध में मनोरंजन के सम्बन्ध में, बाहर जाने के सम्बन्ध में, परिवर्तन किया गया है। इसको हमें तसलीम करना चाहिये। लेकिन जेल में अभी तक कितने सुधार हुये हैं, वे जितने होने चाहिये उनकी अपेक्षा बहुत कम हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर एक विस्तृत विधेयक इस आदरणीय सदन के सामने लाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। हम लोगों को उस समय ज्यादा अवसर भी मिलेगा कि हम अपनी तमाम बातों को रख सकें और विशेषकर उन लोगों के जरिये रखी जायं जिन्हें जेल जीवन का बहुत लम्बा अनुभव रह चुका है।

जहां तक इसमें सुधार की भावना को व्यक्त किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन मुझे तो इस विधेयक के उद्देश्य और कारण के जो दोनों पैराग्राफ हैं, उनमें कोई मेल नहीं दिखलायी पड़ता है। केवल जेल मैनुअल में वर्णित सुपरिन्टेन्डेन्ट के अधिकारों, जो व्यवहारतः आज भी लागू हैं, को बिल के जरिये लीगलाइज एवं रेगुलाइज करने की बात है। मैं समझता हूं और इस बात को मानता हूं कि इससे उनको कोई विशेष अधिकार नहीं मिलता है। जो अधिकार वे आज तक प्रयोग में ला रहे हैं, जो अधिकार नित्य प्रति बरते जाते हैं उन्हीं अधिकारों को लीगलाइज किया जा रहा है। जो जेल मैनुअल में लिखा गया है वही इस ऐक्ट में भी लिख देने की बात सी है। मेरा अपना ऐसा विश्वास है कि इसका मनोवैज्ञानिक असर उनके दिमाग पर यह पड़ेगा कि इस ऐक्ट के बन जाने के बाद कैदियों के अधिकारों को छीनने, उनको जो सुविधायें दी गयी हैं उनको लेने और रैमिशन डेज को कम करने की उनकी मनोवृत्ति आगे रहेगी। क्योंकि अब तक जेल मैनुअल में उनको अधिकार है परन्तु जेल कानून में नहीं है, एक तरह से इस प्रकार उनके ऊपर प्रतिबन्ध सा है इस ऐक्ट के बन जाने के बाद जब यह प्रतिबन्ध हट जायगा तो इसका मनोवैज्ञानिक असर उनके ऊपर होगा।

मैं समझता हूं कि जहां तक उद्देश्य और कारणों के पहले पैरा में वर्णित विषय है और जहां तक दूसरे पैरे का सम्बन्ध है जो व्यवहार में लाया जा रहा है, उनका मेल नहीं खाता। इसलिये मैं अधिक न कह कर चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बिल को वापस ले लें और जब कम्प्रिहैन्सिव बिल आयेगा तो उसी समय पोलिटिकल प्रिजनर्स के विषय में भी, जिनके विषय में अन्य सदस्य बहुत कुछ कह चुके हैं, हमको कहने का अधिक मौका मिलेगा। आज जेल में ऐसे लोग भी जाते हैं जिन्हें हम पोलिटिकल प्रिजनर्स कहते हैं और सरकार भी उनको पोलिटिकल प्रिजनर्स समझती है, लेकिन कानून में, कायदे में और काग़ज पर नहीं कहती, अंग्रेज भी नहीं कहा करते थे। हम सभी लोगों को जब कि हम लोग जेलों में जाते थे, कायदे के अनुसार न वे कहते थे और न जेल के कागज में ही लिखते थे कि हम पोलिटिकल कैदी हैं, लेकिन हम लोग वास्तव में पोलिटिकल कैदी ही थे और व्यवहारतः माने भी जाते थे। उसी तरह से आज यह सरकार भी उसी पालिसी और उसी नीति को मानती है। जो लोग सरकार की शासन-व्यवस्था अथवा किसी नीति तथा कार्य के खिलाफ लड़ कर जेल जाते हैं असल में वे पोलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं। उनके अधिकार जेलों में क्या रहें, उसके ऊपर बातें कहने का सदन के हर एक सदस्य को पूरा मौका मिलना चाहिये। यह निर्विवाद बात है कि जो हीनियस क्राइम्स में, जघन्य अपराधों में, अनैतिकता के अपराधों में जेल जाते हैं उनमें और जो किसी उच्च आदर्श को लेकर जेल जाते हैं उनमें कुछ अन्तर होना चाहिये और इस अन्तर को सरकारी कानून के द्वारा मान्यता देनी चाहिये। इस बात का अनुरोध इस सदन की ओर से, विशेष करके विरोधी पक्ष की ओर से है कि जेलों में सुधार हो। इसके लिये सरकार एक कम्प्रिहेंसिव बिल लावे तभी राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के विषय में अधिक जोरदार तरीके से कहा जा सकता है कि सरकार उनके साथ विशेष व्यवहार करे और इस बात को वह अपने कानून में भी लावे। इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि चूंकि बहुत जल्दी में केवल खानापुरी करने के लिये यह बिल लाया गया है इसलिये इसको वापस लिया जाय और फिर बाद में एक बहुत विस्तृत बिल इस सदन के सामने पेश किया जाय।

(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—श्री उग्रसेन जी, आप भाषण करें लेकिन समय बहुत कम है, मुख्य-मुख्य बातें ही आप कहें।

श्री उग्रसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मोती लाल अवस्थी जी के संशोधन के सम्बन्ध में दो एक बातें कहने के लिये खड़ा हुआ हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—यह भ्रम है, यह मोती लाल जी का कोई संशोधन नहीं है।

श्री उग्रसेन—जी हां, श्री गोविंद सिंह जी के संशोधन में उनका संशोधन था, उसी के सम्बन्ध में, मैं अर्ज करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे केवल दो एक बातें आपके समक्ष इस सदन में कहनी हैं।

पहली बात तो यह है कि मुझे बड़ा आश्चर्य उस समय हुआ जब गत वर्ष का बजट आया था। खुशकिस्मती से उसी वक्त सोशलिस्ट सत्याग्रह से छूट कर मेरा जेल से आना हुआ था और उसी समय जेल ग्रांट पर मुझे ही कटौती का प्रस्ताव पेश करने का अवसर मिला था। उस समय मैंने कहा था कि जेल के संबंध में जो भी कानून हैं, चाहे वह प्रिजेंस ऐक्ट हो या जेल मैनुअल हो, सब बातों को लेकर केंद्रीय सरकार की सलाह से एक सविस्तार कानून बना देना चाहिये। लेकिन बदकिस्मती है कि मुझे जेल में इस बार मालूम हुआ कि जेल के हर रजिस्टर की जिन्दगी ९९ बरस की है, वहां के किसी रजिस्टर का जीवन इससे कम नहीं है। इस प्रिजेंस ऐक्ट को बने भी ६४ वर्ष हो गये। मुझे ताज्जुब हुआ कि मंत्री जी यह संशोधन कैसे ले आये। इसकी जिन्दगी भी ९९ साल की हो जाती, जेल के तो सब काम ही ऐसे हैं तभी यह संशोधन लाते। मैं तो माननीय झारखंडेराय जी की इस राय से इत्तफाक करता हूं कि नये तरीके से एक काम्प्रिहेन्सिव बिल आये और उसमें तमाम प्रजातांत्रिक भावनाओं का समावेश हो। इसमें तो आपने एक शब्द "फार डिटेंशन" के बाद "रिफार्मेशन" और बढ़ा दिया। इससे क्या होता है? किसी भी दवा का नाम अच्छे से अच्छा रख दिया जाय और उसमें कोई तत्व न हो, तो केवल नाम रखने से कुछ नहीं होगा। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि जेल का कोई दूसरा नाम रख दिया जाय, लेकिन केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होगा जबतक कि दवा के तत्वों का सुधार न हो। माननीय नवल किशोर जी चले गये वर्ना मैं उनसे निवेदन करता। यहां जेल के सुधारों की बड़ी बात की जाती है। चुर्क में डाक्टर सम्पूर्णानन्द कैम्प खुला, वहां कैदी गये, वहां उनसे काम लिया गया, वहां की क्या स्थिति थी, जब लोग वहां से लौटे तो मालूम हुआ कि वहां से लोग भागे, शेड्स में तन्हाई में रखे गये, बेड़िया पहनाई गयीं और चार-चार पांच-पांच दिन तक उन्हें खाना और पानी नहीं मिला, लेकिन इस की कोई सूचना सरकार के पास या जेल के सबसे बड़े अफसर के पास नहीं पहुंची। एक तो यह सुधार हुआ कि कैम्प्स बनाये गये। हम लोगों को इस से बहुत तकलीफ हुई। इस तरह के सुधार हुये जैसे जापानी माल होता है देखने में तो खिलौना बहुत अच्छा लेकिन तत्व कुछ नहीं।

दूसरी सुधार की बात की गयी कि एक बन्दी सम्मेलन हुआ। मैं आदरणीय सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि बन्दी सम्मेलन के बहुत से ऐसे प्रस्ताव हैं जो लागू नहीं किये गये। बावजूद इसके कि एक महीने का रेमिशन सब कैदियों को इस सम्मेलन में दिया गया था लेकिन बीसों बार दरवाजा खटखटाने के बाद कुछ लोगों को रेमिशन मिला लेकिन अब भी सब लोगों को नहीं मिल सका। सम्मेलन में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं पास किया गया कि हमारे ऐक्ट पर सविस्तार विचार हो और उसमें प्रगतिशील सुझाव रखे जायं। सुधार केवल नाम का है।

माननीय गोबिन्द सहाय जी ने कहा कि उनका दृष्टिकोण बदलना चाहिये। देवरिया जेल में सुपरिंटेंडेंट बद्रीप्रसाद जी थे। वह तो कहते थे कि हमने माननीय मुख्य मंत्री को रगड़ दिया। हमने कहा कि यह कोई जरूरी नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री को अगर रगड़ दिया तो हमको भी रगड़ देंगे। बड़े-बड़े पुराने अफसर बैठाये गये हैं। उनके रहते हुये जेलों में कैसे सुधार हो सकता है? मुश्किल तो यह है कि वह जल्दी रिटायर भी नहीं होंगे क्योंकि रिटायरमेंट एज अब बढ़ गयी है। उनके रहते हुये जो जेलों का सुधार सम्भव नहीं है। चाहे आप ट्रेनिंग कालेज खोलें, चाहे सम्पूर्णानन्द कैम्प खोलें, चाहे बन्दी सम्मेलन बुलायें लेकिन अगर आप सही मानों में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, और आप नहीं करना चाहते हैं, मैं साफ कहना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बहुत

से लोग ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुये हैं वे निकट भविष्य में जेल नहीं जा रहे हैं। वहां महात्मा गांधी और और पं० जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें टंगी हैं मगर कोई सुधार नहीं है, भ्रष्टाचार है।

श्री उपाध्यक्ष---समय की तरफ आप ध्यान रखें।

श्री उग्रसेन---बन्दी सम्मेलन में कैदियों को लाये, हलुआ पूड़ी खिलाया कि डेलीगेट हो जायं। एक कैदी का वहां पर मत बदल गया। वह सच्ची बात बतलाना चाहता था। उस का नाम डेलीगेट लिस्ट से काट दिया गया और वह सम्मेलन में भाग नहीं ले सका। बन्दी सम्मेलन के प्रतिनिधियों की यह दुर्गति हुई।

ऐक्ट में एक दफा ५२।३ हम लोग उससे बहुत हैरान हैं। मैं खुद ९ महीने का भुक्तभोगी हूं। यह जो दफा (४) को बदलने की बात हुई है वह इसलिये कि जब अदालतों में मुकदमा गया और जेल मैनुअल कोट की गयी कि उसमें यह लिखा हुआ है कि यह ग्रेड्स बदले जा सकते हैं, उनके क्लास बन्द किये जा सकते हैं तब विरोधी पक्ष के वकीलों ने बहस की कि यह ऐक्ट नहीं है। प्रिजन ऐक्ट की दफा ५९ में सरकार को यह पावर है कि वह उसके लिये नियम बना दे, मगर यह कानून नहीं है। तब केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को लिखा। इसलिये यह हो रहा है। प्रिजन्स ऐक्ट की सबसे ब्लैक दफा है ५२, जिसमें इतनी ज्यादा पावर्स सुपरिंटेंडेंट के आफिस को दे दी गयी है जो भारतीय संविधान के अन्तर्गत कभी नहीं देनी चाहिये। अनलिमिटेड पावर्स दे दी गयी है। इसको बिल्कुल डिलीट कर देना चाहिये।

"...otherwise, in the opinion of the Superintendent, is not adequately punishable by the infliction of any punishment which he has power under this Act to award, the Superintendent may forward such prisoner to the Court."

इसमें लिखा हुआ है कि अगर सुपरिंटेंडेंट समझे कि उसकी निगाह में यह सजा जो जेल के अन्दर कैदी को दे रहे हैं काफी नहीं है तो वह दफा ५२ के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट के यहां चालान करके भेज देगा और उसकी सजा एक साल तक होगी। मेरा निवेदन है कि इस बिल को वापस करके यह काला सेक्शन ५२ बिलकुल हटा दिया जाय और भारतीय संविधान के विरुद्ध जो कार्यवाही हुई है उसका निराकरण किया जाय। सुपरिंटेंडेंट जेल एक जुडीशियल ट्राइबुनल है। उसको इतनी अनलिमिटेड पावर्स दे दी गयी है कि गवाही गुजरी, गवाही हो गयी, ग्रेड कट गया। कैदी को जो पनिशमेंट दी जाय हिस्ट्री टिकट पर लिखा जाय और उसकी एंट्री पनिशमेंट बुक में हो और जो गवाह हों, जिन्होंने गवाही दी हो। उन सबके पूरे नाम और उनकी गवाही का विवरण लिखा जाय। लेकिन ऐसा नहीं होता। रूल ७४२ में लिखा हुआ है कि जो प्रिजनर बिना आई जी० प्रिजन्स के हुक्म के हंगर स्ट्राइक करें वह दफा ५२ में नहीं भेजा जा सकता। परमिशन तो महीनों बाद आती है लेकिन वह इस दफा के अन्दर पहले ही भेज दिया जाता है। ६४ वर्ष बाद सरकार ने प्रिजन ऐक्ट को बदलने की कोशिश की है तो उसमें जितने काले धब्बे हैं उन सबको हटाया जाना चाहिए। बहुत से सदस्यों ने कहा कि जेल मैनुअल में एक जगह लिखा हुआ है कि दांत साफ करने के लिये काला तारकोल मिलेगा और दातौन मिलेगी। लेकिन दातौन नहीं मिली हम को जब मंत्री जी और आई० जी० प्रिजन को लिखा गया तब मिली। हम तो मांग करते हैं कि जेल मैनुअल में जो बहुत सी बातें लिखी हुई हैं उनको ही आप लागू करें, मगर वह भी नहीं होता।

मैं पूछना चाहता हूं कि अगर थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास जेलों में एजूकेशन टीचर नहीं रखे जायेंगे तो कैसे काम चलेगा? कहां रखे जायेंगे? सेंट्रल जेल में रखे जायेंगे? आप सुधार कैसे कर सकते हैं जब तक इन जेलों में एजूकेशन के लिये टीचर नहीं रखे जाते।

मैं चाहता हूं कि जितने इस मैनुअल में काले कानून हैं उनको हटा दिया जाय और विधान के अन्दर इस बिल को लाया जाय मंत्री जी इस बिल को वापस ले लें। दफा ५२ को

[श्री उग्रसेन---]

तो जरूर ही हटा देना चाहिये। इन शब्दों के साथ माननीय मोती लाल अवस्थी जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---इस संबंध में सारी कार्यवाही साढ़े चार बजे बन्द होगी चाहे विवाद समाप्त न हो और चाहे संशोधन बिना विवाद के रह जायं। इस तरह अगर माननीय सदस्य खड़े होते चले जायंगे तो मेरे लिये कठिनाई होगी। अगर आप लोग नियंत्रण नहीं रखेंगे तो मुश्किल हो जायगी।

श्री मोती लाल अवस्थी---आपने साढ़े चार बजे तक की अवधि रखी है। यह बिल पौने दो बजे प्रारम्भ हुआ था इस वास्ते पौने पांच बजे समाप्त होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं १२.५० पर शुरू हुआ था।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---इसके बाद जो दंड विधि विधेयक आने वाला है उसके विवाद के संबंध में मुझे यह कहना है कि न तो हमको मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट सेंटर का और न दंड विधि का जो अधिनियम है उनमें ही कहीं भी नहीं मिल रहा है। उसकी कापी हमें मिलनी चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि जो समय उसके लिये है, इस बात को देखते हुये कि हमको लिट्रेचर ही प्राप्त नहीं है, आज न लिया जाय बल्कि उस समय को इसी में जोड़ दिया जाय और उसको बाद में लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---इस संबंध में मैं सरकार का विचार जानना चाहता हूं कि क्या १० मिनट वह छोड़ने के लिये तैयार है?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---यह तो श्रीमन्, माननीय सदस्य को सुबह कहना चाहिये था जब यह तय हुआ था। बिजनेस कमेटी में भी आप थे, वहां भी नहीं कहा और फिर आज सुबह जब यहां प्रश्न आया उस समय भी नहीं कहा।.....

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि बिजनेस कमेटी की तो हमें सूचना मिली नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---वह तो हाउस से पास हो चुका। अब उसका प्रश्न ही नहीं है।

एक सदस्य---किताबें नहीं हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---फारचुनेटली नारायणदत्त जी वहां थे। फिर आज यहां भी दुबारा जब प्रश्न पैदा हुआ तो उन्होंने उस वक्त भी नहीं कहा और अब जब हाउस उठने को है तो यह प्रश्न खड़ा करना कहां तक उचित है।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---मैंने सारी लाइब्रेरी आज दिन भर ढूंढी ....।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपा कर बैठिये। दस मिनट समय बढ़ाने की बात थी। इस पर मैं दोनों पक्षों की राय सुनना चाहता था। अगर सदन एक मत हो जाय तभी यह सम्भव है, क्योंकि मैं नियमानुकूल ऐसी परिस्थिति में समय बढ़ाने का प्रस्ताव ले नहीं सकता।

श्री मुजफ्फर हसन---मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष---तो किसी को कोई एतराज नहीं है। तो सर्वसम्मति से यह तय हो गया कि ५ बज तक इस विधेयक पर विचार चलेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक के ऊपर कुछ निवेदन करने का अवसर दिया। श्रीमन्, यह विधेयक इस माने में महत्वपूर्ण है कि पहली बार स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद इस सदन के इतिहास में हम प्रिजन्स ऐक्ट को संशोधित कर रहे हैं। दुख केवल यह है कि केवल दो मानों में संशोधित कर रहे हैं। एक तो यह कि एक जेल इंडस्ट्रीज कमेटी जिसके कि आप भी स्वयं सदस्य थे, उसकी एक सिफारिश मानी जा रही है कि जेल में रिफार्मेशन का उद्देश्य भी इस प्रिजन्स ऐक्ट की परिभाषा में लाया जाय। बहुत सक्षेप में चूंकि मुझे कहना है, तो जो माननीय मंत्री जी की इच्छा है वह इससे पूरी होने वाली नहीं है क्योंकि जैसी परिभाषा प्रिजन्स ऐक्ट की धारा ३ में दी है उसमें ३ एक्सक्लूजन्स हैं।

"(*a*) any place for the confinement of prisoners who are exclusively in the custody of the police,

(*b*) any place specially appointed by the Provincial Government under section 541 of the Code of Criminal Procedure, 1882, or

(*c*) any place which has been declared by the (Provincial Government), by general or special order, to be a subsidiary Jail"

यानी जो सम्पूर्णानन्द कैम्प और चकिया कैम्प या चन्द्रभागा कैम्प जो सबसिडियरी जेल डिक्लेयर किये गये हैं। बोर्स्टल प्रिजन्स, यानी जो रिफार्मेटरी कैम्प्स हैं वह इस परिभाषा में नहीं आते, उससे दूर हो जाते हैं। तो इस अधूरी परिभाषा में केवल सेंट्रल जेल रह जायगा। रिफार्मेशन की ऐसी परिभाषा माननीय मंत्री जी ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस आब्जेक्शन पर विचार करेंगे और इसीलिए वह इस सुझाव को भी मानेंगे कि यह सेलेक्ट कमेटी में जाय।

दूसरी बात यह है कि यह कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको कोई बात सूचित की कि आप इसमें यह कीजिए ग्रेड वगैरह का और उसमें जेल मैन्युअल वगैरह का भी उदाहरण दिया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नें माननीय मंत्री जी ने वह पत्र मेरे पास भेज दिया है, मैं उनका अनुगृहीत हूं जो पत्र लिखा है वह ३० जून, सन् १९५५ का है जिस पर कि कार्यवाही सन् ५७ में हुई। ३० जून, सन् १९५५ की चिट्ठी है और उसमें वेस्ट बंगाल की एक चिट्ठी का हवाला है। वेस्ट बंगाल ने यह प्रश्न उठाया यह कह कर नहीं कि इसका अमेंडमेंट कर दिया जाय बल्कि यह कहकर उठाया कि वह इसे डिलीट करना चाहते है। मैं उसका वह उद्धरण पढ़ देना चाहता हूं।

"The West Bengal Government, therefore, propose to omit these items of punishments from the relevant rule of the Bengal Jail Code, which is now under revision. The position is brought to the notice of Government of India for their consideration."

तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट में और यू० पी० की गवर्नमेंट में इतना ही फर्क मुझे नजर आ रहा है कि वेस्ट बंगाल ने डिलीट करने के लिये लिखा है और यू० पी० की गवर्नमेंट उसे रेगुलराइज करना चाहती है। बिलकुल उलटी बात है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कहती है कि हम इसे गैर कानूनी समझते हैं, यह क्लासिफिकेशन आफ प्रिजनर्स वगैरह रहना चाहिये, लेकिन यह यू० पी० की गवर्नमेंट यह कहती है कि ग्रेडस् के हटाने की ताकत हमें मिलनी चाहिये और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की राय के बिल्कुल विपरीत यह कदम उठाया जा रहा है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कहीं मैंन्डेटरी आर्डर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकारें इसे रेगुलराइज करना चाहें वह रेगुलराइज कर सकती हैं। यह कहीं नहीं कहा गया कि आप जरूर करें। तो इस माने में भी मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का जो उद्देश्य है वह परिस्थिति के बिलकुल विपरीत है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तीसरी बात जेल इंडस्ट्रीज इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश के बारे में है। माननीय गोविन्दसहाय जी ने कह दिया कि इस बिल पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। वह खुद एक कमेटी के चेयरमैन रहे हैं सन् १९४६ में और उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं। माननीय कमलापति जी भी उस कमेटी के मेम्बर थे। एक मत से उस कमेटी की सिफारिश है। उसकी एक सिफारिश यह है कि इंसपेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स के हाथ में सारी जेलों का इन्तजाम नहीं होना चाहिये, बल्कि एक प्रिजन कमीशन होना चाहिये तीन सदस्यों का और प्रिजन्स ऐक्ट में संशोधन होना चाहिये ताकि प्रिजन्स का ठीक प्रकार प्रबन्ध हो और पुलिस के ढंग का जो उसमें ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसको रिफार्म किया जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों आज गोविन्दसहाय जी और कमलापति जी उस रिफार्म को भूल गये। जेल रिफार्म कमेटी की सिफारिश में यह कहा गया था कि ये चार सजायें व्हिपिंग, फ्लागिंग, क्रास बार फेटर्स और सालिटरी कन्फाइनमेंट की खत्म की जानी चाहिये और उसके लिये इंटरनेशनल कान्फ्रेन्सेज के उद्धरण दिये गये हैं। आज जब कि हम लोगों को मौका मिला है तो क्यों न इन चारों सजाओं को हमें खत्म कर देना चाहिये।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि प्रिजन्स ऐक्ट का हवाला दिया गया यह तो केवल नाम-मात्र का एक ऐक्ट है। प्रिजन्स ऐक्ट का इतिहास यह है कि १८९४ में गवर्नर जनरल के एक ऐक्ट से यह बना। कहीं भी पार्लियामेंट के सामने या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने यह नहीं आया। सन् १९२० में एक आर्डर निकाला गया और एक सेंट्रल ऐक्ट पास किया गया कि अब यह गवर्नर जनरल नहीं करेंगे, बल्कि प्रान्तीय सरकारें करेंगी। तो यह जेल मैनुअल बिल्कुल अवैधानिक है क्योंकि यह किसी प्रेस्क्राइब्ड रूल के मातहत नहीं है। जेल मैनुअल की किताब मेरे पास है, इसमें लिखा है शब्द "ऐथराइज्ड" शब्द "मेड" नहीं लिखा है। कोई भी जेल मैनुअल कभी रूल की शक्ल में किसी नोटिफिकेशन के जरिये ऐडाप्ट नहीं की गयी। कभी भी ये रूल बनाये नहीं गये। लेकिन सारी यू० पी० की जेलों में यह जेल मैनुअल लागू है। यहां तक कि जेल मैनुअल प्रिजन्स ऐक्ट के भी आगे बढ़ गयी है। यह ऐक्ट को खुद अमेंड कर देती है।

श्रीमन्, आप देखेंगे की धारा ४६ में हम संशोधन कर रहे हैं और धारा ४५ में १६ प्रकार की सजायें प्रेस्क्राइब्ड हैं। चेप्टर ३० में श्रीमन्, आप रूल ८०६ देखें जिसको पढ़ कर यह साफ-साफ सिद्ध होता है कि प्रिजन्स ऐक्ट में जो रूल मेकिंग एथारिटी थी उससे भी बढ़ कर यह जेल मैनुअल बनाई गई है। रूल ८०६ इस प्रकार है :—

"In addition to acts declared to be prison offences under section 45 of the Prison Act, 1894 (IX of 1894), the following acts are forbidden, and every prisoner who wilfully commits any of the following acts shall be deemed to have wilfully disobeyed the regulations of the prison and to have committed a prison offence within the meaning of sub-section (1) of the above section of the Act".

यानी इन १६ के अतिरिक्त ४३ आफेंसेज और मान लिये जायेंगे जोकि जेल मैनुअल प्रेस्क्राइब्ड करता है। ऐसा डेलिगेटेड लेजिस्लेशन कहां देखा गया है जैसा यहां के जेलों की जेल मैनुअल में है।

श्री उपाध्यक्ष—दो ही मिनट आपका वक्त रह गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अभी समाप्त करता हूं। एक और मसला है। रूल ८०७ को देखिये, लिखा है,

"When in the opinion of the Superintendent any of the following offences is established against the prisoner, he shall refer the case to the Magistrate exercising jurisdiction for inquiry in accordance with the provisions of the Code of Criminal Prodedure, 1898 :"

यानी सेक्शन १४७, १४८, १५२ इंडियन पीनल कोड के मुताबिक जो पनिशमेंट होंगे वह सुपरिन्टेंडेंट तै करेंगे और मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। जो बात ऐक्ट में होनी चाहिये थी वह मेनुअल में है, आज तक इसको रिवाइज करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई।

तो मैं मांग करूंगा कि सेलेक्ट कमेटी में यह बिल अवश्य जाय और हम यह जांच करें कि जेल मैनुअल में कितना परिवर्तन हमको करना चाहिये। जेल मैनुअल संविधान के विरुद्ध भी है, यह प्रिजन्स ऐक्ट भी संविधान के विरुद्ध है। प्रिजन्स ऐक्ट में लिखा हुआ है कि अगर प्रिजनर कोई आफेंस करता है तो उसकी दो या दो से ज्यादा सजाएं हो सकती हैं, जबकि आर्टिकिल २० (२) में यह है कि एक आफेंस की एक से ज्यादा सजा नहीं होगी, एक बार एक ही पनिशमेंट होगी। तो जेल में एक-एक आफेंस की दो, तीन और चार सजाएं भी दी जाती हैं और बाद में मैजिस्ट्रेट के पास भी पनिशमेंट के लिये भेजा जाता है।

मैं और भी निवेदन करना चाहता था, लेकिन संक्षेप में मैंने अपनी मनोवृत्ति को और अपने सुझावों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। मुझे आशा है कि मंत्री जी कम से कम मौका देंगे कि प्रवर समिति के सम्मुख हम इस विवरण को रख दें ताकि हम इस पर गौर कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सामाजिक सुरक्षा मंत्री, आप ४ बजकर ४५ मिनट तक १५ मिनट भाषण करेंगे।

श्री मुजफ्फर हसन---मैं उससे पहले ही खत्म कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक पेश है इसमें कुछ गलतफहमी लोगों को जरूर पैदा हुई। पहली गलतफहमी तो ग्रेड और क्लास के बारे में थी। बहरसूरत वह तो रफा हो गयी।

दूसरी गलतफहमी यह हुई कि जो उद्देश्य इसके बताये गये हैं उसके दो पैराग्राफों में से एक को बाज माननीय सदस्यों ने उद्देश्य माना और दूसरे को तरमीम माना। मैं समझता हूं कि इसमें गहरी गलतफहमी हुई है। दो जरूरतें थीं इस तरमीम की। एक तो जेल में लोगों को रखने का उद्देश्य क्लियर किया जाय, वह पहले पैराग्राफ में किया गया है। दूसरे में एक सफाई पैदा करनी थी, जो अख्तियारात कि सुपरिंटेंडेंट जेल को हासिल हैं, जेल मैनुअल के जरिये से, वह उसको अमल में ले आ रहा है, उसको प्रिजंस ऐक्ट में शामिल करने के लिए तरमीम की जरूरत थी। जाहिर है कि इन दोनों तरमीमों की नौइयत मुख्तलिफ है। अब उसमें एक शक्ल तो यह हो सकती थी कि दो अलग-अलग तरमीमें लायी जांय और दूसरी शक्ल यह थी कि दोनों तरमीमें एक साथ पेश कर दी जांय, बजाय इसके कि दो विधेयक पेश हों। तो मैं यह तसलीम करता हूं कि दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है।

अभी नारायणदत्त जी ने बताया की वेस्ट बंगाल ने, गवर्नमेंट आफ इंडिया की तवज्जुह दिलाई कि दफा ४६ जो है,उसमें मौजूद है कि जेल सुपरिंटेंडेंट को जो रेमीशन्स की पावर्स हैं, उसके अंदर जेल की सजा के तौर पर उसको काटने का अख्तियार है और उसी के आधार पर जेल मैनुअल में वह चीज भी मौजूद है जिसको हम इस तरमीम के साथ शामिल कर रहे हैं, गवर्नमेंट आफ इंडिया का १९०८ का एक रिजोल्यूशन था, उसके मातहत यह नियम जेल मैनुअल के अन्दर लाये गये। जब वेस्ट बंगाल की तरफ से तवज्जुह दिलाई गयी तो सजेशन आया कि ऐक्ट को तरमीम करके एक क्लाज बढ़ा दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---वेस्ट बंगाल में क्या किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैं जानता नहीं हूं। मैं तो अपनी तरमीम पेश कर रहा हूं। सवाल यह है कि जो इस्लाहात हम कर र हैं उनमें बहुत ो सजायें टा दी गई हैं, जिसका जिक्र अभी तिवारी जी ने किया है।

[श्री मुजफ्फर हसन]

आज क्रास बार की कोई सजा जेलों में नहीं है। हम जितने सुधार करना चाहते हैं, उसमें कोई जरूरत और तरमीमों की महसूस नहीं हुई और अगर जरूरत महसूस हुई तो हम इसकी जरूर तरमीम करेंगे। जेल रिफार्म्स के लिये जो कमीशन बैठा था उसकी तजवीजों को हम काफी मिकदार में मंजूर कर चुके हैं और जो कुछ इस्लाहात हो रही हैं उसमें हमें कहीं रुकावट महसूस नहीं हुई और जब कभी भी इसलाहात करने में कोई रुकावट महसूस होगी तो हमें उसको लेजिस्लेचर के सामने लाकर के तब्दील करने में तकल्लुफ नहीं होगा।

यह बात सही नहीं है कि हम इसके जरिये जेल सुपरिटेंडेंट को कोई अख्तियारात दे रहे हैं। हमने बहुत सजायें कम कर दी हैं। चक्की हम बंद कर रहे हैं और कोल्हू, जो सजा के तौर पर खिचवाया जाता था उसको हम बंद कर चुके हैं और जैसा कि झारखंडेराय जी ने कहा कि इसका साइकोलोजीकल असर पड़ सकता है, मैं समझता हूं कि सही नहीं है। क्योंकि रोज ब रोज उनके अख्तियारात ऐसी चीजों से हटते जा रहे हैं। असल में अगर साइकोलोजिकल असर किसी तरमीम का है तो जो हम पहले हिस्से में पेश कर रहे हैं उसका है। इसकी मंशा यह है कि लोगों के ऊपर असर पड़े, आफिसर्स पर असर पड़े। जो हम जेलों में रिफार्म कर रहे हैं, उनको इसी तरह से तकबियत मिल सकती है, इसलिये इसको लाने की जरूरत पड़ी।

मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि यह बात सही है कि यह दो तरमीमें हैं। यह दोनों तरमीमें दो तरह की हैं और एक दूसरे से वाकई कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक ही बिल में इसलिए पेश की गयीं कि अलग-अलग लाना दुश्वार तलब बात थी। रिफार्मेशन के बारे में यू० पी० के प्रदेश में जो कुछ काम हो रहा है वह बहुत काफी हम सब के और सूबे के सामने मौजूद है। गोविन्दसहाय जी मौजूद नहीं हैं, वह खुद भी इसके इंचार्ज रहे हैं और उनकी मौजूदगी में सजायें घटी हैं। शायद उनके खयाल से उतर गया। अब सवाल यह है कि किस तरह से लोगों को तैयार किया जाय, जैसा कि मेरे एक भाई ने अभी बताया कि इसी सूबे में जेल ट्रेनिंग स्कूल है, जहां पर बाहर से लोग आते हैं और उनको ट्रेन्ड किया जाता हैं और रिफार्मेशन का सबक दिया जाता है। हमने जो ओपेन कैम्प्स कायम किये हैं वे खुद एक इतना बड़ा साइकालोजिकल एफेक्ट रखते हैं कि न सिर्फ अपने प्रदेश में, बल्कि अपने आफिशियल्स में और इस तमाम एटमास्फियर में, उसका जो एक इन्कलाबी असर हुआ है उसको हमारे भाई अच्छी तरह से जानते हैं।

तो जहां तक उस उद्देश्य का ताल्लुक है गवर्नमेंट और अपोजीशन के मेम्बरों में, सिवाय गोविन्दसिंह जी को छोड़ कर उन्होंने तो कुछ हमारे रेफार्मेशन की स्कीम को क्रिटिसाइज किया, कोई फर्क नहीं है। गोविन्द नरायण जी ने बताया कि हमको दो, तीन काम करने हैं। एक तो उन्होंने यह कहा कि जेल सर्विस और प्रोबेशन सर्विस इन दोनों को करीब लाने की जरूरत है। वह हम आलरेडी कर रहे हैं। दूसरे उन्होंने नये क्लासिफिकेशन की बात कही। उसके लिये भी हमारी एक आफिशियल कमेटी बैठी हुई है और उसमें इस बात पर गौर हो रहा है कि कैदियों का विभाजन साइन्टिफिक तरीके से किस तरह हो सकता है और उसको हम जल्द लाने वाले हैं। बावजूद इसके कि हमने काफी कदम उठाये हैं, लेकिन हम पूरे तौर से मुतमय्यन नहीं हैं और हमारी पूरी तवज्जह इस तरफ है कि जेल में जो भी सुधार मुमकिन हो सकते हों, वह करें। बदकिस्मती से जेल का महकमा प्लानिंग के डेवलपमेंट के काम में नहीं आता जिसकी वजह से हमें कुछ माली दिक्कतें पेश आती हैं और हम उस तेजी से बहुत सी अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस तरफ हमारा पूरा ध्यान है और हम यकीन दिलाते हैं कि जब कभी भी उसके लिये किसी तरमीम की जरूरत, प्रिजन्स ऐक्ट या जेल मैनुअल में होगी, उसे हम जरूर सामने लायेंगे।

अभी हमारे नारायणदत्त जी ने कहा कि वह मकसद हल नहीं होता और जो कैम्प्स खोले गये हैं ये उसके दायरे में नहीं आते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कैम्प जेल, सेन्ट्रल

जेल माने जाते हैं और दूसरी जेलें भी पूरी तरह से न सिर्फ उन कायदों से फायदा उठा रही हैं बल्कि उनके लिये जो हमने स्पेशल रियायतें की हैं, उनका भी वे फायदा उठा रही हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—परिभाषा में तो नहीं आता है।

श्री मुजफ्फर हसन—उस परिभाषा में वह आता है। उसको तो हमने सेन्ट्रल जेल का स्टेट्स दे रखा है तो कैसे उस परिभाषा में नहीं आयेगा। तो ये सीधी सी तरमीमें थीं, इनमें इतनी बहस मुबाहिसे की जरूरत नहीं थी, गालिबन कुछ लोगों को गलतफहमी हो गयी और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन मेरे प्रस्ताव को मंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं माननीय गोविन्दसिंह जी का संशोधन लेता हूं और उसके बाद अगर वह स्वीकृत हो गया, तभी और कम समय देने की बात उठती है। इसलिये मैं पहले उसको लेता हूं।

प्रश्न यह है कि प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ को, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, इस सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जो ३ महीने के भीतर इस पर अपना प्रतिवेदन सदन क सम्मुख पेश करे और जि इसकी परिधि बढ़ाने का भी हक हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ [The Prisons (U. P. Amendment) Bill, 1957], जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—प्वाइंट आफ आर्डर। मैं आपका ध्यान धारा ९६ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। क्योंकि यह बिल कन्सीडरेशन के लिये पास हो चुका है और इसके सिलसिले में माननीय मंत्री जी द्वारा यह सूचित किया गया कि यह बिल सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आदेशानुसार उपस्थित किया गया है। दफा ९६ इस प्रकार है:—

"After the motion that a Bill be taken into consideration is passed any member may demand that copies of papers, if any, on which the Bill is based and which are not confidential, may be placed on the table of the House".

ये कागजात, मैं आपके द्वारा यह आशा करूंगा कि पहले मेज पर रख दिये जायं जिससे मेम्बरों को पूरी सूचना हो जाय और उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाय। यद्यपि अभी तिवारी जी ने थोड़ा सा इशारा किया कि उनको मिल गये हैं, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैं समझता हूं कि हाउस को इसकी सूचना होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—(सामाजिक सुरक्षा मंत्री से) माननीय मंत्री जी, उनको हक तो है ही, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का आदेश-पत्र है वह आप मोतीलाल जी के पास भेज दें।

श्री मुजफ्फर हसन—मैं समझा नहीं कि क्या इतराज है।

श्री उपाध्यक्ष—आपकी नियमावली में लिखा है कि जिस समय यह प्रस्ताव हो जाय कि इस बिल पर विचार किया जाय, उस वक्त कोई भी माननीय सदस्य उससे संबंधित कागजात तलब कर सकते हैं। तो चूंकि आपने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशानुसार आपने इन संशोधनों को रखा है, तो वह उस आदेश की प्रतिलिपि चाहते हैं।

श्री मुजफ्फर हसन—वह तो उनके पास है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझ से माननीय मंत्री जी के पी० ए० ले गये हैं।

श्री उग्रसेन---उसकी कापी सदन की मेज पर रखी जानी चाहिये । सिर्फ एक आदमी को दिखाने से काम नहीं चलेगा । माननीय मंत्री जी को इसे पहले से तैयार कर लेना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष---अगर सदन की मेज पर रखने के माने आप यह समझते हैं कि हर मेम्बर की सीट पर रखा जाय तो यह ठीक नहीं । विधान सभा के सचिव की मेज पर रखना पर्याप्त होगा ।

श्री मुजफ्फरहसन---इस सवाल के उठने के पहले भी उन्होंने मांग की थी और मैंने उन्हें वह दे दी थी । जो साहब चाहते हों वह आकर देख सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---आप यहां भेज दीजिये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---अब तो पीजन होल्स भी सदन की टेबिल मान लिये गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि पीजन होल्स की व्यवस्था तो साहित्य-वितरण के लिये है । सदन की मेज तो सचिव की मेज है ।

खंड २

ट ९, ९४ की रा ३ का ोधन ।

२---प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ (जिसे एत्तपश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के खंड (१) में शब्द "for the detention" तथा शब्द "of prisoners" के बीच में शब्द "and reformation" रख दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---चूंकि अब ४५ मिनट से ज्यादा समय हो गया है तो अब गिलोटिन लागू होगा । इसलिए अब किसी माननीय सदस्य को संशोधन पेश करने की आज्ञा नहीं दी जायगी ।

खंड ३

ट ९, ९४ की रा ४६ संशोधन ।

३---मूल अधिनियम की धारा ४६ के खंड (४) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (4-A) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(4-A) forfeiture or reduction of grade, either temporarily or permanently, and temporary forfeiture of prison privileges."

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित नया खंड (४-ए) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---२४,

विपक्ष में---८६ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित खंड (४-ए) के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय---

"of a prisoner other than connected with a political movement."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित खंड (४-ए) के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय:---

"Provided notwithstanding any provision to the contrary no political prisoner who is not connected with treason or activities directly endangering the safety of the country shall be punished otherwise than by the decision of

the majority of the Committee consisting of a Magistrate, the Superintendent and the local representative of the Assembly within whose constituency the Jail premises is situate."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक-प्रस्तावना तथा खंड १

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४, को उत्तर प्रदेश में इसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करने का

ऐक्ट संख्या ९ १८९४ ।

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात व्यक्त होने वाले प्रयोजनों के निमित्त प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ को उत्तर प्रदेश में इसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित किया जाय;

ऐक्ट संख्या ९ १८९४ ।

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१---(१) यह अधिनियम प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलाएगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार तथा प्रारम्भ

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जावें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मुनक्कर हसन---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ [The Prisons (U. P. Amendment) Bill, 1957], जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
४ फरवरी, १९५८ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०२ पर)

मंडियों की सूची जो १९५६-५७ में खोली गई

क्रम संख्या	जिलों का नाम	मंडियों के नाम
१	बाराबंकी	सफदरगंज
२	बहराइच	रुपेडिहा
३	गोंडा	बलरामपुर
४	फैजाबाद	फतेहगंज
५	बस्ती	बस्ती
६	मथुरा	मथुरा कोसीकलां
७	अलीगढ़	हाथरस
८	एटा	गंजडुंडवारा
९	हमीरपुर	राठ
१०	जालौन	कालपी उरई
११	बांदा	बांदा अटर्रा
१२	नैनीताल	काशीपुर हल्द्वानी
१३	लखीमपुर खेरी	खेरी
१४	सीतापुर	सीतापुर
१५	बरेली	औंला
१६	पीलीभीत	बिसालपुर
१७	शाहजहांपुर	केरूगंज तिलहर
१८	मुरादाबाद	बहजोई चंदौसी
१९	बिजनौर	चान्दपुर धामपुर
२०	मेरठ	हापुड़
२१	मुजफ्फरनगर	शामली
२२	सहारनपुर	मंगलौर
२३	देहरादून	चौहरपुर
२४	बुलन्दशहर	सिकन्दराबाद
२५	इलाहाबाद	जसरा भरवारी
२६	फर्रुखाबाद	कायमगंज कमलगंज
२७	वाराणसी	चकिया गोपीगंज
२८	मिर्जापुर	मिर्जापुर अहरौरा
२९	जौनपुर	शाहगंज

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०२ पर)

मार्केटिंग सोसाइटीज की सूची जिन्हें १९५७-५८ में खोले जाने का विचार है

क्रम-संख्या	मार्केटिंग सोसाइटी का नाम	जिला
	झांसी डिवीजन	
१	कोंच	जालौन
२	मौदहा	हमीरपुर
३	कर्वी	बांदा
४	ललितपुर	झांसी
५	चिरगांव	झांसी
६	मऊरानीपुर	झांसी
७	सुमेरपुर	हमीरपुर
८	महोबा	हमीरपुर
	इलाहाबाद डिवीजन	
१	बिन्दकी	फतेहपुर
२	रूरा	कानपुर
३	नौरंगा	कानपुर
४	छिबरामऊ	फर्रुखाबाद
५	भरथना	इटावा
६	फतेहपुर	फतेहपुर
७	जसवन्तनगर	इटावा
	बरेली डिवीजन	
१	कीरतपुर	बिजनौर
२	धनौरा	मुरादाबाद
३	उझानी	बदायूं
४	राम पुर	रामपुर
५	बिलासपुर	रामपुर
६	पीलीभीत	पीलीभीत
	लखनऊ डिवीजन	
१	लालगंज	रायबरेली
२	माधोगंज	हरदोई
	फैजाबाद डिवीजन	
१	तुलसीपुर	गोंडा
२	बिलवाई	सुल्तानपुर
३	प्रतापगढ़ (सन हैम्प)	प्रतापगढ़
४	पयागपुर	बहराइच
	आगरा डिवीजन	
१	आगरा	आगरा
२	एटा	एटा
३	कासगंज	एटा
४	बेवर	मैनपुरी
५	मैनपुरी	मैनपुरी
६	अलीगढ़	अलीगढ़
७	खैर	अलीगढ़
	गोरखपुर डिवीजन	
१	फरेंदा	गोरखपुर
२	नौगढ़	बस्ती
३	रानी की सराय (सन हैम्प)	आजमगढ़
	वाराणसी डिवीजन	
१	चितबड़ागांव	बलिया
२	सईदपुर	गाजीपुर
३	शिवपुर (सन हैम्प)	वाराणसी
	नैनीताल डिवीजन	
१	खटिमा	नैनीताल
२	रामनगर या किछा	नैनीताल
	मेरठ डिवीजन	
१	कैसरगंज	मेरठ
२	बड़ौत	मेरठ
३	जहांगीराबाद	बुलन्दशहर
४	गुलौठी	बुलन्दशहर
५	गंगोह	सहारनपुर
६	गाजियाबाद	मेरठ
७	रामपुर	सहारनपुर

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०७ पर)

न्याय पंचायत, अमेठी तथा सिसैया कलां में कुछ पंचों के स्थान रिक्त रखे गये थे तथा जिन व्यक्तियों को पंच पद पर मनोनीत किया गया था उनके विरुद्ध माननीय हाईकोर्ट में कुछ व्यक्तियों ने रिट दायर कर दी हैं। यह उचित समझा गया कि जब तक इन रिटों का निर्णय नहीं हो जाता तब तक सरपंचों एवं सहायक सरपंचों का चुनाव न कराया जावे। सरपंचों का चुनाव न होने के कारण ये न्याय पचायतें कार्यारम्भ नहीं कर सकी हैं।

न्याय पंचायत रामनगर बगहा के समस्त पंचों के मनोनीत करने की कार्यवाही अभी तक नहीं हो सकी थी। अब वह पूरी हो गई है। अतएव सरपंच एवं सहायक सरपंच के चुनाव की कार्यवाही की जा रही है। इसके पश्चात् यह न्याय पंचायत कार्य करने लगेगी।

न्याय पंचायत ईसानगर के सरपंच एवं सहायक सरपंच के निर्वाचन के लिये दो बार तिथि निश्चित की गई किन्तु निश्चित तिथियों को कोरम पूरा न होने के कारण निर्वाचन नहीं हो सका। अब पुनः सरपंच एवं सहायक सरपंच के निर्वाचन की तिथि निश्चित की जा रही है, यदि अब भी कोरम पूरा न हुआ तो जिलाधीश द्वारा सरपंच एवं सहायक सरपंच को मनोनीत करने की कार्यवाही की जावेगी और इसके पश्चात् वह न्याय पंचायत कार्य करने लगेगी।

न्याय पंचायत खमरिया पंडित में सम्मिलित गांव सभा खमरिया पंडित में अभी तक पंचों के मनोनीत करने की कार्यवाही नहीं हो सकी है। पंचों के मनोनीत करने की तिथि तीन बार निश्चित की गई किन्तु निश्चित तिथियों को मनोनयन समिति के सभी सदस्य उपस्थित नहीं हो सके अतएव मनोनयन की कार्यवाही नहीं हो सकी। अब पुनः पंचों के मनोनयन की तिथि निश्चित की जा रही है और यदि इस तिथि को भी मनोनयन समिति के सदस्य उपस्थित न हो सके तो जिलाधीश बिना सदस्यों की सम्मति प्राप्त किये ही पंचों को मनोनीत कर देंगे। इसके पश्चात् सरपंच एवं सहायक सरपंच का निर्वाचन होने के उपरान्त यह न्याय पंचायत कार्यारम्भ कर देगी।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०६ पर)

No. 2639-B/XI-C—152-54

FROM

P. P. BHATNAGAR, M.SC., I.A.S.,
JOINT SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

THE DISTRICT MAGISTRATE,
BAREILLY.

MUNICIPAL
(C) DEPTT.

Dated Lucknow, August 9, 1957.

SIR,

I AM directed to say that under the Municipal Account Code Rules it is incumbent on the Board to keep its Head Octroi Office and Branch Octroi Offices open for all the 24 hours of the day each day for purposes of realization of octroi and verification of goods proposed to be exported from the municipality. Accordingly, under the rules it is also binding on the Board to keep the Head Octroi and Branch Octroi Offices open every day during such hours as it may consider reasonable for payment of refund claims. I am, therefore, to request you to draw the attention of Municipal Board, Bareilly, to the above Rules which are mandatory and to ask it to report as to why it is not complying with them.

An early reply is requested.

Yours faithfully,
P. P. BHATNAGAR,
Joint Secretary.

No. 2639-B(i)/XI-C—152-54

COPY forwarded for information and necessary action to President, Municipal Board, Bareilly.

By order,
P. P. BHATNAGAR,
Joint Secretary.

Attested.
G. C. DEVA,
Assistant Superintendent,
Incharge,
Municipal (C) Department.

प्रेस्टीज बुक्स मेरठ

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१९ पर)

सूची

रीजनल मार्केटिंग आफसर के कर्त्तव्य

१—खाद्यान्न की रीजनल स्थिति के संबंध में रीजनल फूड कंट्रोलर को परामर्श देना।

२—डिप्टी रीजनल मार्केटिंग आफिसर के कार्यों का निरीक्षण करना तथा आवश्यकतानुसार समय-समय पर आदेश देना।

३—खाद्यान्न के लिये गोदामों का प्राप्त करना तथा उनके रखने की उचित व्यवस्था करना।

४—अन्न की वसूली तथा बिक्री, अन्न के भाव, क्वालिटी, आयात तथा निर्यात का निरीक्षण करना और आवश्यक प्रबन्ध करना।

डिप्टी रीजनल मार्केटिंग अफसर के कर्तव्य अपने क्षेत्र में

१—अन्न की वसूली के संबंध में अन्न के भाव, क्वालिटी, आयात तथा निर्यात का निरीक्षण करना।

२—क्रय किये गये अन्न तथा उसके भाव व भुगतान के बिलों का निरीक्षण करना।

३—अन्न को साफ कराना तथा उसके वितरण का निरीक्षण करना।

४—अन्न को गोदामों में ठीक से रखने का प्रबन्ध करना।

५—स्टेशनों पर अन्न के उतारने व चढ़ाने के समय निरीक्षण करना।

६—यातायात में तथा गोदाम में अन्न की हानि के कारणों की जांच करना।

७—अन्न के व्यापारियों को धान कूटने की मशीन व मिल लगाने वालों के लाइसेंस जारी करना।

८—व्यापारियों से अन्न के स्टाक संबंधी सूचना इकट्ठा करना।

९—अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण करना।

१०—खाद्य नियंत्रण संबंधी नियमों जैसे कि अन्न के यातायात प्रतिबन्ध आदि का निरीक्षण करना।

११—विभिन्न प्रकार के कर्त्तव्य जैसे कि कृषि उपज के बाजारों का सर्वे करना।

प्राविंशियल मार्केटिंग अफसर के कर्तव्य

१—खाद्यान्न की नीति के संबंध में सरकार को परामर्श देना।

२—अन्न की वसूली तथा किस्म का निरीक्षण करना और क्रय तथा विक्रय के भावों के विषय में सरकार को परामर्श देना।

३—अन्न के संग्रह कार्य का निरीक्षण तथा समन्वय करना।

४—अन्न के भाव, आयात तथा निर्यात संबंधी सूचना इकट्ठा करना और उसे उत्तर प्रदेश, केंद्र तथा अन्य राज्य सरकारों को भेजना।

५—रीजनल फूड कंट्रोलर्स तथा रीजनल मार्केटिंग आफिसर्स को क्रय, विक्रय, स्टोरेज तथा खाद्य के कामों में परामर्श और आदेश देना।

६—इस के अतिरिक्त प्राविंशियल मार्केटिंग अफसर कृषि विभाग तथा सहकारिता विभाग को भी कुछ कार्यों में परामर्श देता है। वह उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य तथा रसद विभाग में पदेन (Ex-officio) उप सचिव भी है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२५ पर)

सूची 'क'

बरेली जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तहसीलवार निम्नलिखित पक्की सड़कों का निर्माण सम्मिलित है :

चालू योजनायें--(प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधूरे कार्य)

		मी०	फ०	फी०
बहेरी तहसील--(१) बहेरी भानपुर सी० सी० ट्रैक ..		६	५	०
बरेली तहसील--(२) बुखारा से भानपुर चकटिया ..		६	०	०
(३) धनौरा से बरेली अल्मोड़ा सड़क ..		३	१	०
नई योजनायें--				
आंवला तहसील--(४) आंवला-भभोरा सड़क ..		९	०	०

शक्कर मिल क्षेत्रों में सी० सी० ट्रैक तथा पेन्टेड सड़कों के निर्माण की योजना :

बहेरी तहसील--(५) भानपुर-भुरिया		५	०	०
(६) बहेरी-मूसापुर		७	०	०

विधान सभा दस्तावेज

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२५ पर)

सूची 'ख'

प्रथम पंचवर्षीय योजना में बरेली जिले में निम्नलिखित कच्ची सड़कों का निर्माण किया गया :

सड़क का नाम	लम्बाई मी०	फ०	फी०
१—शेरगढ़-देवरनिया	८	०	०
२—सरौली-कसरपुर	३	६	३३०
३—आंओला-भभोरा	८	७	०
४—आंओला-केसरपुर	१३	०	०
५—रामपुर-बशारतगंज	४	२	०
६—उमेदपुर-बरेली	९	३	०
७—बहेरी-बंजरिया	८	३	०
८—रामपुर-बलिया	३	०	०
९—फरीदपुर-उम्मेदपुर	९	२	०
१०—नवाबगंज-सरौसा	७	१	०
११—फरीदपुर-पचपेरा-भानपुर	९	०	०
योग ..	८४	०	३३०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५३५ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ में कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधन करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में यहां आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये संशोधन किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के नौवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२--शब्द "प्रांतीय सरकार" तथा "संयुक्त प्रान्त" जहां कहीं भी संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे चल कर "मूल अधिनियम" कहा गया है) में आये हों, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "राज्य सरकार" तथा "उत्तर प्रदेश" रख दिये जायं।

३--मूल अधिनियम की धारा २ में-- यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा २ का संशोधन।

(१) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(ग) 'व्यापारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ से है जो, चाहे कमीशन या प्रतिफल के लिये, चाहे अन्यथा उत्तर प्रदेश में माल खरीदने या बेंचने का व्यापार करता ह, और इसमें कोई फार्म या संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब तथा कोई सोसाइटी, क्लब या संघ जो अपने सदस्यों को माल बेंचता हो सम्मिलित है, तथा इसमें राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार का कोई विभाग जो ऐसा व्यापार करता हो, तथा कोई व्यवसाय संस्था जो बिजली-शक्ति अथवा अन्य किसी प्रकार की चालक-शक्ति के उत्पादन अथवा वितरण का कार्य करती हो, भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण १--उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति का एजेंट जो ऐसे व्यक्ति की ओर से माल खरीदने या बेंचने का काम करता हो ऐसे व्यापार के संबंध में इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये 'व्यापारी' समझा जायगा।

स्पष्टीकरण २--कोई कमीशन एजेंट या आढ़ती या अन्य कोई व्यापारिक अभिकर्त्ता, जो अपने निर्देष्टा (प्रिंसिपल) की ओर से माल खरीदने अथवा बेंचने का काम करता हो, वह चाहे जो भी

कहा जाता हो, धारा ३–घ तथा ३–ङ के प्रयोजनों के लिये 'व्यापारी' समझा जायगा।"

(२) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—
'माल' से तात्पर्य दावों, स्टाकों, शेयरों या सिक्योरिटियों के अतिरिक्त सब प्रकार की चल सम्पत्ति से है और इसमें वह प्रत्येक सामान, वस्तु और व्यापारिक माल सम्मिलित है जो चल अथवा अचल संपत्ति के निर्माण, फिटिंग सुधार या मरम्मत के काम में आता है और इसमें उगती हुई फसलें, घास, वृक्ष तथा अन्य ऐसी वस्तुयें भी सम्मिलित हैं जो पृथ्वी से जुड़ी हों, अथवा पृथ्वी से स्थायी रूप से जुड़ी हुई किसी वस्तु से बंधी हों, किन्तु जिन्हें किसी बिक्री के संविदा के अधीन पृथक् करने का अनुबन्ध हो।"

(३) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (ङङ) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(ङङ) 'लाइसेंस' से तात्पर्य धारा ३–ङ के अधीन दिये गये लाइसेंस से है।"

(४) खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड (छछ) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(छछ) 'क्रय-मूल्य' का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी माल की खरीद के निमित्त दिये गये अथवा देय मूल्यवान प्रतिफल से है, जिसमें से कोई वह धनराशि निकाल दी जायगी जो व्यवसाय की प्रथानुसार विक्रेता द्वारा नक़द डिस्काउन्ट के रूप में दी गयी हो, तथा इसके अन्तर्गत विक्रेता द्वारा संप्रदान के समय अथवा उससे पूर्व उस माल के सम्बन्ध में किये गये किसी कार्य के निमित्त ली गई कोई धनराशि भी है, सिवाय भाड़े अथवा संप्रदान के व्यय के अथवा प्रतिष्ठान के व्यय के, जब कि ऐसा व्यय पृथक् रूप से लिया गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि जब माल किसी विक्रेता अथवा क्रेता की ओर से किसी कमीशन एजेन्ट अथवा आढ़ती द्वारा बेचा जाय तो ऐसे कमीशन एजेन्ट या आढ़ती द्वारा ऐसे माल के निमित्त विक्रेता को देय धनराशि क्रय-मूल्य समझी जायगी।"

(५) खण्ड (ज) में—

(क) शब्द "और इसमें बदनी (भविष्य के मुआहिदे) के सौदे भी सम्मिलित हैं" निकाल दिये जायं।

(ख) स्पष्टीकरण २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"स्पष्टीकरण २—किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके पास धारा ३–ङ के अधीन लाइसेंस न हो धारा ३-घ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित माल उसकी ओर से बिक्री के लिये किसी कमीशन एजेन्ट को दिया जाना, इंडियन सेल

आफ गुड्स ऐक्ट, १९३० (केन्द्रीय ऐक्ट संख्या ३, १९३०) में अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विरोधी बात के होते हुये भी" ऐसे कमीशन एजेन्ट के हाथ बिक्री माना जायगा।"

(ग) स्पष्टीकरण ३ और ४ निकाल दिये जायं।

(६) खण्ड (झ) में--

(१) (क) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाय।

(ख) तीसरे प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "तीसरा" के स्थान पर शब्द "दूसरा" रख दिया जाय ;

(ग) वर्तमान स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण २ के रूप में परिगणित कर लिया जाय तथा निम्नलिखित स्पष्टीकरण १ के रूप में इसके पूर्व बढ़ा दिया जाय :

"स्पष्टीकरण १--धारा ३-घ तथा ३-ङ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, धारा ३-घ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित माल के व्यापारी के सम्बन्ध में शब्द "विक्रय धन" के अन्तर्गत "क्रय-धन" भी समझा जायगा।

(घ) स्पष्टीकरण २ के उपखण्ड (१) के अन्त में शब्द "लिया गया हो" के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर कामा रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"सिवाय भाड़े अथवा माल के संप्रदान के व्यय के, अथवा प्रतिष्ठान के व्यय के, जब कि ऐसा व्यय पृथक रूप से लिया गया हो,"

(७) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड (झझ) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(झझ) 'क्रय-धन' से तात्पर्य किसी व्यापारी द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा खरीदे गये माल के दिये गये अथवा देय मूल्यों की धनराशियों के उस योग से है जो उस धनराशि को, यदि कोई हो, तो निकाल कर आये, जो किसी विक्रेता द्वारा व्यापारी को उस माल के सम्बन्ध में वापस की जाय जो कि उस विक्रेता को ऐसे समय के अन्दर लौटा दिया जाय जो नियत किया जाय।"

४--मूल अधिनियम की धारा ३-की उपधारा (२) में शब्द "१ आना प्रति रुपया" के स्थान पर शब्द "सात नये पैसे प्रति रुपया" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ३-क का संशोधन।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ३-कक का संशोधन।

५--मूल अधिनियम की धारा ३-कक में--

(१) उपधारा (१) के शब्द "२ प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "दो नये पैसे प्रति रुपया" रख दिये जायं तथा खण्ड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड (२-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय --

"रूई का सूत, किन्तु उस के अन्तर्गत छीजा हुआ रूई का सूत नहीं है,"

(२) उपधारा (२) में निम्नलिखित उसके स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जाय ---

"स्पष्टीकरण ---उपधारा (१) में निर्दिष्ट माल की किसी ऐसे रजिस्टर्ड व्यापारी को जो उसे उसी दशा में फिर से बेचने के लिये नहीं खरीदता जिस दशा में उसने खरीदा हो, अथवा किसी गैर रजिस्टर्ड व्यापारी को, बिक्री इस धारा के प्रयोजनों के लिये उपभोक्ता को बिक्री समझी जायगी।"

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ३-ख का हटाया जाना।

६---मूल अधिनियम की धारा ३-ख निकाल दी जाय।

प० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ में नई धाराओं ३-थ तथा ३-ङ का समावेश।

७---मूल अधिनियम की धारा ३-ग के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराओं ३-घ तथा ३-ङ के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"३-घ--- बिक्री-कर का लगाया जाना:

(१) प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में प्रत्येक व्यापारी के क्रय धन पर उन मालों अथवा माल के वर्गों के सम्बन्ध में तथा ऐसी दर से जो चार नये पैसे प्रति रुपया से अधिक न हो, जो कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में समय-समय पर विज्ञापित किये जायं, कर लगाया जायगा। ऐसी विज्ञप्ति के प्रचारित होने पर इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार विज्ञापित माल के विक्रय-धन पर कोई बिक्री-कर नहीं लगाया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यापारी सिवाय उस दशा के जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) में है इस धारा के अधीन कर देने का भागी नहीं होगा यदि कर-निर्धारण वर्ष की अवधि में ऐसे मालों के सम्बन्ध में उसका क्रय-धन ३०,००० रुपये से, अथवा ऐसी अधिक धनराशि से जो इस सम्बन्ध में नियत की जाय, कम हो:

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यापारी द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यापारी से जिसके पास धारा ३-ङ के अधीन दिया गया लाइसेंस हो, खरीद किये गये ऐसे माल अथवा मालों के वर्ग के सम्बन्ध में क्रय-धन कर से मुक्त होगा यदि वह (व्यापारी) ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से जो नियत किये जायं, उस व्यापारी द्वारा जिससे उसने ऐसी खरीद की हो हस्ताक्षरकृत तथा विधिवत् भरा गया घोषणा पत्र कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत करे।

(२) कोई व्यापारी जो धारा ३-ङ के अधीन लाइसेंस प्राप्त करता है वह इस धारा के अधीन कर देने का भागी होगा तथा उसके विक्रय धन की धनराशि चाहे कुछ भी हो वह इस प्रकार उस दिनांक तक भागी बना रहेगा जब से कि उसे दिया हुआ लाइसेंस रद्द हो जाय।

३-ङ--धारा ३-घ के अधीन कर का दायित्व रखने वाले व्यापारियों को लाइसेंस का दिया जाना :

(१) (क) प्रत्येक व्यापारी जिसका धारा ३-घ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित मालों अथवा माल के वर्गों के सम्बन्ध में कर-निर्धारण वर्ष का अनुमानित क्रय-धन धारा ३-घ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन निश्चित धनराशि से कम न हो, तथा

(ख) प्रत्येक व्यापारी जो कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में व्यापार प्रारम्भ करे तथा जिसका धारा ३-घ की उप-धारा (१) के अधीन विज्ञापित मालों अथवा माल के वर्गों के सम्बन्ध म वर्ष के शेष भाग का मासिक अनुमानित क्रय-धन धारा ३-घ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन निश्चित धनराशि के बारहवें भाग से कम न हो,

कर-निर्धारण-अधिकारी को ऐसे रूप में, ऐसी रीति से, तथा ऐसे समय के भीतर, जो नियत किये जायं, लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र देगा तथा ऐसे प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति पर वह अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे ऐसे प्रतिबन्धों तथा ऐसे शुल्क के, यदि कोई हो तो, भुगतान पर, जो नियत किये जायं, लाइसेंस जारी करेगा।

(२) जब कोई व्यापारी व्यापार बन्द कर दे अथवा जब किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी व्यापारी का क्रय-धन धारा ३-घ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट धनराशि से कम हो, तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसे व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे लाइसेंस रद्द कर सकता है।

स्पष्टीकरण--किसी व्यापारी, फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ का विघटन अथवा पुनःसंघटन अथवा किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन अथवा किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण इस उपधारा के अन्तर्गत व्यापार का बन्द किया जाना समझा जायगा।

(३) इस धारा के अधीन स्वीकृत लाइसेंस, उस व्यापारी की प्रार्थना-पत्र जिसे वह स्वीकृत किया गया हो, अथवा जहां ऐसा प्रार्थना-पत्र न दिया जाय वहां व्यापारी को सुनवाई का उचित अवसर दिये जाने के पश्चात् उस अधिकारी द्वारा, जिसे स्वीकृत करने का अधिकार हो, संशोधित किया जा सकता है, यदि

अधिकारी का समाधान हो जाय कि व्यापारी को स्वीकृत लाइसेंस में संशोधन की अपेक्षा है।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ४ की उपधारा (२) का निकाला जाना।

८—मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (२) निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ८-क का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा ८-क में:—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"८-क व्यापारियों की रजिस्ट्री तथा व्यापारियों द्वारा कर की वसूली—

(१) (क) प्रत्येक व्यापारी जो उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किया हुआ कोई ऐसा माल बेचता है जिसके विक्रय-धन पर धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन कर देय है ; तथा

(ख) प्रत्येक व्यापारी जिस पर इस अधिनियम के अधीन कर देने का दायित्व हो अथवा जिस पर इस अधिनियम के अधीन की गई अथवा स्वीकृत छूट के अभाव में ऐसा दायित्व होता, यदि कर-निर्धारण वर्ष में उसका अनुमानित विक्रय-धन १२,००० रु० से कम न होता, अथवा ऐसी अधिक धनराशि से कम न होता जो धारा ३ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन नियत की जाय ; तथा

(ग) प्रत्येक व्यापारी जो कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में व्यापार प्रारम्भ करता है तथा जिसका वर्ष के शेष भाग का औसत मासिक अनुमानित विक्रय-धन १२,००० रु० के अथवा ऐसी अधिक धनराशि के, जो धारा ३ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन नियत की जाय, बारहवें भाग से कम न हो, कर-निर्धारक-अधिकारी को ऐसे रूप में ऐसे रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत किये जायं रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र देगा ।

(२) उपधारा (१-क) में शब्द 'पंजीयन' के स्थान पर शब्द 'इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, पंजीयन (रजिस्ट्री करना)' रख दिये जायं।

(३) उपधारा (१-क) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधाराओं (१-ख) तथा (१-ग) के रूप में समाविष्ट कर दिया जाय—

"(१-ख) इस धारा के अधीन किसी व्यापारी को स्वीकृत रजिस्ट्री (पंजीयन) का प्रमाण-पत्र इसे स्वीकृत करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी द्वारा, व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर अथवा स्वयं अपनी ओर से, रद्द किया जा सकता है, यदि उस प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि उस व्यापारी ने, जिसे यह स्वीकृत किया गया था व्यापार बन्द कर दिया है अथवा वह कर के

दायित्व से मुक्त हो गया है अथवा कोई अन्य पर्याप्त कारण है ।

"(१-ग) किसी व्यापारी को रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने के लिये अधिकृत कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा वह (प्रमाण-पत्र) उस व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर अथवा स्वयं अपनी ओर से, संशोधित किया जा सकता है, यदि व्यापारी ने अपने व्यापार का नाम या स्थान बदल दिया हो अथवा कोई शाखा बन्द कर दी हो अथवा कोई नई शाखा खोल दी हो अथवा कोई अन्य पर्याप्त कारण हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधाराओं (१-ख) तथा (१-ग) में उल्लिखित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र व्यापारी को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना स्वयं अपनी ओर से रद्द या संशोधित नहीं किया जायगा ।"

१०—मूल अधिनियम की धारा ११ के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराओं ११-क तथा ११-ख के रूप में बड़ा दिया जाय । यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ में नई धाराओं ११-क तथा ११-ख का समावेश ।

"११-क—रीति जिससे धारा ११ के अधीन अभिदेश सुने जायेंगे:—

जब धारा ११ के अधीन हाईकोर्ट को कोई मामला समाधान के लिये भेजा जाय तो वह हाईकोर्ट के कम से कम दो जजों के बेंच द्वारा सुना जायगा तथा ऐसे जजों के मत से अथवा ऐसे जजों के बहुमत से, यदि कोई हो तो, निर्णीत होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसा बहुमत न हो तो जज विधि के उस प्रश्न को व्यक्त करेंगे जिस पर वे असहमत हों तथा वह मामला केवल उसी प्रश्न पर हाईकोर्ट के केवल एक अथवा अधिक अन्य जजों द्वारा सुना जायगा तथा वह प्रश्न उन जजों के, जिन्होंने मामला सुना है, और जिसके अन्तर्गत वे भी हैं जिन्होंने पहले सुना है, बहुमत से निर्णीत होगा ।

११-ख—सर्वोच्च न्यायालय को अपील—

किसी मामले जब हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि वह सर्वोच्च न्यायालय को अपील के उपयुक्त है तो धारा ११ के अधीन अभिदेश (समाधान) पर किये गये हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी ।

(२) सर्वोच्च न्यायालय को इस धारा के अधीन अपीलों के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के उपबन्ध उसी प्रकार से यथा सम्भव लागू होंगे जिस प्रकार से कि कोई हाई कोर्ट की आज्ञप्तियों से अपीलों की दशा में लागू होते हैं : ऐक्ट संख्या ५, १९०८ ।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उप धारा की कोई बात धारा ११ को उपधारा (५) तथा उपधारा (७) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा का उसके द्वारा दिलाये गये किसी वाद व्यय के सम्बन्ध में निष्पादन के लिये प्रार्थना-पत्र पर, हाईकोर्ट उस आज्ञा को निष्पादन के लिये अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय को संक्रामित कर सकता है ।

(३) यदि इस धारा के अधीन इस अपील में हाईकोर्ट का निर्णय बदला अथवा उलट दिया जाय तो सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा उसी प्रकार कार्यान्वित की जायगी जैसा कि धारा ११ की उपधाराओं (६) तथा (८) में व्यवस्थित है।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा १३ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (५) में :—

(क) शब्द "यदि बिक्री-कर कमिश्नर" के स्थान पर शब्द यदि किसी कर-निर्धारक अधिकारी जिसका पद बिक्री-कर अधिकारी से निम्न न हो" रख दिये जायं,

(ख) शब्द "अधीन" और "करके" के बीच में आने वाले शब्द "किसी बिक्री" निकाल दिये जायं, तथा शब्द "कर" और "के दायित्व" के बीच में आने वाले शब्द "के भुगतान" निकाल दिये जायं,

(ग) शब्द "तो वह" तथा "उक्त व्यापारी" के बीच में आने वाले शब्द "ऐसे कारणों सहित लिखित आज्ञा द्वारा किसी कर निर्धारक अधिकारी को यह अधिकार दे सकता है कि वह" निकाल दिये जायं, तथा शब्द "प्रवेश" तथा "और ऐसे" के बीच में आने वाले शब्द "करे" के स्थान पर शब्द "कर सकता है" रख दिये जायं।

(घ) शब्द "अपना अधिकार" तथा "जो आवश्यक हों" के बीच में आने वाले शब्द "करले" के स्थान पर शब्द "कर सकता है" रख दिये जायं।

(ङ) शब्द "के दिनांक से" तथा "की अवधि के भीतर" के बीच में आने वाले शब्द "१५ दिन" के स्थान पर शब्द "९० दिन" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा १४ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा १४ के खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (ज) तथा (झ) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(ज) धारा ३-घ के अधीन कर देने का भागी होते हुए भी जान बूझकर धारा ३-ङ के अधीन लाइसेंस प्राप्त न करे अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के अधीन अपेक्षित विवरण-पत्र अथवा घोषणा कर-निर्धारक अधिकारी को जान-बूझ कर प्रस्तुत न करे, अथवा

(झ) धारा ३-घ के अधीन असत्य घोषणा क्रेता-व्यापारी को दे अथवा कर-निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत करे।"

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा २७ का निकाला जाना।

१३—मूल अधिनियम की धारा २७ निकाल दी जाय।

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८, जैसा कि वह इस समय है, राज्य सरकार को माल की खरीद पर कर लगाने का अधिकार नहीं देता है। सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद पर एक ही बार कर लगाने के निर्णय को कार्यान्वित करने के विचार से, ऐसे माल की खरीद पर जिसे राज्य सरकार विज्ञाप्ति करे, कर लगाने की व्यवस्था करके ऐक्ट को यथोचित रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव है।

२—राज्य सरकार को भारत सरकार के इस निर्णय के, कि कुछ निर्दिष्ट विलास-सामग्रियों पर सारे भारत में सात प्रतिशत की ही एक दर से कर लगाया जाय, अनुरूप कार्य करने में समर्थ बनाने के लिये, एक स्थानीय बिक्री-कर की उच्चतम दर को ३/४ प्रतिशत बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

३—प्रक्रिया-सम्बन्धी कुछ विषयों की व्यवस्था करने के लिये तथा अधिनियम के कार्यान्वय से प्रकट होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से कुछ अन्य संशोधन करने के लिये भी इस अवसर का उपयोग किया जा रहा है।

तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त-मंत्री।

विधान सभा प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२८३ एल० ए०—१९५८—८१०।

विधान सभा सचिवालय